दिसम्बर, 2019
I.S.S.N. : 2457-0478

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग, प्रभारी वि.सा.प्र.

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन, विधि
संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

परामर्शदाता : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

ISSN 2457-0478

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2019 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0478

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

दिसम्बर, 2019 अंक - 12

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय
संपादक
अविनाश शुक्ला

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2019) 2 सि. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ⟹ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका प्रतिमाह आपके अवलोकनार्थ उच्च न्यायालयों द्वारा पारित प्रतिवेद्य निर्णय, जो अधिवक्ताओं, विधि छात्रों, न्यायाधीशों, मुकदमे के पक्षकारों और अकादमीशियनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, का प्रकाशन करता है । आप लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर हमको अपनी पत्रिका की गुणवत्ता सुधारने और कार्य को और अधिक निखारने की शक्ति प्राप्त होती है । कृपया अपने अमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें ।

इस अंक के माध्यम से मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि देश के चार बड़े उच्च न्यायालयों अर्थात् इलाहाबाद, पटना, मध्य प्रदेश और राजस्थान उच्च न्यायालय हिंदी में निर्णय पारित कर रहे हैं, जो जनसामान्य के लाभार्थ विधि साहित्य प्रकाशन की पत्रिकाओं में प्रकाशित भी किए जा रहे हैं । किंतु इन माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा हिंदी में पारित निर्णयों के अवलोकन से यह बात प्रकाश में आई है कि इन माननीय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश निर्णय पारित करते समय उन परिपाटियों का ध्यान नहीं रखते जिनको भारत सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों का हिंदी पाठ तैयार किए जाने के प्रयोजनार्थ स्थापित किया गया है । इसके अतिरिक्त वे हिंदी में निर्णय लिखाते समय भारत सरकार की विधि शब्दावली समेत अन्य प्राधिकृत शब्दकोषों का भी प्रयोग नहीं करते, जिनका प्रयोग भारत सरकार के विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा निर्णयों का हिंदी पाठ तैयार किए जाने के प्रयोजनार्थ किया जाता है । यहां पर इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि विधि साहित्य प्रकाशन देश का एकमात्र ऐसा प्रकाशन है जो भारत सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर हिंदी में विधि की पाठ्य-पुस्तकें मुद्रित और प्रकाशित करता है और पत्रिकाओं के माध्यम से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रतिवेद्य निर्णयों का हिंदी पाठ भी मुद्रित और प्रकाशित करता है । यह उच्चतम न्यायालय और उच्च

न्यायालयों के निर्णयों के हिंदी पाठ तैयार करने वाली और उनका मुद्रण और प्रकाशन करने वाली एकमात्र सर्वोच्च संस्था है । इस संस्था द्वारा प्रकाशित विधि पाठ्य-पुस्तकें और पत्रिकाओं में प्रकाशित निर्णयों का हिंदी पाठ देश के समस्त न्यायालयों में सुसंगत माना जाता है और उनका अवलंब लिया जाता है । इन्हीं कारणोंवश विधि साहित्य प्रकाशन को उपरोक्त उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों द्वारा हिंदी में पारित निर्णयों को अपनी पत्रिकाओं में मुद्रित और प्रकाशित करने में अनेक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है । अतः, मेरे विचार में यह आवश्यक होगा कि भारत सरकार का विधि और न्याय मंत्रालय उपरोक्त सभी उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति से इस बाबत विचार-विमर्श करे कि इन उच्च न्यायालयों में कार्यरत माननीय न्यायाधीश हिंदी में निर्णय पारित करते समय विधि साहित्य प्रकाशन की पत्रिकाओं का अवलोकन निर्णयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा और परिपाटी को दृष्टिगत रखने के उद्देश्य से अवश्य करें । साथ ही हिंदी में निर्णय पारित करते समय एकरूपता बनाए रखे जाने के उद्देश्य से विधि शब्दावली का पालन अवश्य करें और विधि शब्दावली में अपेक्षित शब्द न मिलने पर फादर कामिल बुल्के और डा. हरिदेव बाहरी के शब्दकोषों का पालन करें ।

पत्रिका में समायोजित सामग्री और गुणवत्ता के संबंध में सभी पाठकों के विचार अपेक्षित हैं । अगली पत्रिका के संपादन के समय उन विचारों को ध्यान में रखा जाएगा ।

अविनाश शुक्ला
संपादक

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

दिसम्बर, 2019

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अनिल कुमार राठौर **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य	753
अवशेष जायसवाल **बनाम** शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक और अन्य	723
ए. एस. पटेल ट्रस्ट, मुंबई और एक अन्य **बनाम** वाल स्ट्रीट फाइनेंस लिमिटेड, मुंबई	816
देवेन्द्र शर्मा **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य	747
प्रताप और एक अन्य **बनाम** अनिल	788
बलाई चंद साऊ और अन्य **बनाम** बृन्दाबन दशाधिकारी और अन्य	797
मैसर्स नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन **बनाम** मुख्य आयुक्त, आयकर	846
सुसैन भंडारी **बनाम** तुम्पा भंडारी	808

संसद् के अधिनियम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	23 -46

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

– धारा 142(1) और 144 – आयकर का पुनर्निर्धारण – मामले के तथ्यों और विधिक बिन्दुओं को दृष्टिगत करते हुए यह समाधान हो गया है कि निर्धारण अधिकारी ने आयकर के निर्धारण करने में प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया जिसका अनुसरण आय का पुनर्निर्धारण करने और मांग आदेश जारी करने के लिए किया जाना था ।

मैसर्स नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन बनाम **मुख्य आयुक्त, आयकर** 846

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम, 1950

– धारा 34 और 209 – पक्षकारों द्वारा भूमि पर हक़दारी का दावा – सिविल न्यायालय में दावे का लंबन – नामांतरण कार्यवाहियों में आक्षेप – नामांतरण कार्यवाही को स्थगित करने के लिए आवेदन – खारिजी – अधिनियम की धारा 34 के अधीन नामांतरण संबंधी कार्यवाहियां पूर्णतया सरसरी प्रकृति की होती हैं – नामांतरण का उद्देश्य राजस्व अभिलेखों को पूर्ण किया जाना है – अत: किसी हक़-संबंधी वाद के दौरान नामांतरण कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है ।

देवेन्द्र शर्मा बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 747

पृष्ठ संख्या

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूत हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) [सपठित सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 27 और प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 और 9]

– धारा 13(4) – उधार लेने वाले द्वारा प्रतिभूत आस्तियों की नीलामी द्वारा विक्रय को 30 दिनों की स्पष्ट सूचना की तामीली की विधिमान्यता के आधार पर चुनौती दिया जाना – उधार लेने वाले द्वारा यह अभिवाक् कि उसके ऊपर 30 दिनों की स्पष्ट सूचना की तामीली नहीं हुई – बैंक द्वारा सूचना की तामीली साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ स्पीड पोस्ट की रसीदें फाइल किया जाना – उधार लेने वाले द्वारा स्पीड पोस्ट की रसीदों की सत्यता और प्रमाणिकता का खंडन किए जाने के प्रयोजनार्थ अभिलेख पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत न किया जाना – प्रतिभूत आस्तियों की नीलामी द्वारा विक्रय विधिमान्य है और उसकी विधिमान्यता को चुनौती नहीं दी जा सकती ।

अवशेष जायसवाल बनाम **शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक और अन्य** 723

– धारा 13(4) और 18 – प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 और 9 – प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में प्रतिभूत हित का प्रवर्तन – उधार लेने वाले द्वारा बंधक संपत्ति का मोचन कराए जाने का दावा – उधार लेने वाले द्वारा अपनी अपील को पोषणीय बनाए

पृष्ठ संख्या

रखे जाने हेतु अपीली अधिकरण के समक्ष पंद्रह लाख रुपए की रकम जमा कराया जाना – इस जमा रकम को ऋण की रकम के परिसमापन के लिए जमा की गई रकम नहीं माना जा सकता और इस जमा के आधार पर प्रतिभूत आस्तियों के मोचन का दावा नहीं किया जा सकता ।

अवशेष जायसवाल बनाम **शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक और अन्य** 723

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26)

– धारा 16(2) [सपठित प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 की धारा 41] – माध्यस्थम् की अधिकारिता का वर्जन – अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार के अंतर्गत अनुज्ञप्तिदाता और अनुज्ञप्तिधारी के मध्य प्रतिभूत जमा की वापसी के लिए विवाद – करार के अंतर्गत अनुज्ञप्ति पर दिए गए परिसर के अनुज्ञप्ति शुल्क का समायोजन प्रतिभूत जमा की रकम से किया जा सकता था, अत: विवाद अनुज्ञप्ति पर दिए गए परिसर के कब्जे की प्राप्ति से संबंधित नहीं था – प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के उपबंध आकर्षित नहीं होते – मध्यस्थ को विवाद निर्णीत करने की अधिकारिता प्राप्त है ।

ए. एस. पटेल ट्रस्ट, मुंबई और एक अन्य बनाम **वाल स्ट्रीट फाइनेंस लिमिटेड, मुंबई** 816

– धारा 34 – पंचाट का अपास्त किया जाना – पक्षों के मध्य निष्पादित अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार के

पृष्ठ संख्या

अंतर्गत अनुज्ञप्ति पर दिए गए परिसर का रिक्त और शांतिपूर्वक कब्जा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्तिदाता को प्रदान कर दिया जाना और प्रतिभूत जमा की वापसी का विवाद शेष रह जाना – अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस बाबत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि उसने प्रतिभूत जमा और अनुज्ञप्ति शुल्क का संदाय कर दिया है – अनुज्ञप्तिदाता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को संदेय रकम के बाबत अपने अभिवाक् को मान्य ठहराए जाने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहना – मध्यस्थ द्वारा अधिशेष प्रतिभूत जमा की रकम के संदाय के लिए अनुज्ञप्तिदाता को निर्देशित किया जाना उचित पाया गया ।

ए. एस. पटेल ट्रस्ट, मुंबई और एक अन्य बनाम **वाल स्ट्रीट फाइनेंस लिमिटेड, मुंबई** 816

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4)

– धारा 44 – संयुक्त परिवार की संपत्ति के सह-स्वामी द्वारा क्रेता को अचल संपत्ति का अंतरण – वादपत्र में सह-स्वामियों के अविभाजित परिवार से संबंधित किसी रिहायशी मकान की विद्यमानता दर्शित न किया जाना – अधिवक्ता आयुक्त द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट से यह दर्शित होना कि वादग्रस्त संपत्ति के आसपास सभी सह-स्वामियों के अपने-अपने मकान हैं – सह-स्वामियों का यह अभिवाक् कि संबंधित दस्तावेजों में वादग्रस्त संपत्ति को ऐसी भूमि के रूप में दर्शित किया जाना जिस पर अविभाजित परिवार से संबंधित रिहायशी मकान विद्यमान है, धारा 44 के द्वितीय पैराग्राफ की अपेक्षा को पूर्ण करता है, मान्य नहीं ठहराया जा सकता

पृष्ठ संख्या

– धारा 44 के द्वितीय पैराग्राफ के उपबंध लागू नहीं होते और प्रतिवादी-अंतरिती खरीदी गई संपूर्ण संपत्ति के उपभोग का हकदार है ।

बलाई चंद साऊ और अन्य बनाम **बृन्दाबन दशाधिकारी और अन्य** 797

संविधान, 1950

– अनुच्छेद 14 और 226 [सपठित उत्तर प्रदेश राज्य एल. आर. मैनुअल का पैरा 7.03, 7.06(3) और 7.10] – जिला न्यायालयों में सरकार की ओर से मामलों के संचालन और पैरवी के लिए जिला सरकारी काउंसेलों/जिला सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति – प्रक्रिया – सरकार द्वारा जिला न्यायाधीश और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों की सूची से भिन्न व्यक्ति की डी. जी. सी. (दांडिक) के रूप में नियुक्ति – विधिमान्यता – नियुक्ति की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिला न्यायाधीश से परामर्श या अभ्यर्थियों की छंटनी सूची बनाने के लिए जिला न्यायाधीश द्वारा गठित समिति सम्मिलित है, एक ऋजु प्रक्रिया है – जिला स्तर पर सरकारी काउंसेलों अर्थात् अपर जिला सरकारी काउंसेल और सहायक डी. जी. सी. के पदों पर नियुक्तियां करते समय आवश्यक रूप से ऋजु प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए न कि नियुक्तियां राजनैतिक आधार पर की जानी चाहिए ।

अनिल कुमार राठौर बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** 753

पृष्ठ संख्या

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)

– आदेश 39, नियम 1 – अस्थायी व्यादेश के लिए आवेदन – वादी द्वारा प्रतिवादियों के विरुद्ध भूमि पर से बेकब्ज़ा करने और फसल काटने से रोकने के लिए अनुतोष मांगा जाना – वादी द्वारा खतौनी, खसरा और कब्ज़ा-पत्र द्वारा अपना कब्जा और सुविधा का संतुलन साबित किया जाना – प्रतिवादियों द्वारा अपने स्वामित्व और क़ब्जे के बारे में कोई दस्तावेज पेश न किया जाना – अस्थायी व्यादेश ठीक ही मंजूर किया गया है ।

प्रताप और एक अन्य बनाम **अनिल** 788

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25)

– धारा 13(1)(i), (ia), (ib) – विवाह-विच्छेद – क्रूरता, अधित्यजन और जारता – जहां पति क्रूरता, अधित्यजन को साबित करने में असफल रहा क्योंकि पत्नी पति द्वारा घर से निकाले जाने के पश्चात् अलग रह रही थी, अतः पति विवाह-विच्छेद का हकदार नहीं है ।

सुसैन भंडारी बनाम **तुम्पा भंडारी** 808

(2019) 2 सि. नि. प. 723 इलाहाबाद

अवशेष जायसवाल

बनाम

शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक और अन्य

तारीख 28 जनवरी, 2019

(2018 की सिविल रिट याचिका संख्या 35869)

न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता अग्रवाल

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूत हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) [सपठित सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 27 और प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 और 9] – धारा 13(4) – उधार लेने वाले द्वारा प्रतिभूत आस्तियों की नीलामी द्वारा विक्रय को 30 दिनों की स्पष्ट सूचना की तामीली की विधिमान्यता के आधार पर चुनौती दिया जाना – उधार लेने वाले द्वारा यह अभिवाक् कि उसके ऊपर 30 दिनों की स्पष्ट सूचना की तामीली नहीं हुई – बैंक द्वारा सूचना की तामीली साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ स्पीड पोस्ट की रसीदें फाइल किया जाना – उधार लेने वाले द्वारा स्पीड पोस्ट की रसीदों की सत्यता और प्रमाणिकता का खंडन किए जाने के प्रयोजनार्थ अभिलेख पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत न किया जाना – प्रतिभूत आस्तियों की नीलामी द्वारा विक्रय विधिमान्य है और उसकी विधिमान्यता को चुनौती नहीं दी जा सकती ।

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूत हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) – धारा 13(4) और 18 – प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 और 9 – प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में प्रतिभूत हित का प्रवर्तन – उधार लेने

वाले द्वारा बंधक संपत्ति का मोचन कराए जाने का दावा – उधार लेने वाले द्वारा अपनी अपील को पोषणीय बनाए रखे जाने हेतु अपीली अधिकरण के समक्ष पंद्रह लाख रुपए की रकम जमा कराया जाना – इस जमा रकम को ऋण की रकम के परिसमापन के लिए जमा की गई रकम नहीं माना जा सकता और इस जमा के आधार पर प्रतिभूत आस्तियों के मोचन का दावा नहीं किया जा सकता ।

संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी बैंक ने 2002 के प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (संक्षेप में '2002 का सरफेसी अधिनियम') के अधीन याची के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ कीं और 2002 के सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन तारीख 15 अप्रैल, 2011 की मांग की सूचना और उसके पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन कब्जे की सूचना जारी की । उधार लेने वाले/याची ने ऋण का संदाय नहीं किया और इसलिए बैंक बंधक संपत्ति अर्थात् प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय के लिए अग्रसर हुआ । प्रथम नीलामी विक्रय, जो तारीख 26 मार्च, 2013 को होना निर्धारित था, सफल नहीं हो सका और तत्पश्चात् तारीख 6 नवंबर, 2013 की नीलामी की तारीख निर्धारित करते हुए तारीख 27 सितंबर, 2013 के समाचारपत्रों में एक नई सूचना प्रकाशित की गई । प्रतिभूत आस्तियों को तारीख 6 नवंबर, 2013 को बेच दिया गया और तारीख 27 नवंबर, 2013 को विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया गया । उधार लेने वाले/याची ने तारीख 7 जनवरी, 2014 को इलाहाबाद स्थिति ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्तियों की नीलामी कार्यवाही और विक्रय को चुनौती देते हुए सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के अधीन आवेदन इस आधार पर फाइल किया कि उस पर 2002 के प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 (6) सपठित नियम 9(1) के अधीन अपेक्षित आज्ञापक सूचना तामील नहीं की गई और इसलिए प्रतिभूत हित का विक्रय अवैध है । ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्यवाही में उधार लेने वाले ने भी 2002 के सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के अधीन यह प्रकथन करते हुए आवेदन किया कि वह बैंक

के समस्त देयों का संदाय करने के द्वारा बंधक के मोचन के लिए तैयार और इच्छुक है । प्रत्यर्थी बैंक ने तारीख 21 जनवरी, 2014 को आक्षेप फाइल करते हुए उक्त आवेदन का विरोध किया । ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष कार्यवाही तारीख 11 मई, 2015 के आदेश द्वारा समाप्त हुई जिसके द्वारा नीलामी द्वारा विक्रय की विधिमान्यता को याची/उधार लेने वाले द्वारा फाइल किए गए आक्षेपों को नामंजूर कर दिया गया । परिणामत:, प्रतिभूतिकरण आवेदन को गुणागुण के आधार पर खारिज कर दिया गया । इस आदेश को अपील में चुनौती दी गई जिसको ऋण वसूली अपीली अधिकरण द्वारा तारीख 25 जुलाई, 2018 को पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया । अत:, यह याचिका फाइल की गई । याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – हमारे समक्ष उपस्थित मामले में तारीख 6 नवंबर, 2013 को आयोजित नीलामी विक्रय की सूचना तारीख 5 अक्तूबर, 2013 को रजिस्ट्रीकृत पोस्ट/स्पीट पोस्ट द्वारा भेजी गई थी । डाकघर द्वारा तारीख 5 अक्तूबर, 2013 को पूर्वाह्न 9.40 पर जारी की गई स्पीट पोस्ट की रसीद की प्रति ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष वर्तमान प्रतिभूतिकरण आवेदन कार्यवाही की अंतिम सुनवाई के समय फाइल किए गए आवेदन के साथ फाइल की गई थी । उक्त दस्तावेज को ऋण वसूली अधिकरण द्वारा तारीख 22 सितंबर, 2014 के आदेश द्वारा साक्ष्य में स्वीकर कर लिया गया था । ऋण वसूली अधिकरण ने तारीख 11 मई, 2015 के आदेश के पैरा 6 में आगे अभिलिखित किया है कि आवेदक के काउंसेल ने निवेदन किया कि अभिलेख पर स्वीकार किए गए उक्त दस्तावेजों के विरुद्ध कोई भी एतराज उसको खंडन का अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद फाइल नहीं किया गया । आवेदक खंडन में कोई भी दस्तावेज फाइल कर पाने में विफल रहा है । आवेदक के काउंसेल ने अंतिम दलीलों के समय और अपने लिखित कथन में निवेदन किया कि उक्त दस्तावेजों को अभिवचनों के अभाव के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता था और उन्होंने आगे निवेदन किया कि वे छलयोजित/निर्मित दस्तावेज हैं चूंकि तीनों पोस्टल रसीदों में जारी किए

जाने का एक ही समय अर्थात् पूर्वाह्न 9.40 अंकित नहीं हो सकता । पुन:, उपरोक्त रसीदों द्वारा नोटिस भेजे जाने की तारीख अर्थात् तारीख 5 अक्तूबर, 2013 को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार करते हुए कि अक्तूबर के माह में 31 दिन होते हैं, यह अभिनिर्धारित किया गया कि आवेदक/उधार लेने वाले पर 30 दिन की स्पष्ट सूचना तामील की गई थी । अगले दिन अर्थात् तारीख 6 अक्तूबर, 2013 को रविवार होने के कारण सूचना की तामीली की असंभाव्यता के संबंध में उधार लेने वाले के प्रकथन पर भी सम्यक् रूप से विचार किया गया है । अपीली अधिकरण ने ऋण वसूली अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की पुष्टि भिन्न परिप्रेक्ष्य में की थी । तथापि, मामले का केंद्र बिंदु यह है कि बैंक ने तारीख 5 अक्तूबर, 2013 को स्पीट पोस्ट द्वारा नियम 8(6) के अधीन सूचना भेजे जाने को साबित किया था । उपधारणा सामान्य तारीख पर सूचना की तामीली के संबंध की गई है । जहां तक याची/उधार लेने वाले का 2002 के सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार विक्रय के पुष्टिकरण के पूर्व बंधक के मोचन के अधिकार की ईप्सा का अभिवाक् है, अभिलेख पर इस बात को साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि उसको प्रतिभूत लेनदार द्वारा उपगत समस्त लागतों/प्रभारों और व्ययों के साथ संपूर्ण देयों की जानकारी विक्रय या अंतरण के लिए तारीख निर्धारित किए जाने के पूर्व किसी भी समय पर दी गई थी । इस प्रकार तारीख 6 नवंबर, 2013 को प्रतिभूत आस्ति की नीलामी द्वारा विक्रय के प्रयोजनार्थ अग्रसर होने की प्रतिभूत लेनदार द्वारा की गई कार्रवाई को अवैध या 2002 के नियम के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अतिलंघन में नहीं कहा जा सकता । यहां पर इस बात का उल्लेख किया जाना संदर्भ से हटकर नहीं होगा कि वर्तमान याचिका में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार बैंक के अधिशेष देय, जैसाकि समाचारपत्रों में उपदर्शित किया गया है, वसूली की तारीख तक ब्याज, लागतों, प्रभारों और व्ययों सहित लगभग 16,00,000/- (सोलह लाख रुपए) था । जबकि ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष भी उधार लेने वाले ने 10,00,000/- (दस लाख रुपए) की रकम

जमा की थी । उसके द्वारा अपनी अपील की पोषणीयता को बनाए रखे जाने के प्रयोजनार्थ 5,00,000/- (पांच लाख रुपए) की रकम अपीली अधिकरण के समक्ष जमा की गई थी, जिनके बारे में यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि ये सभी जमाएं उसके द्वारा अपने ऋण के परिसमापन के प्रयोजनार्थ की गई थी । अत:, 15,00,000/- (पंद्रह लाख रुपए) की कुल रकम पर विचार करते हुए, जिसको उधार लेने वाले द्वारा ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीली अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम के दौरान जमा किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता कि उसने संपूर्ण रकम 2002 के सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के अधीन संपत्ति/प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए हकदार होने का दावा किए जाने के प्रयोजनार्थ की थी । (पैरा 23, 24, 26, 27, 31 और 32)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	(2014) 5 एस. सी. सी. 610 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 50 : **मैथ्यू वर्घीस** बनाम **एम. अम्मिथा कुमार और अन्य** ;	10
[2014]	(2014) 5 एस. सी. सी. 610 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 1947 : **वासू पी. शेट्टी** बनाम **होटल वंदना पैलेस और अन्य** ;	10
[2014]	ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 1710 : **जे. राजीव सुब्रहमणयम और एक अन्य** बनाम **मैसर्स पांडियाज और अन्य** ;	10
[2012]	ए. आई. आर. 2012 आंध्र प्रदेश 85 : **कंजीरापल्ली और अन्य** और **हाजी अब्दुल गनी** बनाम **सेंट्रल बैंक आफ इंडिया** ;	11

[2011] ए. आई. आर. 2011 केरल 78 :

मैसर्स के. आर. एस. लैटेक्स (इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) और अन्य बनाम **फेडरल बैंक लिमिटेड** । 11

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2018 की सिविल रिट याचिका संख्या 35869.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री राजकुमार तिवारी और कुशलकांत

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री प्रशांत श्रीवास्तव और मनोज कुमार श्रीवास्तव

आदेश

याची की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताओं श्री राजकुमार तिवारी और श्री कुशलकांत और प्रत्यर्थी/बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को सुना ।

2. वर्तमान याचिका 2004 की द्वितीय अपील संख्या 10 (**अवशेष जायसवाल** बनाम **शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक और अन्य**) और 2015 की अपील संख्या 121 (**अवशेष जायसवाल** बनाम **शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक और अन्य**) में इलाहाबाद स्थित ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीली अधिकरण द्वारा तारीख 11 मई, 2015 और 25 अगस्त, 2018 को अलग-अलग पारित आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई है ।

3. वर्तमान याचिका को निर्णीत किए जाने के प्रयोजनार्थ सुसंगत संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी बैंक ने 2002 के प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (संक्षेप में '2002 का सरफेसी अधिनियम') के अधीन याची के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ कीं और 2002 के सरफेसी अधिनियम की धारा

13(2) के अधीन तारीख 15 अप्रैल, 2011 की मांग की सूचना और जिसके पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन कब्जे की सूचना जारी की गई ।

4. उधार लेने वाले/याची ने (ऋण का) संदाय नहीं किया और इसलिए बैंक बंधक संपत्ति अर्थात् प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय के लिए अग्रसर हुआ । प्रथम नीलामी विक्रय, जो तारीख 26 मार्च, 2013 को होना निर्धारित था, सफल नहीं हो सका और तत्पश्चात् तारीख 6 नवंबर, 2013 की नीलामी की तारीख निर्धारित करते हुए तारीख 27 सितंबर, 2013 को समाचारपत्रों में एक नई सूचना प्रकाशित की गई ।

5. प्रतिभूत आस्तियों को तारीख 6 नवंबर, 2013 को बेच दिया गया और तारीख 27 नवंबर, 2013 को विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया ।

6. उधार लेने वाले/याची ने तारीख 7 जनवरी, 2014 को इलाहाबाद स्थिति ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्तियों की नीलामी कार्यवाही और विक्रय को चुनौती देते हुए सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के अधीन आवेदन इस आधार पर फाइल किया कि उस पर 2002 के प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम (जिसको इसमें इसके पश्चात् '2002 का नियम' कहकर निर्दिष्टि किया गया है) के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के अधीन अपेक्षित आज्ञापक सूचना तामील नहीं की गई और इसलिए प्रतिभूत हित का विक्रय अवैध है ।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्यवाही में उधार लेने वाले ने भी 2002 के सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के अधीन यह प्रकथन करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर दिया था कि वह बैंक के समस्त देयों का संदाय करने के द्वारा बंधक के मोचन के लिए तैयार और इच्छुक है । प्रत्यर्थी बैंक ने तारीख 21 जनवरी, 2014 को आक्षेप फाइल करते हुए उक्त आवेदन का विरोध किया । ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष कार्यवाही तारीख 11 मई, 2015 के आदेश द्वारा समाप्त हुई जिसके द्वारा नीलामी द्वारा विक्रय की विधिमान्यता को याची/उधार लेने वाले द्वारा फाइल किए गए आक्षेपों को नामंजूर कर दिया गया । परिणामतः, प्रतिभूतिकरण आवेदन को गुणागुण के आधार पर खारिज कर दिया गया ।

इस आदेश को अपील में चुनौती दी गई जिसको ऋण वसूली अपीली अधिकरण द्वारा तारीख 25 जुलाई, 2018 को पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया । अतः, यह याचिका फाइल की गई ।

8. आक्षेपित आदेशों को वर्तमान याचिका में यह प्रकथन करते हुए चुनौती दी गई है कि तारीख 6 नवंबर, 2013 को आयोजित नीलामी विक्रय 2002 के नियम के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के अधीन विहित आज्ञापक प्रक्रिया के अननुपालन के कारण पूर्णतया अवैध था ।

9. यह दलील दी गई है कि नियम 8(6) की अचल "प्रतिभूत आस्तियों" के विक्रय के पूर्व स्पष्ट रूप से 30 दिनों के नोटिस की तामीली की अपेक्षा करता है । नियम 9(1) उपबंधित करता है कि किसी भी अचल संपत्ति का विक्रय उस तारीख के 30 दिनों के व्यतीत हो जाने के पूर्व नहीं किया जाएगा जिस पर विक्रय की सार्वजनिक सूचना को समाचारपत्रों में प्रकाशित किया गया है या विक्रय की सूचना को उधार लेने वाले पर तामील किया गया है । जैसाकि हमारे समक्ष उपस्थित मामले में घटित हुआ है, स्पष्ट रूप से 30 दिन की सूचना न तो उधार लेने वाले को दी गई थी और न ही नियम 8(6) और नियम 9(1) की अपेक्षाओं को पूरा किया गया है । अतः, विक्रय असंवैधानिक है और अपास्त किए जाने योग्य है ।

10. **मैथ्यू वर्घीस** बनाम **एम. अमिथा कुमार और अन्य**[1], **वासू पी. शेट्टी** बनाम **होटल वंदना पैलेस और अन्य**[2] **और जे. राजीव सुब्रह्मणयम और एक अन्य** बनाम **मैसर्स पांडियाज और अन्य**[3] वाले मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का अवलंब यह निवेदन किए जाने के प्रयोजनार्थ लिया गया है कि 30 दिनों की सूचना की तामीली की अनुपस्थिति में अर्थात् नियम 8 और नियम 9(1) के उपबंधों का अनुपालन किए बिना अचल प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय असंवैधानिक होगा और उसको अकृत और शून्य अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए ।

---

[1] (2014) 5 एस. सी. सी. 610 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 50.

[2] (2014) 5 एस. सी. सी. 610 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 1947.

[3] ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 1710.

11. **मैसर्स के. आर. एस. लैटेक्स (इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) और अन्य** बनाम **फेडरल बैंक लिमिटेड**[1] वाले मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय **कंजीरापल्ली और अन्य** और **हाजी अब्दुल गनी** बनाम **सेंट्रल बैंक आफ इंडिया**[2] वाले मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को भी इसी बिंदु पर बल दिए जाने के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट किया गया ।

12. आगे यह निवेदन किया गया कि बंधककर्ता का मोचन का अधिकार बंधकदार द्वारा रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा विक्रय की समाप्ति तक बना रहता है अर्थात् जब तक कि विक्रय रजिस्ट्रीकरण द्वारा पूर्ण नहीं हो जाता, बंधककर्ता का मोचन का अधिकार समाप्त नहीं होता । हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले में बंधक के मोचन के लिए याची द्वारा ऋणी वसूली अधिकरण के समक्ष विक्रय की समाप्ति के पूर्व दिए गए प्रस्ताव का अनदेखा नहीं किया जा सकता था ।

13. आगे, यह निवेदन किया गया कि तारीख 29 सितंबर, 2013 की सूचना तारीख 5 अक्तूबर, 2013 को भेजी गई थी । अगला दिन अर्थात् 6 अक्तूबर, 2013 को रविवार था, इसलिए यह सूचना अधिक से अधिक तारीख 7 अक्तूबर, 2013 को हस्तगत की जा सकती थी । इसलिए यह उपधारणा करते हुए भी कि सूचना की तामीली तारीख 7 अक्तूबर, 2013 को हो गई थी, तारीख 6 नवंबर, 2013 को आयोजित नीलामी विक्रय के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह याची पर सूचना की तामीली के 30 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् की गई थी । चूंकि स्पष्ट रूप से 30 दिनों का समय नहीं दिया गया, विक्रय मात्र इसी आधार पर अपास्त किए जाने योग्य है । ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीली अधिकरण, दोनों ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि कारित की है कि वर्तमान मामले में 2002 के नियम का नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) की अपेक्षा पूर्ण कर दी गई है और 30 दिन की सूचना की तामीली कर दी गई है । उन्होंने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि कारित की कि याची/उधार लेने वाला बंधक का मोचन कराने के

---

[1] ए. आई. आर. 2011 केरल 78.

[2] ए. आई. आर. 2012 आंध्र प्रदेश 85.

लिए आगे नहीं आया और मोचन की ईप्सा करने का उसका अधिकार प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय के पश्चात् शेष नहीं रहता ।

14. उक्त निवेदन में यह उल्लेख किया जाना सुसंगत है कि 2002 के नियम का नियम 8(6) के अधीन सूचना की आज्ञापक प्रकृति और नियम 9(1) की अपेक्षा के संबंध में विधिक स्थिति वस्तुत: सुस्थापित है चूंकि 30 दिनों की सूचना के व्यतीत हो जाने के पूर्व संचालित विक्रय, प्रकाशन की तारीख या उधार लेने वाले पर तामीली की तारीख, दोनों से मान्य ठहराई नहीं जा सकती । 30 दिनों की सूचना दिए जाने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से पूर्व अपेक्षा है जो नियम 8(6) को मात्र पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है । यद्यपि नियम 9(1) के अधीन अधिरोपित प्रतिषेध उपदर्शित करता है कि 30 दिनों की अवधि की संगणना या तो प्रकाशन की तारीख से की जा सकती है या सूचना की तारीख से, किंतु समाचारपत्रों में विक्रय के प्रकाशन द्वारा उधार लेने वाले को 30 दिनों की सूचना दिए जाने की उप-नियम (6) की अपेक्षा का अनदेखा या उसका अधित्यजन नहीं किया जा सकता ।

15. **मैथ्यू वर्घीस** (उपरोक्त) वाले मामले में सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) सपठित 2002 के नियम 8 और 9 के निर्वचन का प्रश्न उद्भूत हुआ । इस मामले में धारा 13(8) के उपबंधों के परीक्षण के उपरांत यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त उपबंध उधार लेने वाले को प्रतिभूत ऋणी को विक्रय या अंतरण के लिए निर्धारित तारीख के पूर्व किसी भी समय बिंदु पर प्रतिभूत ऋणी द्वारा उपगत लागतों, प्रभारों और व्ययों के साथ देयों का संदाय करने का अधिकार प्रदान करता है । यदि इस प्रकार से एक बार संदाय किया जाता है, जैसाकि उक्त उपबंध में अनुध्यात है, तो आज्ञा यह है कि प्रतिभूत आस्ति का विक्रय या अंतरण प्रतिभूत ऋणी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए । अत:, यह उपबंध कहता है कि प्रतिभूत आस्ति के अंतरण या विक्रय के लिए प्रतिभूत ऋणी द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए । इस मामले में जो आकस्मिकता अनुध्यात की गई है वह यह है कि उधार लेने वाला लागतों, प्रभारों इत्यादि को सम्मिलित करते हुए अपने देयों का संदाय

विक्रय या अंतरण के लिए निर्धारित तारीख के पूर्व करेगा । अत:, सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के अधीन किसी उधार लेने वाले, जो प्रतिभूत आस्ति का स्वामी है, का मूल्यवान अधिकार अंत:स्थापित है और जिसको इस बाबत अवसर प्रदान किया गया है कि वह अंतिम क्षण, जिसके पहले उक्त विक्रय या अंतरण प्रभावी किया जाना है, तक विक्रय या अंतरण को रोकने के लिए समस्त प्रयास कर सके ।

16. आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त उपबंध सरफेसी अधिनियम में प्राथमिकत: उधार लेने वाले के अधिकार को संरक्षित किए जाने को दृष्टि में रखते हुए अधिकथित किया गया है, चूंकि इस प्रकार का स्वामित्व संबंधी अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 300क, जो यह आज्ञा देता है कि "किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं" के अधीन संरक्षित है । इसके विपरीत प्रतिभूत ऋणी प्रतिभूत आस्ति के न्यासी के रूप में कार्य करते हैं और वे इसका निस्तारण केवल सरफेसी अधिनियम में विहित तरीके में ही कर सकते हैं । इसलिए प्रतिभूत लेनदार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि उधार लेने वाले को अपेक्षित अवसर प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ स्पष्ट रूप से उस तारीख और समय की सूचना दी गई थी जिस तक विक्रय या अंतरण प्रभावी किया जाना है ताकि वह अपनी संपत्ति को पुन: प्राप्त करने के लिए समस्त संभव कार्रवाई कर सके या कम से कम इस बात को सुनिश्चित कर सके कि प्रतिभूत आस्ति के विक्रय से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके और प्रतिभूत लेनदार या उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति को सरफेसी अधिनियम के अधीन आरंभ की गई कार्यवाही को दृष्टि में रखते हुए उधार लेने वाले की स्थिति का अनुचित लाभ उठाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जानी चाहिए । इसके अलावा सरफेसी अधिनियम की धारा 13(1) के अधीन प्रतिभूत लेनदार को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए कि वह न्यायालय या अधिकरण की शरण में जाए बिना संपत्ति का विक्रय करा सके ।

17. नियम 2002 के नियम 8 और 9 के अधीन प्रक्रिया का परिशीलन करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया गया कि अचल

प्रतिभूत आस्ति के विक्रय में परिणित करने वाली विस्तृत प्रक्रिया, जिसे नियम 8 और 9(1) के अधीन विहित किया गया है, को दोहरे उद्देश्यों को अभिप्राप्त करना है । प्रथमत: धारा 13(1) सपठित नियम 8(6) और नियम 9(1) में समाविष्ट उपबंध को दृष्टि में रखते हुए स्वामी/उधार लेने वाले को 30 दिनों का स्पष्ट नोटिस उस तारीख और समय के पहले दिया जाना चाहिए जिस पर प्रतिभूत आस्ति का विक्रय और अंतरण किया जाएगा । चूंकि केवल इसी के आधार पर स्वामी/उधार लेने वाला उस तारीख और समय के पूर्व प्रतिभूत लेनदार के देयों का संदाय करने के द्वारा अपने स्वामित्व को बनाए रखने के समस्त प्रयास करने के समर्थ हो सकेगा । द्वितीयत:, जब कोई प्रतिभूत आस्ति को विक्रय के लिए निर्धारित किया जाता है, तो वह क्रेता जो उसे क्रय करने का आशय रखता है, को संपत्ति की प्रकृति, उक्त संपत्ति से संबंधित दायित्वों के परिमाण, उक्त संपत्ति से संबंधित किसी अन्य प्रभार, वह न्यूनतम मूल्य जिससे निम्नतर मूल्य पर कोई भी प्रतिभूत लेनदार से उधार लेने वाले के संपूर्ण दायित्वों के बाबत बोली नहीं लगा सकता, के बारे में जानना चाहिए । अत:, उप नियम (6) भी विक्रय के लिए निर्धारित संपत्ति के बारे में संपूर्ण विवरणों को जानने के बाबत क्रय करने का आशय रखने वाले क्रेता के हितों को संरक्षित करता है । तथापि, इस उपबंध का सर्वोपरि उद्देश्य उधार लेने वाले को पर्याप्त समय और अवसर प्रदान करना है ताकि वह या तो विक्रय या अंतरण की तारीख और समय के पूर्व लेनदार के देयों का संदाय करने के द्वारा या इस बात को सुनिश्चित करने के द्वारा कि प्रतिभूत आस्ति ने न्यूनतम मूल्य अभिप्राप्त कर लिया और किसी को भी उस सहज भेद स्थिति का अनुचित लाभ उठाने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की गई है जिसमें उधार लेने वाला वर्तमान में फंसा हुआ है, स्वामित्व से संबंधित अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए समस्त प्रयास कर सके । इस बात पर भी विचार किया गया कि बंधक विलेख में न्यायालय द्वारा मध्यक्षेप के बिना विक्रय की शक्ति को मात्र प्रदत्त किए जाने से ही बंधककर्ता को मोचन कराने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा ।

18. मोचन के अधिकार का विलोपन रजिस्ट्रीकृत विलेख के

निष्पादन का पश्चात्वर्ती अधिकार होना चाहिए चूंकि मोचन की साम्या मात्र विक्रय के प्रयोजनार्थ की गई संविदा द्वारा विलोपित किए जाने योग्य नहीं होती । अत:, मोचन कराने का बंधककर्ता का अधिकार बना रहेगा जबतक कि बंधकदार द्वारा रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा विक्रय को संपूर्णता प्रदान नहीं कर दी जाती । अत: विनिश्चयानुपात यह है कि विक्रय की शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि बंधककर्ता पर मूल राशि के संदाय की अपेक्षा करने वाली लिखित में सूचना तामील नहीं कर दी जाती ।

19. अत:, पैरा 53 में जो निष्कर्ष निकाला गया वह निम्नलिखित है :-

> "53. अत:, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि जब तक कि उधार लेने वाले को 30 दिनों की स्पष्ट सूचना नहीं दे दी जाती, प्रतिभूत लेनदार द्वारा किसी भी विक्रय या अंतरण का आश्रय नहीं लिया जा सकता । यदि ऐसे किसी भी विक्रय, जिसको उधार लेने वाले को 30 दिनों की स्पष्ट सूचना दिए जाने के पश्चात् युक्तियुक्त रूप से अधिसूचित किया गया है, को नहीं किया जाता जैसाकि उन कारणोंवश आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया था, जिनको अकेले उधार लेने वाले पर ही आरोप्य नहीं कहा जा सकता, तो प्रतिभूत लेनदार प्रतिभूत आस्ति के विक्रय या अंतरण को किसी अन्य पश्चात्वर्ती तारीख पर पूर्व में जारी की गई अधिसूचना का अवलंब लेते हुए प्रभावी नहीं कर सकता । अन्य शब्दों में, यदि नियम 8 और 9 सपठित धारा 13(8) के अधीन जारी की गई सूचना के मतावलंबन में विक्रय, जिसके लिए संपूर्ण दोष अकेले उधार लेने वाले को नहीं दिया जा सकता, तो यह अनिवार्य होगा कि विक्रय को प्रभावी किए जाने के लिए ऊपर विहित प्रक्रिया का पुन: पालन किया जाए, चूंकि पूर्व में जारी की गई सूचना व्यतीत हो जाएगी । उस संबंध में एकमात्र अन्य उपबंध जिसका उल्लेख किया जाता है, नियम 8 का उप नियम (8) है जिसके अनुसार सार्वजनिक नीलामी या सार्वजनिक निविदा के अलावा किसी अन्य पद्धति द्वारा विक्रय उन शर्तों के अधीन किया

जा सकता है जैसाकि पक्षों के मध्य लिखित में स्थिरीकृत किया गया हो । जहां तक उप नियम (8) का संबंध है, ऊपर निर्दिष्ट पक्ष केवल प्रतिभूत लेनदारों और उधार लेने वाले को ही निर्दिष्ट कर सकते हैं । इसलिए यह अनिवार्य है कि धारा 13(8) के अधीन प्रभावी किए जाने योग्य विक्रय के लिए नियम 8 सपठित नियम 9(1) के अधीन विहित प्रक्रिया का आवश्यक रूप से अनुसरण किया जाना चाहिए । चूंकि यह विक्रय को प्रभावी बनाए जाने के प्रयोजनार्थ विधि का आदेश है, जैसाकि हमारे द्वारा धारा 13(1), 13(8) और 37 सपठित धारा 29 और नियम 15 को निर्दिष्ट करते हुए पूर्ववर्ती पैरों में विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया गया है । हमारी सुविचारित राय में कोई अन्य अर्थान्वयन सरफेसी अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमणकारी होगा, विशेष रूप से उक्त अधिनियम की धारा 13(1) और (8) का ।"

20. **जैसाकि मैथ्यू वर्घीस** (उपरोक्त) वाले मामले में अभिकथित विधिक स्थिति का अनुसरण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तारीख 14 मार्च, 2014 को दिए गए एक अन्य निर्णय **जे. राजू सुब्रह्मणयम** (उपरोक्त) वाले मामले में किया गया है और इसी मामले का पुन: अनुसरण **बासू पी. सेट्टी** (उपरोक्त) वाले मामले में किया गया है ।

21. **बासू पी. सेट्टी** (उपरोक्त) वाले मामले के सुसंगत पैरा 12 और 13 को नीचे उद्धृत किया गया है :-

"12. आरंभिकत:, हम यह उल्लेख करते हैं कि नियम के नियम 8 के उप नियम (5) और (6) के निर्वचन के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार त्रुटिहीन है । इस संबंध में यह उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण होगा कि इस न्यायालय द्वारा मुद्रण की अनुमति प्रदान की गई है चूंकि इन उपबंधों के सदृश्य अर्थान्वयन समनुदेशित है । मैथ्यू वर्घीस **बनाम** एम. अमृथा कुमार और अन्य वाला मामला [2014(2) स्केल. 331 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 50] । पूर्वोक्त निर्णय का अनुसरण इस न्यायालय की इसी न्यायपीठ द्वारा जे. राजू

सुब्रहमणयम और अन्य **बनाम** एम. पांडियाज और अन्य, ए. आई. आर. (2014) एस. सी. 1710 वाले मामले में किया गया है जिसमें पूर्ववर्ती निर्दिष्ट मामले पर निम्नलिखित शब्दों में चर्चा की गई है –

> "12. इस न्यायालय ने मैथ्यू वर्घीस **बनाम** एम. अमृथा कुमार और अन्य वाले मामले में उस प्रक्रिया का परीक्षण किया जिसका अनुसरण बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा तब किया जाना था जब उधार लेने वाले की प्रतिभूत आस्तियों को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के देयों के निपटारे के लिए बेचे जाने की ईप्सा की जाती है । न्यायालय ने 2002 के सरफेसी अधिनियम के उपबंधों का विस्तारपूर्वक परीक्षण किया । न्यायालय ने उस प्रक्रिया का भी विस्तारपूर्वक परीक्षण किया जिसका अनुसरण बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा 2002 के नियम के अंतर्गत किया जाना था । इस न्यायालय ने नियम 8 पर विचार किया जो अचल प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय से संबंधित है और नियम 9 पर विचार किया जो विक्रय के समय विक्रय प्रमाणपत्र के जारी किए जाने और कब्जे के प्रदान किए जाने इत्यादि से संबंधित है । इस न्यायालय धारा 13(1) के संबंध में मताभिव्यक्ति की कि 2002 की सरफेसी अधिनियम की धारा 13(1) प्रतिभूत लेनदार को न्यायालय या अधिकरण के मध्यक्षेप के बिना प्रतिभूत हित को प्रवर्तित किए जाने के प्रयोजनार्थ स्वतंत्रा प्रदान करती है । किंतु इस प्रकार का प्रवर्तन 2002 के सरफेसी अधिनियम के उपबंधों के कड़ाईपूर्वक पुष्टिकरण में होना चाहिए । तत्पश्चात् जो मताभिव्यक्ति की गई वह निम्नलिखित है –
>
> > '27. इसलिए धारा 13(1) के परिशीलन से इस प्रभाव तक यह बात स्पष्ट हो जाती है कि एक तरफ कोई प्रतिभूत लेनदार अपने पक्ष में सृजित किसी प्रतिभूत आस्ति को बिना किसी न्यायालयिक कार्यवाही

का आश्रय लिए या बिना किसी अधिकरण की शरण में जाए, अपने आप कार्यवाही करके प्रवर्तित कराने का हकदार हो सकता है, तो ऐसा प्रवर्तन सरफेसी अधिनियम के अन्य उपबंधों के सामांजस्य में होगा ।'

13. इस न्यायालय ने **मैथ्यू वर्घीस** वाले मामले [ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 50] में आगे मताभिव्यक्ति की कि 2002 के सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) में समाविष्ट उपबंध विनिर्दिष्ट रूप से उधार लेने वाले के संरक्षण के लिए है चूंकि प्रतिभूत आस्ति का स्वामित्व एक संवैधानिक अधिकार होता है जो उधार लेने वाले में निहित होता है और संविधान के अनुच्छेद 300-क के अधीन संरक्षित होता है, इसलिए प्रतिभूत आस्ति के न्यासी के रूप में प्रतिभूत लेनदार उस संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई व्यवहार नहीं कर सकता और ऐसी किसी भी आस्ति का निस्तारण केवल 2002 के सरफेसी अधिनियम में विहित तरीके से ही किया जा सकता है । इसलिए, लेनदार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि उधार लेने वाले को उस समय और तारीख की सूचना प्रदान कर दी गई थी जिस समय और तारीख तक उधार लेने वाले को अपेक्षित अवसर उपलब्ध कराए जाने, ताकि वह अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करने के लिए सभी संभव कदम उठा सके, के पश्चात् विक्रय या अंतरण को प्रभावी किया जाना था । इस प्रकार की सूचना इस बात को सुनिश्चित किए जाने के प्रयोजनार्थ भी आवश्यक है कि विक्रय की प्रक्रिया इस बात को सुनिश्चित कर देगी कि प्रतिभूत आस्ति उधार लेने वाले को अधिकतम लाभ प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ बेची जाएगी । यह सूचना इस बात को सुनिश्चित किए जाने के प्रयोजनार्थ भी आवश्यक है कि प्रतिभूत लेनदार या उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति 2002 के सरफेसी अधिनियम के अधीन आरंभ की गई कार्यवाही को दृष्टि में रखते हुए स्थिति का अनुचित लाभ लेने की अनुज्ञा प्रदान न की जा सके ।

14. तत्पश्चात्, इस न्यायालय ने पैरा 30 में जो

मताभिव्यक्ति की वह निम्नलिखित है –

> "30. इसलिए, सरफेसी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत समाविष्ट उपबंधों, विशेष रूप से धारा 13(8) को दृष्टि में रखते हुए किसी प्रतिभूत आस्ति का विक्रय या अंतरण उधार लेने वाले को उस विक्रय या अंतरण के समय और तारीख की सम्यक् रूप से सूचना दिए बिना, ताकि उधार लेने वाले को प्रतिभूत लेनदार के समस्त देयों का संदाय समस्त लागतों, प्रभारों और खर्चों सहित करने के समर्थ बनाया जा सके, नहीं किया जा सकता और उक्त कानूनी अपेक्षा का अनुपालन किए बिना प्रभावी किया गया कोई भी विक्रय या अंतरण संवैधानिक अतिक्रमण होगा और अंततः विक्रय को अकृतता प्रदान करेगा ।"

15. जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय ने 2002 के नियम के नियम 8 और 9 का भी परीक्षण किया । नियम 8 और 9(1) के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इन नियमों का अनुपालन किए बिना प्रभावी किया गया कोई भी विक्रय असंवैधानिक होगा और इसलिए अकृत और शून्य होगा ।

16. वर्तमान मामले में इस बात की घोषणा किए जाने के प्रयोजनार्थ एक अतिरिक्त कारण है कि अपीलार्थी के पक्ष में विक्रय अकृत था । पूर्वोक्त नियम का नियम 8(8) निम्नलिखित है –

> "8(8) सार्वजनिक नीलामी या सार्वजनिक निविदा के अतिरिक्त किसी अन्य पद्धति द्वारा विक्रय उन शर्तों के आधार पर होगा जैसाकि पक्षों के मध्य लिखित में स्थिरीकृत किया जाए ।"

17. हमारे समक्ष यह विवादित नहीं है कि पक्षों के मध्य लिखित में कोई भी शर्त इस बाबत स्थिरीकृत नहीं की गई कि विक्रय निजी संधि द्वारा प्रभावित हो सकता है । वास्तव में उधार लेने वालों – प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को बैंक-प्रत्यर्थी संख्या 3

और जी. - विन. के मध्य हुई संयुक्त बैठक, जो तारीख 8 दिसंबर, 2006 को आयोजित की गई थी, में आमंत्रित भी नहीं किया गया था । इसलिए पूर्वोक्त नियमों का स्पष्ट रूप से अतिक्रमण किया गया था जिस कारणवश विक्रय अवैध हो गया ।

18. इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि साधारणतया 2002 के सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत उधार लेने वाले के विरुद्ध कार्यवाही अत्यधिक संकट उत्पन्न करने वाली स्थिति होती है । 2002 के सरफेसी अधिनियम के उपबंध और 2002 के नियम इस बात को सुनिश्चित किए जाने के बाबत अधिनियमित किए गए हैं कि प्रतिभूत आस्ति को किसी गौड़ प्रयोजन के लिए नहीं बेचा जाता है । यह प्रत्याशा की जाती है कि सभी बैंक और वित्तीय संस्थाएं जो 2002 के सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय के लिए अत्यधिक कड़ी कार्यवाही का आश्रय लेते हैं, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आस्तियों का इस प्रकार का विक्रय उधार लेने वाले को उन आस्तियों के विक्रय द्वारा न्यूनतम लाभ पहुंचाते हैं । इसलिए प्रतिभूति लेनदारों से यह प्रत्याशा की जाती है कि वे इस बात को सुनिश्चित किए जाने के प्रयोजनार्थ सद्भावपूर्ण कदम उठाएं कि उन प्रतिभूत आस्तियों से उधार लेने वालों के लाभार्थ अधिकतम रकम प्राप्त हो । वर्तमान मामले में श्री ध्रुव मेहता ने बताया कि विक्रय प्रतिफल आरक्षित मूल्य से मात्र दस हाजार रुपए अधिक है जबकि संपत्ति उससे कहीं अधिक मूल्य की थी । हमारे लिए आवश्यक नहीं है कि हम इस प्रश्न की जांच करें क्योंकि हमारे विचार में विक्रय 2002 के सरफेसी अधिनियम की धारा 13 और 2002 के नियम के नियम 8 और 9 के उपबंधों के अतिक्रमण में होने के कारण शून्य और अकृत है ।"

19. अत: जब मामले पर इस दृष्टिकोण से विचार किया जाना है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार असावधानीपूर्वक व्यक्त किया गया विचार है और त्रुटिपूर्ण है । पूर्वोक्त नियम में समाविष्ट प्रक्रिया का स्वीकृत रूप से अनुपालन नहीं किया गया । इस स्थिति के बावजूद

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री रंजीत कुमार ने निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा जनरल मैनेजर, श्री सिद्धेश्वरा कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड और एक अन्य **बनाम** इकबाल और अन्य [(2013)10 एस. सी. सी. 83] वाले मामले में विपरीत विचार व्यक्त किया है जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 30 दिनों के नोटिस के आज्ञापक उपबंध का उधार लेने वाले द्वारा अधित्यजन किया जा सकता है और ऐसी किसी भी स्थिति में विक्रय को शून्य अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता ।"

22. हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले के तथ्यों का मूल्यांकन पूर्वोक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में किया जाना है ।

23. हमारे समक्ष उपस्थित मामले में तारीख 6 नवंबर, 2013 को आयोजित नीलामी विक्रय की सूचना तारीख 5 अक्तूबर, 2013 को रजिस्ट्रीकृत पोस्ट/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गई थी । डाकघर द्वारा तारीख 5 अक्तूबर, 2013 को पूर्वाह्न 9.40 पर जारी की गई स्पीड पोस्ट की रसीद की प्रति ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष वर्तमान प्रतिभूतिकरण आवेदन कार्यवाही की अंतिम सुनवाई के समय फाइल किए गए आवेदन के साथ फाइल की गई थी । उक्त दस्तावेज को ऋण वसूली अधिकरण द्वारा तारीख 22 सितंबर, 2014 के आदेश द्वारा साक्ष्य में स्वीकार कर लिया गया था । अभिलेख पर उक्त दस्तावेजों को स्वीकार किए जाने के प्रयोजनार्थ ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेश, जिसे तारीख 11 मई, 2015 के आदेश में उद्धृत किया गया है, निम्नलिखित है :-

"मैंने पक्षों के काउंसेल को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया । बैंक ने 2014 के अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 767 द्वारा कतिपय दस्तावेजों के माध्यम से अभिलेख पर विनिर्दिष्ट रूप से नियम 8(6) के अनुपालन के अभिलेख अर्थात् डाक रसीदों के साथ नोटिसों को प्रस्तुत किया है । उक्त दस्तावेज तारीख 22 सितंबर, 2014 के आदेश द्वारा अभिलेख पर लिए गए थे । मैं उक्त तारीख के आदेश, जो गुणागुण पर मामले में अंतर्वलित विवाद्यक के

न्यायनिर्णय के लिए सुसंगत है, को निर्दिष्ट करना चाहूंगा, जो इस प्रकार है –

आवेदक के काउंसेल ने अत्यावश्यकता के आधार पर फाइल किए गए आवेदन और शपथ-पत्र का उत्तर फाइल किया है । नकल की तामीली की गई ।

आवेदक के काउंसेल ने निवेदन किया कि यद्यपि बैंक को ऐसे दस्तावेजों को अभिलेख पर प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु उसे मामले को गुणागुण पर और न्यायसंगत तरीके से निर्णीत किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई एतराज नहीं है यदि दस्तावेजों को लागत दिलाए जाने और खंडन किए जाने के अवसर का आदेश पारित किए जाने के अध्यधीन रहते हुए अभिलेख पर स्वीकार किया जाता है ।

मैंने पक्षों के काउंसेलों को सुना और आवेदक के काउंसेल के कथन को दृष्टि में रखते हुए 2014 के अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 767 द्वारा फाइल किए गए दस्तावेज और शपथ-पत्र 5000/- रुपए की लागत के संदाय की शर्त पर अभिलेख पर स्वीकार किए जाते हैं ।

इस प्रक्रम पर आवेदक के काउंसेल ने निवेदन किया कि उसने आज पहले ही खंडन शपथ-पत्र फाइल कर दिया और उसको अभिलेख पर स्वीकार कर लिया जाए ।

उक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर स्वीकार किया गया चूंकि आवेदक के काउंसेल ने इस पर कोई एतराज नहीं किया और आवेदक को उक्त दस्तावेजों का खंडन करने का अवसर प्रदान किया गया किंतु आवेदक खंडन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर पाने में विफल रहा । आवेदक के काउंसेल ने अंतिम दलील के समय और अपने लिखित बहस में निवेदन किया कि उक्त दस्तावेजों पर अभिवचनों के अभाव में विचार नहीं किया जा सकता और उन्होंने आगे निवेदन किया कि उक्त दस्तावेज छलयोजित हैं चूंकि तीनों पोस्टल रसीदें और

उन रसीदों का तैयार किए जाने का समय पूर्वाह्न 9.40 मिनट दर्शित किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त दस्तावेज छलयोजित हैं ।

मैंने आवेदक की ओर से किए गए निवेदनों पर विचार किया । स्पीड पोस्ट की रसीदें डाक विभाग द्वारा जारी की गईं थीं और किसी रसीद को प्रसंस्कृत किए जाने में कुछ छणों का समय लगता है और एक मिनट के समय में रसीद जारी करने वाला काउंटर आसानी से तीन रसीदें जारी कर सकता है और इसलिए यदि डाक विभाग का लिपिक एक ही समय पूर्वाह्न 9.40 मिनट पर तीन रसीदें जारी करता है तो यह असामान्य या अप्रायिक बात नहीं है । अत: रसीदें वास्तविक हैं जिन पर उनका पार्सल कोड इत्यादि अंकित है । अन्यथा भी आवेदक प्रस्तुत की गई डाक रसीदों की सत्यता और प्रमाणिकता को खंडित करने के लिए आज तक कोई भी सामग्री अभिलेख पर प्रस्तुत करने में विफल रहा ।"

24. ऋण वसूली अधिकरण ने तारीख 11 मई, 2015 के आदेश के पैरा 6 में आगे अभिलिखित किया है कि आवेदक के काउंसेल ने निवेदन किया कि अभिलेख पर स्वीकार किए गए उक्त दस्तावेजों के विरुद्ध कोई भी एतराज उसको खंडन का अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद फाइल नहीं किया गया । आवेदक खंडन में कोई भी दस्तावेज फाइल कर पाने में विफल रहा है । आवेदक के काउंसेल ने अंतिम दलीलों के समय और अपने लिखित कथन में निवेदन किया कि उक्त दस्तावेजों को अभिवचनों के अभाव के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता था और उन्होंने आगे निवेदन किया कि वे छलयोजित/निर्मित दस्तावेज हैं चूंकि तीनों पोस्टल रसीदों में जारी किए जाने का एक ही समय अर्थात् पूर्वाह्न 9.40 अंकित नहीं हो सकता ।

25. आवेदक/उधार लेने वाले द्वारा किया गया उपरोक्त एतराज पर ऋण वसूली अधिकरण द्वारा विचार किया गया है । इस बात को स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि आवेदक द्वारा रसीदों की सत्यता पर आक्रमण करते हुए किए गए खंडन को स्वीकार नहीं किया जा

सकता चूंकि वे कंप्यूटरीकृत रसीदें हैं । यह संभव था कि ये रसीदें एक ही समय अर्थात् पूर्वाहन 9.40 पर तैयार की जा सकती थीं । पुन:, आवेदक द्वारा डाक रसीदों की सत्यता और प्रमाणिकता पर आक्रमण किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई अन्य दस्तावेज फाइल नहीं किया गया यद्यपि इन रसीदों को तारीख 22 सितंबर, 2014 को स्वीकार किए जाते समय उसको पर्याप्त समय प्रदान किया गया था ।

26. पुन:, उपरोक्त रसीदों द्वारा नोटिस भेजे जाने की तारीख अर्थात् तारीख 5 अक्तूबर, 2013 को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार करते हुए कि अक्तूबर के माह में 31 दिन होते हैं, यह अभिनिर्धारित किया गया कि आवेदक/उधार लेने वाले पर 30 दिन की स्पष्ट सूचना तामील की गई थी । अगले दिन अर्थात् तारीख 6 अक्तूबर, 2013 को रविवार होने के कारण सूचना की तामीली की असंभाव्यता के संबंध में उधार लेने वाले के प्रकथन पर भी सम्यक् रूप से विचार किया गया है ।

27. अपीली अधिकरण ने ऋण वसूली अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की पुष्टि भिन्न परिप्रेक्ष्य में की थी । तथापि, मामले का केंद्र बिंदु यह है कि बैंक ने तारीख 5 अक्तूबर, 2013 को स्पीड पोस्ट द्वारा नियम 8(6) के अधीन सूचना भेजे जाने को साबित किया था । उपधारणा सामान्य तारीख पर सूचना की तामीली के संबंध की गई है । उधार लेने वाले ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि उसके ऊपर सूचना तामील हो गई थी और उसने उस तारीख का प्रकटीकरण नहीं किया है जिस पर वह वास्तव में उसके ऊपर तामील की गई थी, फिर भी वह सूचना की तामीली पर दो आधारों पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है जिनका उल्लेख नीचे किया गया है :-

> "(i) स्पीड पोस्ट द्वारा तारीख 5 अक्तूबर, 2013 को भेजी गई सूचना उसी तारीख पर स्थानीय पते पर हस्तगत नहीं की जा सकती थी ।
>
> (ii) अगला दिन अर्थात् 6 अक्तूबर, 2013 को रविवार होने के कारण सूचना अधिक से अधिक तारीख 7 अक्तूबर, 2013 को तामील की जा सकती थी ।

28. इन दोनों ही दलीलों में सूचना को (स्पीड पोस्ट द्वारा) भेजे जाने की तारीख अर्थात् 5 अक्तूबर, 2013 पर कोई विवाद न होने और अक्तूबर के माह में 31 दिन होने के कारण उधार लेने वाले का यह प्रकथन कि उसके ऊपर 30 दिन की स्पष्ट सूचना तामील नहीं की गई थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता । स्पीड पोस्ट द्वारा सूचना भेजे जाने के सबंध में अवधारणा स्थानीय पते पर उसी दिन तामीली की है । इसको खंडन करने का भार उधार लेने वाले/याची पर था । अधिकरण के समक्ष आवेदकों/उधार लेने वाले द्वारा कोई भी तथ्यात्मक स्थिति या दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर उनके ऊपर तामीली की वास्तविक तारीख का प्रकटीकरण करते हुए या बैंक द्वारा फाइल की गई रसीदों की सत्यता/प्रमाणिकता का खंडन करते हुए नहीं लाया गया ।

29. आवेदक/उधार लेने वाले का यह प्रकथन पूर्णतया असत्य है कि उसको नीलामी आयोजित किए जाने के बारे में जानकारी तारीख 16 नवंबर, 2013 को हुई थी जब वह अपनी बंधक संपत्ति का मोचन कराए जाने के प्रयोजनार्थ ऋण खाते में अधिशेष देयों को जमा करने/उनका पुनर्संदाय करने के लिए तारीख 17 दिसंबर, 2013 को बैंक गया ।

30. ऐसी स्थिति में उधार लेने वाले का यह अभिवाक्य कि नीलामी विक्रय 2002 के नियम के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के विपरीत है और इस पर विचार नहीं किया जा सकता ।

31. जहां तक याची/उधार लेने वाले का 2002 के सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार विक्रय के पुष्टिकरण के पूर्व बंधक के मोचन के अधिकार की ईप्सा का अभिवाक् है, अभिलेख पर इस बात को साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि उसको प्रतिभूत लेनदार द्वारा उपगत समस्त लागतों/प्रभारों और व्ययों के साथ संपूर्ण देयों की जानकारी विक्रय या अंतरण के लिए तारीख निर्धारित किए जाने के पूर्व किसी भी समय पर दी गई थी । इस प्रकार तारीख 6 नवंबर, 2013 को प्रतिभूत आस्ति की नीलामी द्वारा विक्रय के प्रयोजनार्थ अग्रसर होने की प्रतिभूत लेनदार द्वारा की गई कार्रवाई को अवैध या 2002 के नियम के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अतिलंघन में नहीं कहा जा सकता ।

32. यहां पर इस बात का उल्लेख किया जाना संदर्भ से हटकर नहीं होगा कि वर्तमान याचिका में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार बैंक के अधिशेष देय, जैसाकि समाचारपत्रों में उपदर्शित किया गया है, वसूली की तारीख तक ब्याज, लागतों, प्रभारों और व्ययों सहित लगभग 16,00,000/- (सोलह लाख रुपए) था । जबकि ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष भी उधार लेने वाले ने 10,00,000/-(दस लाख रुपए) की रकम जमा की थी । उसके द्वारा अपनी अपील की पोषणीयता को बनाए रखे जाने के प्रयोजनार्थ 5,00,000/- (पांच लाख रुपए) की रकम अपीली अधिकरण के समक्ष जमा की गई थी, जिनके बारे में यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि ये सभी जमाएं उसके द्वारा अपने ऋण के परिसमापन के प्रयोजनार्थ की गई थी । अत:, 15,00,000/- (पंद्रह लाख रुपए) की कुल रकम पर विचार करते हुए, जिसको उधार लेने वाले द्वारा ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीली अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम के दौरान जमा किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता कि उसने संपूर्ण रकम 2002 के सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के अधीन संपत्ति/प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए हकदार होने का दावा किए जाने के प्रयोजनार्थ की थी ।

33. इन दोनों ही आधारों पर वर्तमान याचिका को गुणागुणों से रहित पाया जाता है और तद्नुसार खारिज की जाती है ।

याचिका खारिज की गई ।

शु.

(2019) 2 सि. नि. प. 747 इलाहाबाद

देवेन्द्र शर्मा

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2019 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 1565)

तारीख़ 8 जुलाई, 2019

न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 – धारा 34 और 209 – पक्षकारों द्वारा भूमि पर हक़दारी का दावा – सिविल न्यायालय में दावे का लंबन – नामांतरण कार्यवाहियों में आक्षेप – नामांतरण कार्यवाही को स्थगित करने के लिए आवेदन – खारिजी – अधिनियम की धारा 34 के अधीन नामांतरण संबंधी कार्यवाहियां पूर्णतया सरसरी प्रकृति की होती हैं – नामांतरण का उद्देश्य राजस्व अभिलेखों को पूर्ण किया जाना है – अत: किसी हक़-संबंधी वाद के दौरान नामांतरण कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है ।

प्रत्यर्थी सं. 4-ओंकार शर्मा द्वारा यह कहते हुए अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए नामांतरण कार्यवाहियां फाइल की गई थीं कि रिट याचिका में के प्रत्यर्थी सं. 5-जय भगवान द्वारा तारीख 28 नवंबर, 2011 को उसके हक़ में रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था । नामांतरण कार्यवाहियों में याची धर्मेन्द्र शर्मा द्वारा इस आधार पर आक्षेप किए गए कि उसके पास विवादित संपत्ति के संबंध में जय भगवान द्वारा निष्पादित किया गया एक विक्रय-करार मौजूद है और वह उक्त करार के आधार पर उक्त संपत्ति पर काबिज था । याची का उपर्युक्त आक्षेप खारिज कर दिया गया था और तारीख 28 नवंबर, 2011 के विक्रय विलेख के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 4-ओंकार शर्मा के हक में नामांतरण मंजूर किया गया था । याची ने इस आदेश से व्यथित होकर उप-खंड अधिकारी, मोदी नगर के समक्ष उत्तर प्रदेश भू-राजस्व

अधिनियम की धारा 210 के अधीन 2012-13 की अपील सं. 3 फाइल की थी जो मंजूर की गई थी और मामला पूर्ण रूप से नए सिरे से विनिश्चित करने के लिए न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था । प्रत्यर्थी सं. 4-ओंकार शर्मा-विक्रेता द्वारा अपील आदेश के विरुद्ध आयुक्त, मेरठ खंड, मेरठ के समक्ष एक पुनरीक्षण (आवेदन) फाइल किया गया था जिसे तारीख 17 फरवरी, 2017 को सरसरी आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया और इस प्रकार अपील में पारित प्रतिप्रेषण आदेश की पुष्टि की गई थी । प्रतिप्रेषण के पश्चात् लंबित कार्यवाहियों में याची द्वारा तारीख 9 जुलाई, 2015 को तहसीलदार के समक्ष यह उल्लेख करते हुए एक आवेदन फाइल किया गया कि विक्रेता जय भगवान की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसलिए वह विक्रय विलेख का निष्पादन करने के लिए सक्षम नहीं था । अत: यह भी अनुरोध किया गया कि उसकी मानसिक स्थिति के अवधारण के लिए के. जी. मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के मनोचिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सीय-परीक्षा कराई जाए और इस बिन्दु पर उसका प्रमाण-पत्र प्राप्त होने तक नामांतरण मामले में कार्यवाहियां रोक दी जाएं । तहसीलदार, मोदी नगर ने तारीख 20 जून, 2016 को पारित आदेश द्वारा उक्त आवेदन खारिज कर दिया । याची ने इस आदेश से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका फाइल की । रिट याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – याची ने तहसीलदार, मोदी नगर द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध आयुक्त, मेरठ खंड, मेरठ के समक्ष एक पुनरीक्षण (आवेदन) फाइल किया जो मंजूर किया गया और यह आदेश पारित करते हुए तहसीलदार के तारीख 20 जून, 2016 के आदेश को अपास्त किया गया कि विक्रेता की मानसिक स्थिति के अवधारण और विक्रय विलेख के निष्पादन के संबंध में सक्षमता के अवधारण तक नामांतरण की चालू कार्यवाहियां स्थगित रखी जाएं । अपर आयुक्त, मेरठ खंड, मेरठ द्वारा 2015-16 के पुनरीक्षण सं. 67 में तारीख 31 अगस्त, 2016 को पारित पुनरीक्षणीय आदेश को ओंकार शर्मा-विक्रेता द्वारा राजस्व बोर्ड के समक्ष तारीख 4 नवंबर, 2016 को 2016 का पुनरीक्षण

सं. 2531 (गाजियाबाद) फाइल करके चुनौती दी गई थी जो उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, लखनऊ के समक्ष सुनवाई के लिए पेश हुआ । राजस्व बोर्ड ने तारीख 8 अप्रैल, 2019 के आदेश द्वारा विक्रेता द्वारा प्रस्तुत उक्त पुनरीक्षण आवेदन को मंजूर करते हुए अपर आयुक्त द्वारा तारीख 31 अगस्त, 2016 को पारित आदेश को अपास्त कर दिया और नामांतरण मामले में कार्यवाही करने का निदेश दिया । देवेन्द्र शर्मा द्वारा जिसके अनुरोध पर नामांतरण कार्यवाहियों को रोकने का आदेश पारित किया गया था, उक्त आदेश को इस प्रकीर्ण रिट याचिका में चुनौती दी गई है । देवेन्द्र शर्मा की ओर से यह दलील दी गई है कि जब तक विक्रेता जय भगवान की मानसिक उपयुक्तता के बारे में किसी सक्षम मनोवैज्ञानिक द्वारा परीक्षा नहीं की जाती है तब तक नामांतरण कार्यवाहियों में आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती । इस न्यायालय का यह मत है कि याची ने प्रत्यर्थी सं. 5 द्वारा प्रत्यर्थी सं. 4 के हक में निष्पादित विक्रय विलेख की विधिमान्यता को आक्षेपित करते हुए सिविल अधिकारिता रखने के न्यायालय के समक्ष रद्दकरण के लिए पहले ही एक वाद फाइल किया हुआ है और यह तथ्य विवादित नहीं है । इस न्यायालय का यह स्पष्ट मत है कि नामांतरण कार्यवाहियों को जो अत्यंत सरसरी प्रकृति की हैं और राज्य के राजस्व के संरक्षण के लिए पूर्णतया आवश्यक हैं, संव्यवहार से संबंधित अपने प्राइवेट अधिकारों के संबंध में सभी प्रकार के विवादों को निपटाने के लिए पक्षकारों द्वारा जारी लड़ाई में परिवर्तित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जा सकता । समुचित रूप से तथाकथित नामांतरण कार्यवाहियां सही अर्थों में लंबित नहीं हैं जहां तक पक्षकारों की हकदारी का संबंध है और इसके अतिरिक्त किसी हस्तांतरण को निष्पादित करने के लिए उनकी मानसिक सक्षमता को न्यायनिर्णयन के अधीन रखा जा सकता है । यदि ऐसा अनुज्ञात किया जाता है तो यह न केवल नामांतरण कार्यवाहियों को बाधित करना होगा अपितु नामांतरण प्राधिकारी भी अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे । राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूर्णतया विधिक है और सारतः न्यायोचित है । इस आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । (पैरा 2 और 3)

अपीली (सिविल) प्रकीर्ण रिट अधिकारिता : 2019 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 1565.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका ।

याची की ओर से श्री राहुल कुमार त्यागी

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री महेश नारायण सिंह मुख्य स्थाई काउंसेल, महेश शर्मा और शरद सिन्हा

न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर – प्रत्यर्थी सं. 4-ओंकार शर्मा द्वारा यह कहते हुए अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए नामांतरण कार्यवाहियां फाइल की गई थीं कि रिट याचिका में के प्रत्यर्थी सं. 5-जय भगवान द्वारा तारीख 28 नवंबर, 2011 को उसके हक़ में रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था । नामांतरण कार्यवाहियों में याची धर्मेन्द्र शर्मा द्वारा इस आधार पर आक्षेप किए गए कि उसके पास विवादित संपत्ति के संबंध में जय भगवान द्वारा निष्पादित किया गया एक विक्रय-करार मौजूद है और वह उक्त करार के आधार पर उक्त संपत्ति पर काबिज था । याची का उपर्युक्त आक्षेप खारिज कर दिया गया था और तारीख 28 नवंबर, 2011 के विक्रय विलेख के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 4-ओंकार शर्मा के हक में नामांतरण मंजूर किया गया था । याची ने इस आदेश से व्यथित होकर उप-खंड अधिकारी, मोदी नगर के समक्ष उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम की धारा 210 के अधीन 2012-13 की अपील सं. 3 फाइल की थी जो मंजूर की गई थी और मामला पूर्ण रूप से नए सिरे से विनिश्चित करने के लिए न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था । प्रत्यर्थी सं. 4-ओंकार शर्मा-विक्रेता द्वारा अपील आदेश के विरुद्ध आयुक्त, मेरठ खंड, मेरठ के समक्ष एक पुनरीक्षण (आवेदन) फाइल किया गया था जिसे तारीख 17 फरवरी, 2017 को सरसरी आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया और इस प्रकार अपील में पारित प्रतिप्रेषण आदेश की पुष्टि की गई थी । प्रतिप्रेषण के पश्चात् लंबित कार्यवाहियों में याची द्वारा तारीख 9 जुलाई, 2015 को

तहसीलदार के समक्ष यह उल्लेख करते हुए एक आवेदन फाइल किया गया कि विक्रेता जय भगवान की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसलिए वह विक्रय विलेख का निष्पादन करने के लिए सक्षम नहीं था । अत: यह भी अनुरोध किया गया कि उसकी मानसिक स्थिति के अवधारण के लिए के. जी. मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के मनोचिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सीय-परीक्षा कराई जाए और इस बिन्दु पर उसका प्रमाण-पत्र प्राप्त होने तक नामांतरण मामले में कार्यवाहियां रोक दी जाएं । तहसीलदार, मोदी नगर ने तारीख 20 जून, 2016 को पारित आदेश द्वारा उक्त आवेदन खारिज कर दिया ।

2. याची ने तहसीलदार, मोदी नगर द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध आयुक्त, मेरठ खंड, मेरठ के समक्ष एक पुनरीक्षण (आवेदन) फाइल किया जो मंजूर किया गया और यह आदेश पारित करते हुए तहसीलदार के तारीख 20 जून, 2016 के आदेश को अपास्त किया गया कि विक्रेता की मानसिक स्थिति के अवधारण और विक्रय विलेख के निष्पादन के संबंध में सक्षमता के अवधारण तक नामांतरण की चालू कार्यवाहियां स्थगित रखी जाएं । अपर आयुक्त, मेरठ खंड, मेरठ द्वारा 2015-16 के पुनरीक्षण सं. 67 में तारीख 31 अगस्त, 2016 को पारित पुनरीक्षणीय आदेश को ओंकार शर्मा-विक्रेता द्वारा राजस्व बोर्ड के समक्ष तारीख 4 नवंबर, 2016 को 2016 का पुनरीक्षण सं. 2531 (गाजियाबाद) फाइल करके चुनौती दी गई थी जो उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, लखनऊ के समक्ष सुनवाई के लिए पेश हुआ । राजस्व बोर्ड ने तारीख 8 अप्रैल, 2019 के आदेश द्वारा विक्रेता द्वारा प्रस्तुत उक्त पुनरीक्षण आवेदन को मंजूर करते हुए अपर आयुक्त द्वारा तारीख 31 अगस्त, 2016 को पारित आदेश को अपास्त कर दिया और नामांतरण मामले में कार्यवाही करने का निदेश दिया । देवेन्द्र शर्मा द्वारा जिसके अनुरोध पर नामांतरण कार्यवाहियों को रोकने का आदेश पारित किया गया था, उक्त आदेश को इस प्रकीर्ण रिट याचिका में चुनौती दी गई है । देवेन्द्र शर्मा की ओर से यह दलील दी गई है कि जब तक विक्रेता जय भगवान की मानसिक उपयुक्तता के बारे में किसी सक्षम मनोवैज्ञानिक द्वारा परीक्षा नहीं की जाती है तब तक नामांतरण कार्यवाहियों में आगे कार्यवाही नहीं

की जा सकती । इस न्यायालय का यह मत है कि याची ने प्रत्यर्थी सं. 5 द्वारा प्रत्यर्थी सं. 4 के हक में निष्पादित विक्रय विलेख की विधिमान्यता को आक्षेपित करते हुए सिविल अधिकारिता रखने के न्यायालय के समक्ष रद्दकरण के लिए पहले ही एक वाद फाइल किया हुआ है और यह तथ्य विवादित नहीं है । इस न्यायालय का यह स्पष्ट मत है कि नामांतरण कार्यवाहियों को जो अत्यंत सरसरी प्रकृति की हैं और राज्य के राजस्व के संरक्षण के लिए पूर्णतया आवश्यक हैं, संव्यवहार से संबंधित अपने प्राइवेट अधिकारों के संबंध में सभी प्रकार के विवादों को निपटाने के लिए पक्षकारों द्वारा जारी लड़ाई में परिवर्तित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जा सकता । समुचित रूप से तथाकथित नामांतरण कार्यवाहियां सही अर्थों में लंबित नहीं हैं जहां तक पक्षकारों की हकदारी का संबंध है और इसके अतिरिक्त किसी हस्तांतरण को निष्पादित करने के लिए उनकी मानसिक सक्षमता को न्यायनिर्णयन के अधीन रखा जा सकता है । यदि ऐसा अनुज्ञात किया जाता है तो यह न केवल नामांतरण कार्यवाहियों को बाधित करना होगा अपितु नामांतरण प्राधिकारी भी अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे ।

3. राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूर्णतया विधिक है और सारतः न्यायोचित है । इस आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

4. रिट याचिका विफल होती है और इसलिए सरसरी तौर पर खारिज की जाती है ।

5. तहसीलदार इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर नामांतरण मामले को गुण-दोष के आधार पर निपटाने के लिए अग्रसर होगा ।

रिट याचिका खारिज की गई ।

महः.

(2019) 2 सि. नि. प. 753 इलाहाबाद

अनिल कुमार राठौर

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

[2019 की रिट याचिका (सिविल) सं. 15484]

तारीख़ 19 जुलाई, 2019

न्यायमूर्ति शशि कान्त गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 14 और 226 [सपठित उत्तर प्रदेश राज्य एल. आर. मैनुअल का पैरा 7.03, 7.06(3) और 7.10] – जिला न्यायालयों में सरकार की ओर से मामलों के संचालन और पैरवी के लिए जिला सरकारी काउंसेलों/जिला सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति – प्रक्रिया – सरकार द्वारा जिला न्यायाधीश और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों की सूची से भिन्न व्यक्ति की डी. जी. सी. (दांडिक) के रूप में नियुक्ति – विधिमान्यता – नियुक्ति की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिला न्यायाधीश से परामर्श या अभ्यर्थियों की छंटनी सूची बनाने के लिए जिला न्यायाधीश द्वारा गठित समिति सम्मिलित है, एक ऋजु प्रक्रिया है – जिला स्तर पर सरकारी काउंसेलों अर्थात् अपर जिला सरकारी काउंसेल और सहायक डी. जी. सी. के पदों पर नियुक्तियां करते समय आवश्यक रूप से ऋजु प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए न कि नियुक्तियां राजनैतिक आधार पर की जानी चाहिए ।

वर्तमान याचिका से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं – वर्ष 2014 में एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें बदायूं में डी. जी. सी. (दांडिक) के पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु विधिक व्यवसाय करने वाले पात्र वकीलों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे । उक्त विज्ञापन के अनुसरण में अन्य आवेदकों के साथ याची ने भी अपने नाम पर विचार किए जाने के लिए आवेदन किया था । जिला और सेशन न्यायाधीश, बदायूं ने नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए तीन

आवेदकों के नामों की सिफारिश की जिसमें याची का नाम क्रम सं. 1 पर रखा गया प्रतीत होता है । यह कहा गया है कि जिला न्यायाधीश द्वारा तारीख़ 21 जुलाई, 2014 को जिला मजिस्ट्रेट को सिफारिश भेजी गई थी । याचिका में यह प्रकथन किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं ने जिला न्यायाधीश की सिफारिश की उपेक्षा करते हुए राज्य सरकार को चार नामों की सिफारिश की । इन चार नामों की सिफारिश जिला न्यायाधीश और विधि सचिव द्वारा की गई सिफारिश से भिन्न थी । जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई सिफारिश के निबंधनों में तारीख़ 22 सितंबर, 2016 के आदेश द्वारा डी. जी. सी. (दांडिक) के रूप में जवाहर सिंह यादव नामक व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी । याची ने 2017 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 13681 के माध्यम से उक्त आदेश को आक्षेपित किया था । उक्त याचिका का राज्य सरकार को अभ्यावेदन पेश करने के लिए याची को अनुज्ञात करते हुए निपटान कर दिया गया था जिसके आधार पर याची ने तारीख़ 12 अप्रैल, 2017 को एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था । तारीख़ 14 जून, 2017 के आदेश द्वारा जवाहर सिंह यादव की नियुक्ति तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दी गई थी । राज्य सरकार ने तारीख़ 23 जून, 2017 को पुन: एक नया विज्ञापन जारी किया जिसमें डी. जी. सी. (दांडिक) के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए गए थे । याची ने यह दावा किया है कि उसने तारीख़ 23 जून, 2017 के विज्ञापन के अनुसरण में डी. जी. सी. (दांडिक) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पुन: आवेदन किया था और जिला न्यायाधीश द्वारा पुन: उसके नाम की सिफारिश की गई थी और जिला न्यायाधीश द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची में क्रम सं. 1 पर याची का नाम रखा गया था । याची का यह कथन है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख़ 3 जनवरी, 2018 को सिफारिश किए गए अन्य अभ्यर्थियों के साथ याची के नाम की डी. जी. सी. (दांडिक) की नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु राज्य सरकार को सिफारिश की गई थी और उक्त सिफारिश में क्रम सं. 1 पर याची का नाम रखा गया था ।

चूंकि राज्य सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर कोई विनिश्चय नहीं किया इसलिए याची ने 2018 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 3850 फाइल की जो इस न्यायालय द्वारा तारीख़ 30 जनवरी, 2018 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 राज्य सरकार को यह निदेश करते हुए निपटा दी गई थी कि राज्य सरकार इस बारे में छह सप्ताह के भीतर विनिश्चय करे । याची ने यह दावा किया है कि राज्य सरकार ने जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट तथा इस न्यायालय की सिफारिश की उपेक्षा करते हुए तारीख़ 5 नवंबर, 2018 को डी. जी. सी. (दांडिक) के रूप में श्रीमती प्रेमवती मौर्य को नियुक्त कर दिया । जवाहर सिंह यादव ने 2018 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 41210 के माध्यम से श्रीमती प्रेमवती मौर्य की नियुक्ति को आक्षेपित किया था और इस न्यायालय ने तारीख़ 10, जनवरी, 2019 के आदेश द्वारा तारीख़ 5 नवंबर, 2018 के आदेश के प्रवर्तन को रोक दिया था । अभिलेख पर यह आया है कि 2018 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 41210 में इस न्यायालय द्वारा तारीख़ 10 जनवरी, 2019 को पारित रोक-आदेश के अनुसरण में श्रीमती प्रेमवती मौर्य को डी. जी. सी. (दांडिक) के रूप में कार्य करने से रोक दिया गया था और इसलिए याची तारीख़ 31 जनवरी, 2019 से भारसाधक डी. जी. सी. (दांडिक) के रूप में कार्य कर रहा है । याची ने सरकारी आदेशों से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका फाइल की । रिट याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों को दृष्टिगत करते हुए विचारार्थ ये मुद्दे उदभूत होते हैं कि क्या राज्य सरकार एल. आर. मैनुअल के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् तारीख़ 3 जनवरी, 2018 के पत्र द्वारा नियुक्तियों के लिए की गई सिफारिश की उपेक्षा करने और उस प्रक्रिया द्वारा नियुक्तियां करने जो एल. आर. मैनुअल के उपबंधों के प्रतिकूल हैं, डी. जी. सी. के पद पर नियुक्तियां किए जाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय तथा इस उच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रतिकूल नियुक्तियां करने में न्यायोचित है । इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि एल.

आर. मैनुअल का कोई कानूनी समर्थन नहीं है तथापि, यह नियुक्ति की रीति के लिए मार्गदर्शन उपबंधित करता है जिससे ऋजुता के सिद्धांत का पालन होता है और इसलिए इसका, इसकी भावना को दृष्टिगत करते हुए अनुसरण किया जाना चाहिए । नियुक्ति की ऐसी रीति जिसमें जिला न्यायाधीश से परामर्श या अभ्यर्थियों की छंटनी सूची बनाने के लिए जिला न्यायाधीश द्वारा गठित समिति सम्मिलित है, एक ऋजु प्रक्रिया है और जिला स्तर पर सरकारी काउंसेलों अर्थात् अपर जिला सरकारी काउंसेल और सहायक डी. जी. सी. के पद पर नियुक्तियां करते समय आवश्यक रूप से ऋजु प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए । यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि एल. आर. मैनुअल के पैरा 7.10 के अधीन यथा परिकल्पित अल्प-अवधि नियुक्ति भी वकीलों की ऐसी सूची से ही की जा सकती है जो पैरा 7.03 के अधीन जारी विज्ञापनों के निबंधनों में सूची को अंतिम बनाने से पूर्व विद्यमान हो । यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करते हुए नियुक्ति को अभिखंडित करता है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना नियुक्ति करने की कार्रवाई विधि अनुसार नहीं की गई थी और मनमानेपन के अधीन थी और राज्य सरकारों की कार्रवाई अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण में तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अतिक्रमण में अभिनिर्धारित की जाती है । वर्तमान मामले में राज्य सरकार ने विधि के प्रतिकूल प्रक्रिया का आश्रय लिया है और किसी भी प्रकार का अर्थात् व्यक्तिपरक या वस्तुपरक समाधान किए बिना तथा विशेषतया किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना विधि मंत्री द्वारा सिफारिश किए गए नामों की जिनके नाम संयुक्त सचिव (विधि) तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए थे, सिफारिश की है । इस मामले की सामग्री और विशेष लक्षण ये हैं कि जिला न्यायाधीश ने विनिर्दिष्ट रूप से श्रीमती प्रेमवती मौर्य के नाम के प्रति असमाधान अभिलिखित किया था और इसके पश्चात् इस न्यायालय ने भी एक रिट याचिका ग्रहण करते हुए तारीख़ 10 जनवरी, 2019 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था तथापि, जैसे ही उक्त रिट याचिका वापस ली गई, राज्य सरकार ने श्रीमती प्रेमवती मौर्य के हक़ में एक नया नियुक्ति आदेश जारी कर दिया । अत: तथ्यों के

उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार एल. आर. मैनुअल के अधीन यथा विहित विधि की किसी सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना अपनी पसन्द के व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहती थी जिससे स्पष्टतया यह उपदर्शित होता है कि नियुक्तियां राजनैतिक आधार पर की गई थीं । यह सुस्थापित है कि कार्यपालक कार्रवाई उचित रूप से नहीं की गई है और सुस्थापित उपबंधों के भंग में की गई नियुक्तियां संपूर्ण कार्रवाई को मनमानी और अवैधानिक बना देती हैं । यह न्यायालय ऐसे अधिकारियों द्वारा विधि की सतत् रूप से जो विधिक नियमों के प्रवर्तन के लिए आबद्ध हैं, उपेक्षा करने के संबंध में अपनी नाराजगी व्यक्त करता है । न्यायालय यह भी उल्लेख करना आवश्यक समझता है कि इस न्यायालय ने 2019 की रिट याचिका (सिविल) सं. 4794 (सन्तोष कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 17 अन्य) को विनिश्चित करते समय यह उल्लेख किया था कि विधि मंत्रालय के अधिकारी न्यायिक अधिकारी हैं और वे विधि की सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण करने और किसी भी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा अनुसरण की गई अवैध प्रक्रियाओं पर आपत्ति करने के लिए आबद्ध हैं । ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और विधि को दृष्टिगत करते हुए न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राज्य सरकार डी. जी. सी. (दांडिक) की नियुक्ति के लिए सिफारिश करते समय विधि की सम्यक् प्रक्रिया का अनुपालन करने में विफल रही है । अत: विधि मंत्री द्वारा तारीख़ 14 अगस्त, 2018 को की गई सिफारिशों, उप-सचिव द्वारा दोहराई गई उक्त सिफारिशों और परिणामस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 24 सितंबर, 2018 को की गई सिफारिशों के अनुसरण में की गई नियुक्तियां विधि की सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना की गई अभिनिर्धारित की जाती हैं और उन्हें एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है । राज्य सरकार को यह निदेश दिया जाता है कि वह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख़ 3 जनवरी, 2018 को की गई सिफारिशों के निबंधनों में नियुक्तियां करे । यह स्पष्ट किया जाता है कि तारीख़ 3 जनवरी, 2018 को की गई सिफारिश के निबंधनों में नियुक्तियां करने का उपर्युक्त प्रयोग शीघ्रातिशीघ्र अर्थात् इस निर्णय की तारीख़ से एक

मास से अनधिक की अवधि के भीतर किया जाए । वर्तमान मामले में राज्य सरकार के आचरण की पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि डी. जी. सी. की नियुक्तियों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा उचित प्रक्रिया को अपनाने के लिए दो निर्णय पारित किए जाने के बावजूद राज्य द्वारा उचित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है । याची द्वारा भोगी गई परेशानी तथा प्रत्यर्थियों के आचरण को दृष्टिगत करते हुए न्यायालय राज्य पर दृष्टान्त रूप में हर्जाना डालना उचित समझता है । रिट याचिका 50,000/- (पचास हजार रुपए) के हर्जाने के साथ मंजूरी की जाती है । राज्य सरकार द्वारा हर्जाने की धनराशि आज से एक मास की अवधि के भीतर इस न्यायालय के महा-रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा की जाएगी और महा-रजिस्ट्रार को यह निदेश दिया जाता है कि वह उक्त धनराशि अधिवक्ता संगम, इलाहाबाद के पास शीघ्रातिशीघ्र जमा करेगा । निर्णय की प्रति हर्जाने के संदाय के संबंध में इस आदेश का आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस न्यायालय के महा-रजिस्ट्रार को भेजी जाए । (पैरा 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और 38)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	2019 की रिट याचिका (सिविल) सं. 4794 : **संतोष कुमार पांडे** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ;	1
[2019]	2019 की सिविल रिट याचिका (सिविल) सं. 4622 : **पुष्पेन्द्र कुमार** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ;	1
[2018]	2018 की रिट याचिका (सिविल) सं. 8741 : **मनोज कुमार यादव** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** ;	23

[2016] (2016) 15 एस. सी. सी. 289 :
उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम **अजय कुमार शर्मा और एक अन्य** ; 22, 23, 26

[2016] (2016) 6 एस. सी. सी. 1 :
पंजाब राज्य और एक अन्य बनाम **बृजेश्वर सिंह चाहल और एक अन्य** ; 22, 26

[2006] (2006) 6 एस. सी. सी. 260 :
तरलोचन देव शर्मा बनाम **पंजाब राज्य** ; 28

[2004] (2004) 4 एस. सी. सी. 714 :
उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य बनाम **जौहरी मल** ; 22, 23, 26

[1991] (1991) 1 एस. सी. सी. 212 :
कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** । 22

आरंभिक (सिविल) रिट अधिकारिता : 2019 की रिट याचिका (सिविल) सं. 15484.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन सिविल रिट याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री विपिन लाल श्रीवास्तव और एस. के. वर्मा

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री नीरज त्रिपाठी और विपिन पांडे

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया – वर्तमान याचिका, याचिकाओं की ऐसी श्रृंखला है जो ऐसी व्याधि (बीमारी) को उपदर्शित करती है जो राज्य में जिला सरकारी काउंसेल (जिसे आगे संक्षेप में डी. जी. सी. कहा गया है) की नियुक्तियों में और वर्तमान मामले में जिला बदायूं में डी. जी. सी. (दांडिक) के संवेदनशील पद पर नियुक्तियां करने में विद्यमान है ।

यद्यपि इस न्यायालय ने इस संबंध में **संतोष कुमार पांडे** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] और **पुष्पेन्द्र कुमार** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[2] वाले मामलों में विस्तृत निर्णय दिए हैं तथापि, राज्य सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियों की रीति में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है । राज्य सरकार द्वारा उस रीति में कोई सुधार करने का प्रयत्न नहीं किया गया है जिस, रीति में डी. जी. सी. के पदों पर नियुक्तियां की गई हैं जबकि इस न्यायालय ने उपर्युक्त निर्दिष्ट निर्णयों में स्पष्ट मत व्यक्त किया है और ये मार्गदर्शन माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा अधिकथित सिद्धांतों पर आधारित हैं ।

2. वर्तमान याचिका से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं – वर्ष 2014 में एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें बदायूं में डी. जी. सी. (दांडिक) के पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु विधिक व्यवसाय करने वाले पात्र वकीलों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे । उक्त विज्ञापन के अनुसरण में अन्य आवेदकों के साथ याची ने भी अपने नाम पर विचार किए जाने के लिए आवेदन किया था । जिला और सेशन न्यायाधीश, बदायूं ने नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए तीन आवेदकों के नामों की सिफारिश की जिसमें याची का नाम क्रम सं. 1 पर रखा गया प्रतीत होता है । यह कहा गया है कि जिला न्यायाधीश द्वारा तारीख़ 21 जुलाई, 2014 को जिला मजिस्ट्रेट को सिफारिश भेजी गई थी । याचिका में यह प्रकथन किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं ने जिला न्यायाधीश की सिफारिश की उपेक्षा करते हुए राज्य सरकार को चार नामों की सिफारिश की । इन चार नामों की सिफारिश जिला न्यायाधीश और विधि सचिव द्वारा की गई सिफारिश से भिन्न थी । जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई सिफारिश के निबंधनों में तारीख़ 22 सितंबर, 2016 के आदेश द्वारा डी. जी. सी. (दांडिक) के रूप में जवाहर सिंह यादव नामक व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी ।

3. याची ने 2017 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 13681 के

---

[1] 2019 की रिट याचिका (सिविल) सं. 4794.

[2] 2019 की सिविल रिट याचिका (सिविल) सं. 4622.

माध्यम से उक्त आदेश को आक्षेपित किया था । उक्त याचिका का राज्य सरकार को अभ्यावेदन पेश करने के लिए याची को अनुज्ञात करते हुए निपटान कर दिया गया था जिसके आधार पर याची ने तारीख़ 12 अप्रैल, 2017 को एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था । तारीख़ 14 जून, 2017 के आदेश द्वारा जवाहर सिंह यादव की नियुक्ति तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दी गई थी ।

4. राज्य सरकार ने तारीख़ 23 जून, 2017 को पुन: एक नया विज्ञापन जारी किया जिसमें डी. जी. सी. (दांडिक) के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए गए थे । याची ने यह दावा किया है कि उसने तारीख़ 23 जून, 2017 के विज्ञापन के अनुसरण में डी. जी. सी. (दांडिक) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पुन: आवेदन किया था और जिला न्यायाधीश द्वारा पुन: उसके नाम की सिफारिश की गई थी और जिला न्यायाधीश द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची में क्रम सं. 1 पर याची का नाम रखा गया था । याची का यह कथन है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख़ 3 जनवरी, 2018 को सिफारिश किए गए अन्य अभ्यर्थियों के साथ याची के नाम की डी. जी. सी. (दांडिक) की नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु राज्य सरकार को सिफारिश की गई थी और उक्त सिफारिश में क्रम सं. 1 पर याची का नाम रखा गया था । चूंकि राज्य सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर कोई विनिश्चय नहीं किया इसलिए याची ने 2018 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 3850 फाइल की जो इस न्यायालय द्वारा तारीख़ 30 जनवरी, 2018 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 राज्य सरकार को यह निदेश करते हुए निपटा दी गई थी कि राज्य सरकार इस बारे में छह सप्ताह के भीतर विनिश्चय करे । याची ने यह दावा किया है कि राज्य सरकार ने जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट तथा इस न्यायालय की सिफारिश की उपेक्षा करते हुए तारीख़ 5 नवंबर, 2018 को डी. जी. सी. (दांडिक) के रूप में श्रीमती प्रेमवती मौर्य को नियुक्त कर दिया । जवाहर सिंह यादव ने 2018 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 41210 के माध्यम से श्रीमती प्रेमवती मौर्य की नियुक्ति को आक्षेपित किया था और इस

न्यायालय ने तारीख़ 10, जनवरी, 2019 के आदेश द्वारा तारीख़ 5 नवंबर, 2018 के आदेश के प्रवर्तन को रोक दिया था । अभिलेख पर यह आया है कि 2018 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 41210 में इस न्यायालय द्वारा तारीख़ 10 जनवरी, 2019 को पारित रोक-आदेश के अनुसरण में श्रीमती प्रेमवती मौर्य को डी. जी. सी. (दांडिक) के रूप में कार्य करने से रोक दिया गया था और इसलिए याची तारीख़ 31 जनवरी, 2019 से भारसाधक डी. जी. सी. (दांडिक) के रूप में कार्य कर रहा है ।

5. वर्तमान याचिका निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए फाइल की गई है :-

> "मुख्य सचिव (विधि) उत्तर प्रदेश सरकार, प्रत्यर्थी सं. 1 को यह निदेश करते हुए परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए कि वह जिला न्यायाधीश, बदायूं द्वारा तारीख़ 4 दिसंबर, 2017 को की गई सिफारिश और जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा तारीख 3 जनवरी, 2018 को की गई सिफारिशों के अनुसरण में जिला सरकारी काउंसेल (दांडिक) के पद पर याची की नियुक्ति के लिए आदेश पारित करे ।"

6. हमने याची के विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री एस. के. वर्मा को जिनकी श्री विपिन लाल श्रीवास्तव ने सहायता की, श्री महेश चन्द चतुर्वेदी, श्री नीरज त्रिपाठी और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् स्थायी काउंसेल, विद्वान् अपर महाधिवक्ता को जिनकी सहायता श्री विनीत पांडे ने की, सुना ।

7. जब याचिका फाइल की गई थी तो इस न्यायालय ने तारीख़ 3 मई, 2019 के आदेश द्वारा स्थायी काउंसेल को मामले में अनुदेश प्राप्त करने और इस न्यायालय के समक्ष मामले के संपूर्ण अभिलेख को पेश करने का निदेश दिया था । इस न्यायालय के समक्ष अभिलेख पेश किया गया है और अभिलेख के परिशीलन से प्रथम-दृष्ट्या एल. आर. मैनुअल और डी. जी. सी. की नियुक्ति की रीति के लिए विहित प्रक्रिया का पूर्ण अननुपालन करना उपदर्शित होता है । अत: इस न्यायालय ने तारीख़ 20 मई, 2019 के आदेश द्वारा मुख्य सचिव (विधि) और एल. आर. से

मामले में उपस्थित होने और सहायता करने का अनुरोध किया था । उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और एल. आर. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए न्यायालय में उपस्थित हुए और पक्षकारों को सुनने के पश्चात् निर्णय आरक्षित किया गया ।

8. इस न्यायालय के समक्ष पेश किए गए अभिलेख के परिशीलन मात्र से यह प्रकट होता है कि जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं ने तारीख़ 23 जून, 2017 को एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें उसने डी. जी. सी. (दांडिक) के एक पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए थे । जिला मजिस्ट्रेट ने तारीख़ 16 नवंबर, 2017 को जिला न्यायाधीश को 18 आवेदकों के नामों के लिए अपनी सिफारिश भेजी । जिला न्यायाधीश ने एल. आर. मैनुअल की मद सं. 7.10 के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए और आवेदकों के नामों पर सम्यकत: विचार करने के पश्चात् तारीख 4 दिसंबर, 2017 के पत्र द्वारा डी. जी. सी. (दांडिक) के रूप में नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु तीन व्यक्तियों अर्थात् अनिल कुमार राठौर, रोहिताश कुमार सक्सेना और मदन लाल के नामों की सिफारिश की । जिला न्यायाधीश की सिफारिश की एक प्रति नीचे उद्धृत की जा रही है -

"प्रेषक

नसीर अहमद द्वितीय (एच. जे. एस.)
जनपद न्यायाधीश,
जनपद – बदायूँ ।

सेवा में,

श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट,
जनपद बदायूँ ।

पत्रांक – 3155/xv बदायूँ दिनांकित – 4.12.2017

विषय :– जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, बदायूँ के रिक्त एक पद के सापेक्ष <u>पैनल प्रस्ताव कराए जाने के संबंध में</u> :–

महोदय,

कृपया आप अपने पत्रांक 634/न्याय सहायक/2017

दिनांक - 16.11.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । आपके द्वारा कुल 18 आवेदकगण की सूची प्रदान की गई है । इन्हीं अधिवक्तागण में से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के एक पद के लिए पैनल के तीन अधिवक्तागण का नाम प्रेषित करना है ।

मैंने अपने सभी अधीनस्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के पद हेतु आवेदकों के कार्य विवरण, आचरण एवं ज्ञान के संबंध में आख्या मांगी तो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने (श्रीमती सोनिका चौधरी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायाधीश कक्ष संख्या–2, बदायूँ को छोड़कर) श्री अनिल कुमार राठौर पुत्र स्व. श्री राम चन्द्र निवासी 837 मधुवन कालोनी, बदायूँ (जो सूची में क्रम संख्या–2 पर हैं) के संबंध में उनके कार्य व्यवहार एवं आचरण तथा विधि ज्ञान के संबंध में भूरी-भूरी (भूरि-भूरि) प्रशंसा की है । श्री अनिल कुमार राठौर मेरे न्यायालय में भी बतौर प्रभारी शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कार्य देख रहे हैं और उन्हें विधि का ज्ञान अच्छा है तथा कार्य व्यवहार एवं आचरण भी उत्तम है ।

इसी क्रम में भी रोहिताश कुमार सक्सेना पुत्र श्री पन्ना लाल सक्सेना निवासी 910 मधुवन कालोनी सिविल लाइन, बदायूँ (जो सूची में क्र. सं. - 1 पर हैं) के संबंध में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या - 3, बदायूँ व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या - 4, बदायूँ को छोड़कर अन्य सभी मेरे अधीनस्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश गण ने इनके कार्य व्यवहार एवं आचरण के संबंध में अच्छा कहा है और इनके संबंध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है । यह दो वर्ष तक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के पद पर भी कार्यरत रहे हैं । विधि का ज्ञान अच्छा है और इनका अनुभव भी अच्छा है तथा कार्य को देखते हुए इन्होंने सत्र परीक्षण से संबंधित परीक्षण के कार्यों का अधिक निष्पादन कराया है तथा यह भी शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार है,

श्री मदन लाल पुत्र श्री बिहारी लाल निवासी वर्तमान पता एल-7/बी आवास-विकास बदायूँ (जो सूची में क्रम सं. – 6 पर हैं) के संबंध में मेरे अधीनस्थ अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या-2, बदायूँ के अलावा सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ने एक स्वर में उनके कार्य व्यवहार एवं आचरण की प्रशंसा की है और उनके विधि ज्ञान को अच्छा बताया है और इन्हें कार्य करने का अनुभव करीब 20 वर्ष का है और सत्र परीक्षण भी उनके पास रहे हैं और इन्होंने काफी वादों का निस्तारण कराया है । अत: यह भी शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पद के लिए एक बेहतर उम्मीदवार हैं ।

अत: जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के पद हेतु निम्न पैनल की संस्तुति करता हूं :–

1. श्री अनिल कुमार राठौर पुत्र स्व. श्री राम चन्द्र सिंह निवासी 837 मधुवन कालोनी, बदायूँ (यह सूची क्रम संख्या – 2 पर हैं)

2. श्री रोहिताश कुमार सक्सेना पुत्र श्री पन्ना लाल सक्सेना निवासी 910 मधुवन कालोनी सिविल लाइन, बदायूँ (यह सूची क्रम संख्या – 1 पर हैं)

3. श्री मदन लाल पुत्र श्री बिहारी लाल निवासी वर्तमान पता एल-7/बी आवास-विकास बदायूँ (जो सूची में क्रम संख्या - 6 पर हैं)

दिनांक : 4.12.2017 भवदीय

(नसीर अहमद द्वितीय)
जनपद न्यायाधीश बदायूं ।"

9. स्थायी काउंसेल द्वारा पेश किए गए अभिलेख से यह उपदर्शित होता है कि श्रीमती प्रेमवती मौर्य ने तारीख़ 16 दिसंबर, 2017 को यह कहते हुए एक आवेदन फाइल किया कि जिला न्यायाधीश द्वारा उसके नाम की सिफारिश नहीं की गई है और उसने यह अनुरोध किया कि जिला न्यायाधीश, बदायूं उसका नाम भेजे और साथ ही साथ एल. आर. मैनुअल के पैरा 7.03 के अधीन नियुक्ति किए जाने के लिए अनुरोध किया ।

10. जिला मजिस्ट्रेट ने अपने तारीख़ 27 दिसंबर, 2017 के पत्र द्वारा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूं से उक्त पत्र में उल्लिखित 11 व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण-पत्र भेजने के लिए अनुरोध किया । जिला न्यायाधीश द्वारा अपनी तारीख़ 4 दिसंबर, 2017 की सिफारिश में याची का नाम और दो अन्य व्यक्तियों के नाम उक्त सूची में सम्मिलित किए गए थे । उपर्युक्त सूची में श्रीमती प्रेमवती मौर्य के नाम के साथ 11 व्यक्तियों के नाम सम्मिलित थे ।

11. जिला मजिस्ट्रेट ने अपने तारीख़ 3 जनवरी, 2018 के पत्र द्वारा यह कहते हुए विशेष सचिव (विधि) से अनुरोध किया कि डी. जी. सी. (दांडिक) के पद के लिए जारी तारीख़ 23 मार्च, 2017 के विज्ञापन के अनुसरण में 18 आवेदन प्राप्त हुए हैं और जिला न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात् योग्यता के आधार पर तीन व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की जा रही है । आश्चर्यजनक रूप से उसने यह भी सिफारिश की कि श्रीमती प्रेमवती मौर्य के नाम पर भी विचार किया जाए जबकि जिला न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश में उसका नाम नहीं था । उक्त पत्र की प्रति नीचे उद्धृत की जा रही है :-

"प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ ।

सेवा में,

विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
न्याय अनुभाग--3 (नियुक्तियां),
लखनऊ ।

संख्या : 775/न्याय सहायक/2017 दिनांक : 3.1.2018

विषय : जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बदायूँ के रिक्त पद के सापेक्ष पैनल उपलब्ध कराने विषयक ।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या डी. 852/सात-न्याय-3-17-5 (बदायूँ) 2014 दिनांक 14.06.2017 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा

करें । तत्क्रम में अवगत कराना है कि जनपद में रिक्त पद जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बदायूँ के एक पद नवीन आबद्धता हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 23.06.2017 के क्रम में विज्ञापित पद के सापेक्ष निम्नानुसार आवेदन-पत्र प्राप्त हुए है :-

क्रमांक	पद नाम	विज्ञापित पदों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
1	जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बदायूँ	1	18

उक्त आवेदनकर्ता-अधिवक्ताओं के आचरण, व्यवसायिक तथा सत्यानिष्ठ के संबंध में मा. जनपद न्यायाधीश से मन्तव्य/आख्या पत्रांक: 3155/पन्द्रह बदायूँ दिनांक 04.12.2017 प्राप्त हुई है । मा. जनपद न्यायाधीश से प्राप्त मन्तव्य/आख्या तथा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त रिक्त पद पर नवीन आबन्धन हेतु विधि परामर्शी निर्देशिका के पैरा 7.03 की व्यवस्था के अधीन जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बदायूँ के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में से विधि व्यवसायिकों के नाम निम्नवत वरीयता क्रम में चरित्र सत्यापन के साथ संस्तुति सहित प्रेषित किए जा रहे हैं :-

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)-01 पद के लिए"

पैनल प्रस्ताव	आवेदन-पत्र सं.
1. श्री अनिल कुमार राठौर पुत्र स्व. श्री राम चन्द्र सिंह नि. 837 मधुबन कालोनी सिविल लाइन जिला बदायूँ ।	02
2. श्री रोहिताश कुमार सक्सेना पुत्र श्री पन्ना लाल सक्सेना नि. 910 मधुबन कालोनी सिविल लाइन बदायूँ ।	01

3. श्री मदन लाल पुत्र श्री बिहारी लाल नि. एल 7/बी आवास विकास कालोनी जिला बदायूँ ।	06

उपरोक्त के अतिरिक्त एक अन्य अधिवक्ता श्रीमती प्रेमवती मौर्य पत्नी श्री सत्यप्रकाश नि. बी. 344 आवास विकास कालोनी बदायूँ (आवेदन पत्र संख्या 04) ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना प्रकरण/प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है । श्रीमती प्रेमवती मौर्य के आचरण, व्यवसायिक तथा सत्यनिष्ठा के दृष्टिगत इनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है । अत: उक्त प्रकरण प्रस्ताव समस्त मूल आवेदन-पत्रों के साथ इस अनुरोध सहित प्रेषित है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर समुचित निर्णय लेने का कष्ट करें ।

संलग्नक--उक्तवत 18 मूल आवेदन-पत्र ।

भवदीय

(दिनेश कुमार सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट,
बदायूँ ।"

12. राज्य सरकार ने तारीख़ 3 जनवरी, 2018 की उक्त सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की तथापि, विशेष सचिव ने तारीख़ 12 अप्रैल, 2018 के पत्र द्वारा यह कहते हुए जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा कि चूंकि जिला न्यायाधीश द्वारा सिफारिश किए गए नामों की सूची में श्रीमती प्रेमवती मौर्य का नाम सम्मिलित नहीं है इसलिए जिला मजिस्ट्रेट से यह कहा गया है कि वह जिला न्यायाधीश से श्रीमती प्रेमवती मौर्य के संबंध में रिपोर्ट मांगे । उक्त पत्र की प्रति यहां उद्धृत की जा रही है :-

"संख्या-डी-77/सात-न्याय-3-18-3 (बदायूँ) 14

प्रेषक,

संजय खरे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बदायूँ ।

न्याय अनुभाग-3 (नियुक्तियां) लखनऊ : दिनांक
12 अप्रैल, 2018

विषय :- जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी), बदायूँ के रिक्त पद के सापेक्ष पैनल उपलब्ध कराने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या-775/न्याय सहायक/2017 दिनांक 03.01.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के पद पर नियुक्ति हेतु श्रीमती प्रेमवती मौर्य पत्नी सत्य प्रकाश का आवेदन पत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया है परन्तु श्रीमती प्रेमवती मौर्य के संबंध में जनपद न्यायाधीश की आख्या प्रेषित नहीं की गयी है । अत: कृपया श्रीमती प्रेमवती मौर्य के संबंध में जनपद न्यायाधीश की आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय

(संजय खरे)
विशेष सचिव ।"

13. जिला न्यायाधीश ने अपने तारीख़ 2 जून, 2018 के पत्र द्वारा विधिक स्थिति स्पष्ट की और उस रीति के बारे में निराशा (नाराजगी) व्यक्त की जिसमें श्रीमती प्रेमवती मौर्य के नाम की सिफारिश करने को कहा जा रहा था । उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पूर्व में योग्यता के आधार पर और एल. आर. मैनुअल में यथा विहित कार्य-प्रदर्शन पर विचार करने के पश्चात् सिफारिश की गई थी और इसलिए श्रीमती प्रेमवती मौर्य के नाम के बारे में टिप्पण करना किसी भी प्रकार से

अपेक्षित नहीं है । जिला न्यायाधीश के पत्र की एक प्रति नीचे उद्धृत की जा रही है :-

"प्रेषक,

नसीर अहमद द्वितीय,
एच. जे. एस.,
जनपद न्यायाधीश,
बदायूँ ।

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी,
बदायूँ

पत्रांक 2073/xv 2, जून–2018

विषय: पत्रांक 1031/न्याय सहायक/2019 दिनांक अप्रैल 21.04.18 के जरिए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के रिक्त पद पर प्राप्त आवेदन श्रीमती प्रेमवती मौर्य, एडवोकेट पर आख्या के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । उक्त के संबंध में मेरी प्रस्तर वार आख्या निम्नवत है –

1. यह कि आपके द्वारा इसके पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बदायूँ के एक रिक्त पद के सापेक्ष पैनल प्रस्ताव कराए जाने के संबंध में आख्या मांगी गई थी । जिस पर मेरे द्वारा पत्रांक 3155/XV बदायूँ दिनांक 04.12.17 के जरिए तीन अधिवक्तागण का पैनल प्रस्ताव प्रेषित किया गया था जिसमें नं. – 1 पर श्री अनिल कुमार राठौर, नं. – 2 पर श्री रोहिताश कुमार सक्सेना और नं. – 3 पर श्री मदन लाल थे । उक्त पैनल प्रस्ताव के समय ही सभी अधिवक्तागण के आवेदन प्रपत्र प्रेषित किए गए थे और सभी अधिवक्तागण के संबंध में मेरे अधीनस्थ कार्यरत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश से उनके

कार्य, व्यवहार, आचरण एवं विधिक ज्ञान के संबंध में आख्या आहूत की गई थी । उनकी आख्या आने के उपरांत मेरे द्वारा सभी अधिवक्तागण के कार्य, व्यवहार, आचरण व ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरांत उक्त पैनल प्रस्ताव प्रेषित किया गया था । उक्त पैनल प्रस्ताव के अधिवक्तागण के मुकाबले श्रीमती प्रेमवती मौर्य, एडवोकेट उनके सापेक्ष नहीं आ पा रही थी । अन्यथा उनका नाम भी उक्त पैनल प्रस्ताव में प्रेषित किया जाता है ।

2. यह कि अब आपके द्वारा अलग से मात्र श्रीमती प्रेमवती मौर्य, एडवोकेट के संबंध में टिप्पणी/आख्या उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है जो पैनल प्रस्ताव के विरुद्ध होगा । क्योंकि पैनल प्रस्ताव दिनांक 04.12.17 में नामित अधिवक्तागण के मुकाबले श्रीमती प्रेमवती मौर्या का कार्य, व्यवहार एवं आचरण तथा विधिक ज्ञान तथा उनके द्वारा किए गए कार्य जो दो वर्ष के मांगे गए थे वे लगातार दो वर्ष के नहीं थे बल्कि कुछ दिनों के थे जैसे कि सन् 2004 में मात्र 03 मुकदमे जो दिनांक 23.11.15 व 24.11.15 को निर्णीत हुए है । इसी प्रकार दिनांक 21.10.16 का मात्र एक मुकदमा है और सन् 17 के 15 मुकदमे है । इससे स्पष्ट है कि इनकी कार्य क्षमता पैनल के अन्य अधिवक्तागण के मुकाबले कम थी । अत: पैनल प्रस्ताव हमेशा अधिवक्तागण की गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरान्त प्रेषित किया जाता है और पैनल प्रस्ताव प्रेषित करते समय इनकी गुणवत्ता पर विचार कर लिया गया था । अत: अब अलग से इनके संबंध में उक्त पैनल के प्रस्ताव के अधिवक्तागण के मुकाबले विचार करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

3. यह कि यहां पर यह उल्लेखनीय है कि एल. आर. मैनुअल के अध्याय–7 के प्रस्तर 7:03 के अतंर्गत आवेदन कर्ताओं को अन्य आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त दो वर्ष के भीतर उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उसका भी विवरण

देना चाहिए किन्तु उक्त प्रस्तर के परन्तुक के अनुसार जिला जज या जिला मजिस्ट्रेट इस आशय से बाध्य नहीं है कि आवेदकों के विगत दो वर्षों के विवरण को ही आधार माने बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी नामित किया जा सकता है जिसमें औपचारिक रूप से प्रार्थना पत्र/विवरण पत्र/बायोडाटा दिया ही न हो । यहां पर ऐसी स्थिति नहीं है । श्रीमती प्रेमवती मौर्य द्वारा औपचारिक रूप से प्रार्थना पत्र/विवरण पत्र/बायोडाटा दिया गया है । ऐसी स्थिति में सभी आवेदकगण/अधिवक्तागण के मुकाबले तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरान्त पैनल प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया था । अत: अब इनके बारे में पुन: अलग से विचार करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता ।

4. यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में विभिन्न मामलों में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं । जैसा कि याचिका सी. नं. 14426/2017 कमल सिंह बनाम स्टेट आफ यू. पी. आदि में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा इस तरह के व्यवहार को गलत माना गया और यह कहा गया कि एक बार पैनल प्रस्ताव जाने के उपरांत पुन: पैनल प्रस्ताव से अलग हटकर किसी अन्य अधिवक्ता के संबंध में अलग से जिला जज से आख्या मांगी जाए, यह प्रक्रिया गलत है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि पैनल प्रस्ताव दिनांक 04.12.17 के मुकाबले अब पुन: श्रीमती प्रेमवती मौर्य एडवोकेट के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

आख्या सादर प्रेषित ।

भवदीय

(नसीर अहमद द्वितीय)
जनपद न्यायाधीश, बदायूँ ।"

14. जिला मजिस्ट्रेट ने अपने तारीख़ 4 जून, 2018 के पत्र

द्वारा यह कहते हुए विशेष सचिव को रिपोर्ट दी कि जिला न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया है कि श्रीमती प्रेमवती मौर्य के नाम की सिफारिश उचित नहीं थी और यह भी अनुरोध किया कि तारीख 3 जनवरी, 2018 के पूर्वतर पत्र के निबंधनों में नियुक्तियों पर विचार किया जाए ।

15. आश्चर्यजनक रूप से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई गई संपूर्ण प्रक्रिया की जिसकी जिला न्यायाधीश द्वारा सिफारिश की गई थी, उपेक्षा करते हुए विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा तारीख़ 14 अगस्त, 2018 को जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा गया जिसमें जिला सरकारी काउंसेल के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए सात व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने के लिए कहा गया था । उक्त पत्र की एक प्रति नीचे उद्धृत की जा रही है :-

"ब्रजेश पाठक	कार्यालय : कक्ष सं.-91-91 ए
मंत्री	मुख्य भवन उ. प्र. सचिवालय
विधायी एवं न्याय,	दूरभाष : 0522-2238074/"
राजनैतिक पेंशन	2213292 (का.)
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत	संख्या 2023/वी.आई.पी./वि.न्या.
	अति.ऊर्जा. रा. पें./2018
	दिनांक 14.08.18

जिलाधिकारी, बदायूँ ।

कृपया जनपद में शासकीय अधिवक्ताओं के विभिन्न पदों पर रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित अधिवक्ताओं को 14-14 दिन के लिए अस्थायी रूप से आबद्ध करने हेतु शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

1. श्रीमती प्रेमवती मौर्या पुत्री श्री रौशन लाल मौर्या (मो. - 9412852654), जि. शा. अधि., फौजदारी ।

2. श्री संजीव स्वरूप वैश्य पुत्र श्री प्रेम स्वरूप वैश्य (मो. - 9412461914), जि. शा. अधि., सिविल ।

3. श्री इंद्रेश कुमार पुत्र श्री रौशन लाल (मो. - 94564068424), जि. शा. अधि., राजस्व ।

4. श्री मदनलाल राजपूत पुत्र श्री बिहारी लाल राजपूत (मो. - 9412654650), सहा. जि. शा. अधि., फौजदारी ।

5. श्री मुनेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम राठौर (मो. - 9410258484), सहा. जि. शा. अधि., फौजदारी ।

6. श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री रवीन्द्र पाल सिंह (मो. - 9997804271), सहा. जि. शा. अधि., फौजदारी ।

7. श्री अरविन्द बाल्मीकि पुत्र श्री ओंकार बाल्मीकि (मो. - 9837567520), सहा. जि. शा. अधि., फौजदारी ।

कृपया तद्नुसार तत्काल कार्यवाही कराने का कष्ट करें ।

13.08.2018
(ब्रजेश पाठक)
मंत्री,
विधायी एवं न्याय,
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
राजनैतिक पेंशन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।"

16. मंत्री के पत्र के अनुसरण में अवर सचिव ने तारीख़ 29 अगस्त, 2018 को जिला मजिस्ट्रेट से यह कहते हुए एक पत्र भेजा कि वह डी. जी. सी. के रूप में नियुक्तियां किए जाने के लिए सात नामों की सिफारिश करे । डी. जी. सी. (दांडिक) बदायूं के लिए श्रीमती प्रेमवती मौर्य और तीन अन्यों को नामों की सिफारिश करने के लिए कहा गया था । उक्त पत्र की एक प्रति नीचे उद्धृत की जा रही है :-

"संख्या-एम-242/सात-न्याय-3-18

प्रेषक,

ओम प्रकाश
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बदायूँ ।

न्याय अनुभाग-3 (नियुक्तियां) लखनऊ : दिनांक 29 अगस्त, 2018

विषय :- जनपद बदायूँ में रिक्त शासकीय अधिवक्ताओं के विभिन्न पदों पर 14-14 दिन के आबन्धन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बदायूँ में शासकीय अधिवक्ताओं के विभिन्न रिक्त पदों के सापेक्ष विधि परामर्शी निदेशिका के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार 14-14 दिन हेतु अस्थायी रूप से आबद्ध किए जाने के संबंध में नियमानुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

1. श्रीमती प्रेमवती मौर्य पुत्री श्री रौशन लाल मौर्या (मो. - 9412852654), जि. शा. अधि., फौजदारी ।

2. श्री संजीव स्वरूप वैश्य पुत्र श्री प्रेम स्वरूप वैश्य (मो. - 9412461914), जि. शा. अधि., सिविल ।

3. श्री इंद्रेश कुमार पुत्र श्री रौशन लाल (मो. - 94564068424), जि. शा. अधि., राजस्व ।

4. श्री मदनलाल राजपूत श्री बिहारी लाल राजपूत (मो. - 9412654650), सहा. जि. शा. अधि., फौजदारी ।

5. श्री मुनेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम राठौर (मो. - 9410258484), सहा. जि. शा. अधि., फौजदारी ।

6. श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री रवीन्द्र पाल सिंह (मो. - 9997804271), सहा. जि. शा. अधि., फौजदारी ।

7. श्री अरविन्द बाल्मीकि पुत्र श्री ओंकार बाल्मीकि (मो. -

9837567520), सहा. जि. शा. अधि., फौजदारी ।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अनुसचिव ।"

17. जिला मजिस्ट्रेट ने स्वयं द्वारा अपनायी गई संपूर्ण प्रक्रिया की जैसी कि उसके तारीख़ 3 जनवरी, 2018 के पत्र द्वारा सिफारिश की गई थी, उपेक्षा करते हुए उन सात नामों की सिफारिश की जिनके नामों की विधि मंत्री तथा अवर सचिव द्वारा सिफारिश की गई थी । वर्तमान मामले में डी. जी. सी. (दांडिक) से संबंधित सुसंगत पैरा नीचे उद्धृत किया जा रहा है :-

"प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,
बदायूँ ।

सेवा में,

विशेष सचिव,
उ. प्र. शासन,
न्याय अनुभाग-3 (नियुक्तियां)
लखनऊ ।

संख्या : 1360/न्याय सहायक/2018 दिनांक : सितंबर 24, 2018

विषय : जनपद बदायूँ में शासकीय अधिवक्ताओं के विभिन्न पदों पर 14-14 दिन की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र संख्या : एम-242/सात न्याय-3-18 दिनांक 29-08-2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट

करें । जिसमें निम्नलिखित अधिवक्तागणों को 14-14 दिन के लिए शासकीय अधिवक्ता के विभिन्न पदों पर आबद्ध करने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है –

1. श्रीमती प्रेमवती मौर्य पुत्री श्री रौशन लाल मौर्या (जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी)

2. श्री संजीव स्वरूप वैश्य पुत्र श्री प्रेम स्वरूप वैश्य (जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल)

3. श्री इंद्रेश कुमार पुत्र श्री रौशन लाल (जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व)

4. श्री मदनलाल राजपूत पुत्र श्री बिहारी लाल राजपूत (सहा. जिला शास. अधि. फौजदारी)

5. श्री मुनेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम राठौर (सहा. जिला शास. अधि. फौजदारी)

6. श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री रवीन्द्र पाल सिंह (सहा. जिला शास. अधि. फौजदारी)

7. श्री अरविन्द बाल्मीकि पुत्र श्री ओंकार बाल्मीकि (सहा. जिला शास. अधि. फौजदारी)

उपरोक्त अधिवक्ताओं के संबंध में अभिलेखीय स्थिति एवं अन्य विवरण निम्नवत है --

1. श्रीमती प्रेमवती मौर्य पुत्री श्री रोशन लाल मौर्य

श्रीमती प्रेमवती मौर्या की 14-14 दिन के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है । जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के संबंध में विधि परामर्शी निर्देशिका के पैरा–7.10 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उसका कार्य सामान्यता अतिरिक्त/सहायक जिला सरकारी अधिवक्ता, यदि कोई हो, द्वारा किया जाएगा । वर्तमान में जनपद में 01 अपर शासकीय

अधिवक्ता (फौजदारी), 07 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा एक नामिका वकील (फौजदारी) कार्यरत हैं । वर्तमान में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) का पद रिक्त है तथा इस पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पत्र संख्या : 775/न्याय सहायक/2018 दिनांक 03–01–2018 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है । श्रीमती प्रेमवती मौर्य को 14-14 दिन के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के पद पर आबद्ध किए जाने के संबंध में शासन द्वारा उचित निर्णय लिए जाने की संस्तुति की जाती है ।"

18. सिफारिश के अनुसरण में तारीख़ 14 नवंबर, 2018 को श्रीमती प्रेमवती मौर्य और दो अन्यों सहित छह व्यक्तियों की डी. जी. सी. (दांडिक) बदायूँ के रूप में नियुक्तियां की गई थीं ।

19. श्रीमती प्रेमवती मौर्य की नियुक्ति को 2018 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका 41210 (जवाहर सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में आक्षेपित किया गया था जिसमें इस माननीय न्यायालय ने तारीख़ 10 जनवरी, 2019 को श्रीमती प्रेमवती मौर्य की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए आदेश पारित किया था ।

20. आश्चर्यजनक रूप से याची ने तारीख़ 27 मार्च, 2019 को 2018 की उपर्युक्त सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 41210 में रिट याचिका को वापस लेने की ईप्सा करते हुए एक आवेदन फाइल किया जो इस न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया और तारीख़ 27 मार्च, 2019 के आदेश द्वारा रिट याचिका वापस लेने के रूप में खारिज कर दी गई । उसके तुरन्त पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट ने तारीख़ 26 अप्रैल, 2019 को श्रीमती प्रेमवती मौर्य को डी. जी. सी. (दांडिक) के पद पर 14 दिवसों के आधार पर पुन: नियुक्त कर दिया जो अभी तक सतत् रूप से विद्यमान है ।

21. ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री एस. के. वर्मा ने यह दलील दी है कि नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णतया मनमानी, अवैध और एल. आर. मैनुअल के उपबंधों के प्रतिकूल है और राजनीति से प्रेरित है और

इसलिए विधि के प्रतिकूल है । उन्होंने यह दलील दी है कि राज्य सरकार प्रशासनिक विनिश्चय करते समय ऋजु और युक्तियुक्त रीति में कार्रवाई करने और विधिक नियम को अपनाने के लिए आबद्ध है जो कि भारत के संविधान के अधिकथित सिद्धांतों की मूल भावना है । उन्होंने बल देकर यह दलील दी है कि नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया विधि और न्याय मंत्री द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर अपनायी गई है और सचिव (विधि) के अधीन कार्य कर रहे राज्य कृत्यकारियों तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त प्रक्रिया का आंख मूंद कर अनुसरण किया गया है । उन्होंने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया है कि न्याय मंत्री, अवर सचिव या जिला मजिस्ट्रेट ने सात व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने में अपना किसी प्रकार का समाधान अभिलिखित नहीं किया है और उन्होंने उस सिफारिश की उपेक्षा की जो सिफारिश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख़ 3 जनवरी, 2018 को विधि की सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् की गई थी । अत: उन्होंने यह अनुरोध किया है कि रिट याचिका मंजूर की जाए और याची को तारीख़ 3 जनवरी, 2018 की सिफारिश के निबंधनों में नियुक्ति प्रदान की जाए । उन्होंने बल देकर इस न्यायालय द्वारा सन्तोष कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य वाले मामले का जिसका पुष्पेन्द्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य वाले मामले में अनुसरण किया गया है, अवलंब लिया है ।

22. इस संबंध में याची के विद्वान् काउंसेल ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** बनाम **अजय कुमार शर्मा और एक अन्य**[1] ; **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** बनाम **जौहरी मल**[2] ; **पंजाब राज्य और एक अन्य** बनाम **बृजेश्वर सिंह चाहल और एक अन्य**[3] और **कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[4] वाले मामलों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया है ।

---

[1] (2016) 15 एस. सी. सी. 289.

[2] (2004) 4 एस. सी. सी. 714.

[3] (2016) 6 एस. सी. सी. 1.

[4] (1991) 1 एस. सी. सी. 212.

23. विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री नीरज त्रिपाठी ने नियुक्तियों को इस आधार पर न्यायोचित ठहराने का प्रयत्न किया है कि राज्य सरकार एल. आर. मैनुअल के पैरा 7.03 के निबंधनों में नियुक्तियां करने के लिए सशक्त है और इसलिए राज्य सरकार ने नियुक्तियां करने में न्यायोचित कार्य किया है । श्री त्रिपाठी ने अपनी इस दलील के समर्थन में एल. आर. मैनुअल के पैरा 7.06(3) के उपबंधों का अवलंब लिया है कि किसी विधि व्यवसायी की डी. जी. सी. के रूप में नियुक्ति केवल अनंतिम नियुक्ति होती है जो किसी भी पक्ष की ओर से रद्द की जा सकती है और चूंकि ऐसी नियुक्ति सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति नहीं होती है इसलिए सरकार किसी भी समय कोई कारण बताए बिना किसी डी. जी. सी. की नियुक्ति को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियां को परिरक्षित रखती है । इस संबंध में विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने तीन निर्णयों अर्थात् **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** बनाम **जौहरीमल (पूर्वोक्त), उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** बनाम **अजय कुमार शर्मा और एक अन्य** (पूर्वोक्त) और **मनोज कुमार यादव** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामलों का अवलंब लिया है ।

24. यह उपदर्शित करने के लिए कोई दलील नहीं दी गई है और न ही अभिलेख पर कोई दस्तावेज पेश किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई सिफारिशों पर जो सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण करके की गई थी और यह सिफारिश तारीख़ 3 जनवरी, 2018 के पत्र द्वारा सम्यक् रूप से की गई थी, कार्रवाई क्यों नहीं की गई ।

25. काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों को दृष्टिगत करते हुए विचारार्थ ये मुद्दे उदभूत होते हैं कि क्या राज्य सरकार एल. आर. मैनुअल के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् तारीख़ 3 जनवरी, 2018 के पत्र द्वारा नियुक्तियों के लिए की गई सिफारिश की उपेक्षा करने और उस प्रक्रिया द्वारा नियुक्तियां करने जो एल. आर. मैनुअल के उपबंधों के प्रतिकूल हैं, डी. जी. सी. के पद पर नियुक्तियां किए जाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय तथा इस उच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रतिकूल नियुक्तियां करने में न्यायोचित है ।

---

[1] 2018 की रिट याचिका (सिविल) सं. 8741.

26. इस न्यायालय ने संतोष कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 17 अन्य वाले मामले में एल. आर. मैनुअल के उपबंधों, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और डी. जी. सी. के पद पर की जाने वाली नियुक्तियों की व्याप्ति पर विस्तारपूर्वक विचार किया था और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** बनाम **अजय कुमार शर्मा और एक अन्य** (पूर्वोक्त), **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** बनाम **जौहरीमल** (पूर्वोक्त), **पंजाब राज्य और एक अन्य** बनाम **बृजेश्वर सिंह चाहल** (पूर्वोक्त) वाले मामलों में दिए गए निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि मुख्य निष्कर्ष जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से निकाले जा सकते हैं, इस प्रकार हैं :-

> "(i) कोई भी व्यक्ति जिला सरकारी काउंसेल की नियुक्ति के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता ।
>
> (ii) जिला सरकारी काउंसेल का पद लोक महत्व और न्याय प्रदान करने की प्रणाली के लिए अति-संवेदी पद होता है ।
>
> (iii) उक्त पदों पर नियुक्तियां राज्य सरकार के विवेकाधिकार पर आधारित होती हैं तथापि, उक्त विवेकाधिकार का प्रयोग युक्तियुक्त रूप से और ऋजुतापूर्वक तथा मनमानेपन या पारितोष के तत्व के बिना लोक हित में किया जाना चाहिए ।
>
> (iv) नियुक्ति प्रक्रिया में राजनैतिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है । प्रक्रिया चाहे यह कानूनी हो या प्रशासनिक, ऋजुता और अमनमानेपन की परीक्षा पर खरी उतरनी चाहिए ।
>
> (v) चयन की प्रक्रिया जिला न्यायाधीश या समिति के सम्यक् परामर्श के पश्चात् पूरी की जानी चाहिए ।"

27. इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि एल. आर. मैनुअल का कोई कानूनी समर्थन नहीं है तथापि, यह नियुक्ति की रीति के लिए मार्गदर्शन उपबंधित करता है जिससे ऋजुता के सिद्धांत का पालन होता है और इसलिए इसका, इसकी भावना को दृष्टिगत करते हुए अनुसरण किया जाना चाहिए । नियुक्ति की ऐसी

रीति जिसमें जिला न्यायाधीश से परामर्श या अभ्यर्थियों की छंटनी सूची बनाने के लिए जिला न्यायाधीश द्वारा गठित समिति सम्मिलित है, एक ऋजु प्रक्रिया है और जिला स्तर पर सरकारी काउंसेलों अर्थात् अपर जिला सरकारी काउंसेल और सहायक डी. जी. सी. के पद पर नियुक्तियां करते समय आवश्यक रूप से ऋजु प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

28. इस न्यायालय ने अधिकारी-तंत्र-राजनैतिक संबंधों पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा **तरलोचन देव शर्मा** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लेते हुए इस प्रकार मत व्यक्त किया है :-

> "15. आज कल के अधिकारी-तंत्र-राजनैतिक संबंधों के दृश्य विधान पर विचार करना दिलचस्प है -
>
> > 'नौकरशाही-तंत्र उच्च स्तरीय राजनैतिक नेताओं द्वारा विहित उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है । यह अलादीन के चिराग के समान उन लोगों के हितों को पूरा करता है जो शासन करना चाहते हैं । ऐसे लोग ऐसे क्रियाकलापों के सहारे अपनी राजनैतिक और सत्ता के ज़रिए शीर्षस्थ प्रभुत्व का प्रयोग करते हैं.....मंत्री अपने हक़ में विनिश्चय करते हैं । अधिकारीगण ट्रक, पैट्रोल और चालकों का इंतजाम करते हैं । वे प्रयाण-आदेश करते हैं । मंत्री उन्हें यह बताते हैं कि उन्हें क्या करना है । अधिकारीगण इस बारे में कोई आपत्ति किए बिना मंत्रियों के अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई करते हैं । (इफेक्टिवनेस आफ़ ब्यूरोक्रेसी ; द इंडियन जरनल आफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अप्रैल-जून 2000 पृष्ठ सं. 165) ।'
>
> 16. जैसा कि संविधान द्वारा अनुध्यात है, भारतीय अभिशासन प्रणाली में वरिष्ठ अधिकारी जो महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं यथा सचिवों के बारे में यह पाया जाता है कि वे स्वयं का विवेक, इच्छा-शक्ति और विनिश्चय करने वाले प्राधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं

---

[1] (2006) 6 एस. सी. सी. 260.

और अपनी शक्तियों को त्यक्त करने के लिए तैयार रहते हैं अथवा पीछे हट जाते हैं अथवा उन राजनीतिज्ञों से जिन्हें विधिक अधिकार नहीं है, निदेश प्राप्त करके कार्रवाई करते हैं । सिविल सेवकों को विनियमित करने वाले केन्द्र सरकार के आचार नियम सिविल सेवकों को सदैव पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण को बनाए रखने के लिए विनियमित किए गए हैं और उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो किसी सरकारी सेवक के लिए अनुचित हो । किसी सरकारी सेवक को अपने शासकीय कर्तव्यों के पालन में अथवा उनको प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में उस समय उसके सिवाय जिसे वह अपनी दृष्टि से सही समझता हो, और कुछ नहीं करना चाहिए जब वह अपने उच्चतर अधिकारी के निदेशाधीन कार्य कर रहा हो । इस न्यायालय द्वारा अनिरुद्ध सिंह जी जडेजा (1945) 5 एस. सी. सी. 302 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी कानूनी प्राधिकारी को जिसमें अधिकारिता निहित हो, स्वयं अपने विवेक के अनुसार ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करना चाहिए ; किसी उच्चतर प्राधिकारी के निदेश या अनुदेश के अधीन अधिकार का प्रयोग करना पूर्ण रूप से अधिकार का प्रयोग करने से विफल रहना है । इस न्यायालय द्वारा पुरताबपुर कंपनी लिमिटेड ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1896 वाले मामले में किए गए संप्रेक्षण अनुदेशात्मक और युक्तियुक्त हैं । प्रशासनिक अधिकारी अपने कानूनी विवेकाधिकारों के प्रयोग में लोक नीति को और भिन्न संदर्भ में संपूर्णत: मंत्री या सरकार की नीति को उस समय विचार में ले सकते हैं जब यह नीति का मूल्यांकन करने में एक सुसंगत कारक हो तथापि, वे वैयक्तिक (विशिष्ट) मामलों में अपने वैयक्तिक निर्णय का प्रयोग करने के अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते जब तक कि किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा अनुदेशों के लिए अथवा उन्हें आबद्ध करने के लिए सुस्पष्ट कानूनी उपबंध मौजूद न हों । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि हम पर्याप्त सामग्री के अभाव में ऐसा कोई सकारात्मक या निश्चित निष्कर्ष अभिलिखित नहीं कर रहे हैं कि आक्षेपित आदेश इसके लिए प्राधिकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य किसी व्यक्ति के कहने पर

या निदेश पर पारित किया गया था । तथापि, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आक्षेपित आदेश पारित करने में मामले के तथ्यों पर और सुसंगत विधि पर विचार नहीं किया गया है । उस रीति से जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 22 के अधीन शक्ति का प्रयोग किया गया है, उस विश्वास की पूर्ण कमी प्रतीत होती है, जो राज्य सरकार ने मुख्य (प्रधान) सचिव में अधिनियम की धारा 22 के अधीन नगरपालिका के अध्यक्ष को हटाने की प्रबल शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रदत्त की है । किसी भी प्रकार से यह कहा जा सकता है कि जो कुछ किया गया है वह ऐसा नहीं है जो राज्य सरकार के किसी खंड के मुख्य सचिव के सदृश किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाना प्रत्याशित है । हम इस मुद्दे पर इससे अधिक और कुछ कहना नहीं चाहते ।"

29. यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि एल. आर. मैनुअल के पैरा 7.10 के अधीन यथा परिकल्पित अल्प-अवधि नियुक्ति भी वकीलों की ऐसी सूची से ही की जा सकती है जो पैरा 7.03 के अधीन जारी विज्ञापनों के विबंधनों में सूची को अंतिम बनाने से पूर्व विद्यमान हो । यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करते हुए नियुक्ति को अभिखंडित करता है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना नियुक्ति करने की कार्रवाई विधि अनुसार नहीं की गई थी और मनमानेपन के अधीन थी और राज्य सरकारों की कार्रवाई अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण में तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अतिक्रमण में अभिनिर्धारित की जाती है ।

30. चूंकि वर्तमान मामले के तथ्य पूर्णतया **संतोष कुमार** (पूर्वोक्त) वाले मामले के समान हैं इसलिए उक्त मामले का निर्णय वर्तमान मामले को पूर्णतया लागू होता है ।

31. वर्तमान मामले में राज्य सरकार ने विधि के प्रतिकूल प्रक्रिया का आश्रय लिया है और किसी भी प्रकार का अर्थात् व्यक्तिपरक या वस्तुपरक समाधान किए बिना तथा विशेषतया किसी भी प्रकार की

प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना विधि मंत्री द्वारा सिफारिश किए गए नामों की जिनके नाम संयुक्त सचिव (विधि) तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए थे, सिफारिश की है ।

32. इस मामले की सामग्री और विशेष लक्षण ये हैं कि जिला न्यायाधीश ने विनिर्दिष्ट रूप से श्रीमती प्रेमवती मौर्य के नाम के प्रति असमाधान अभिलिखित किया था और इसके पश्चात् इस न्यायालय ने भी एक रिट याचिका ग्रहण करते हुए तारीख़ 10 जनवरी, 2019 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था तथापि, जैसे ही उक्त रिट याचिका वापस ली गई, राज्य सरकार ने श्रीमती प्रेमवती मौर्य के हक़ में एक नया नियुक्ति आदेश जारी कर दिया ।

33. अत: तथ्यों के उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार एल. आर. मैनुअल के अधीन यथा विहित विधि की किसी सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना अपनी पसन्द के व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहती थी जिससे स्पष्टतया यह उपदर्शित होता है कि नियुक्तियां राजनैतिक आधार पर की गई थीं ।

34. यह सुस्थापित है कि कार्यपालक कार्रवाई उचित रूप से नहीं की गई है और सुस्थापित उपबंधों के भंग में की गई नियुक्तियां संपूर्ण कार्रवाई को मनमानी और अवैधानिक बना देती हैं । यह न्यायालय ऐसे अधिकारियों द्वारा विधि की सतत् रूप से जो विधिक नियमों के प्रवर्तन के लिए आबद्ध हैं, उपेक्षा करने के संबंध में अपनी नाराजगी व्यक्त करता है । हम यह भी उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं कि इस न्यायालय ने 2019 की रिट याचिका (सिविल) सं. 4794 (सन्तोष कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 17 अन्य) को विनिश्चित करते समय यह उल्लेख किया था कि विधि मंत्रालय के अधिकारी न्यायिक अधिकारी हैं और वे विधि की सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण करने और किसी भी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा अनुसरण की गई अवैध प्रक्रियाओं पर आपत्ति करने के लिए आबद्ध हैं । इस बारे में निम्नलिखित रूप में संप्रेक्षण किए जाते हैं :-

"खेदजनक रूप से यह उल्लेख किया जाता है कि जिला

मजिस्ट्रेट के इस स्पष्ट टिप्पण के बावजूद कि एल. आर. मैनुअल के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है, क्योंकि माननीय मंत्री द्वारा सिफारिश किए गए काउंसेल की योग्यता, क्षमता और सक्षमता के संबंध में जिला न्यायाधीश की राय नहीं ली गई है, राज्य ने सरकारी काउंसेल की नियुक्ति की है । जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि नियुक्ति केवल उन 51 व्यक्तियों की पूर्वतर सूची से ही की जानी चाहिए जो सूची जिला न्यायाधीश के परामर्श से तैयार की गई थी, तथापि, राज्य सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संलग्न टिप्पण की पूर्णतया उपेक्षा की है ।

हम दुख के साथ यह बताना चाहते हैं कि हमने मूल अभिलेख पर उन न्यायिक अधिकारियों द्वारा जो राज्य के न्यायिक सचिवालय में नियुक्त हैं, राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई अवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध कोई टिप्पण करना नहीं पाया है । सचिवालय में न्यायिक अधिकारियों के पद पर नियुक्त किए जाने का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे राज्य सरकार को सही विधिक परामर्श देंगे क्योंकि वे पराधीन नहीं हैं और राज्य सरकार के अधीन कार्य नहीं कर रहे हैं अपितु वे न्यायपालिका के अधीन कार्य करते हैं । उनसे यह प्रत्याशा की जाती है कि वे पूर्ण रूप से निर्भय होकर, ऋजुतापूर्वक और विधि के अनुसार कार्य करेंगे । हम यह संप्रेक्षण करने के लिए मजबूर हैं कि जिला मजिस्ट्रेट और न्यायिक सचिवालय में तैनात संबंधित न्यायिक अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है ।

यह सुस्थापित विधि है कि जहां कोई अधिकारी अपने किसी उच्चतर प्राधिकारी के अनुदेश पर अपनी शक्ति या कर्तव्य का प्रयोग करने से पीछे हटता है वहां उसकी कार्रवाई अवैध बन जाएगी । इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा तरलोचन देव शर्मा **बनाम** पंजाब राज्य और अन्य, दीपक बबारिया और एक अन्य **बनाम** गुजरात राज्य और अन्य वाले मामलों में दिए गए निर्णयों का और इस न्यायालय द्वारा मदन कुमार और अन्य **बनाम** जिला मजिस्ट्रेट औरय्या और अन्य वाले मामले में दिए गए निर्णय का निर्देश किया जा सकता है ।"

35. ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और विधि को दृष्टिगत करते हुए हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राज्य सरकार डी. जी. सी. (दांडिक) की नियुक्ति के लिए सिफारिश करते समय विधि की सम्यक् प्रक्रिया का अनुपालन करने में विफल रही है । अत: विधि मंत्री द्वारा तारीख़ 14 अगस्त, 2018 को की गई सिफारिशों, उप-सचिव द्वारा दोहराई गई उक्त सिफारिशों और परिणामस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 24 सितंबर, 2018 को की गई सिफारिशों के अनुसरण में की गई नियुक्तियां विधि की सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना की गई अभिनिर्धारित की जाती हैं और उन्हें एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है ।

36. राज्य सरकार को यह निदेश दिया जाता है कि वह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख़ 3 जनवरी, 2018 को की गई सिफारिशों के निबंधनों में नियुक्तियां करे । यह स्पष्ट किया जाता है कि तारीख़ 3 जनवरी, 2018 को की गई सिफारिश के निबंधनों में नियुक्तियां करने का उपर्युक्त प्रयोग शीघ्रातिशीघ्र अर्थात् इस निर्णय की तारीख़ से एक मास से अनधिक की अवधि के भीतर किया जाए ।

37. वर्तमान मामले में राज्य सरकार के आचरण की पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि डी. जी. सी. की नियुक्तियों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा उचित प्रक्रिया को अपनाने के लिए दो निर्णय पारित किए जाने के बावजूद राज्य द्वारा उचित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है । याची द्वारा भोगी गई परेशानी तथा प्रत्यर्थियों के आचरण को दृष्टिगत करते हुए हम राज्य पर दृष्टान्त रूप में हर्जाना डालना उचित समझते हैं ।

38. रिट याचिका 50,000/- (पचास हज़ार रुपए) के हर्जाने के साथ मंजूरी की जाती है । राज्य सरकार द्वारा हर्जाने की धनराशि आज से एक मास की अवधि के भीतर इस न्यायालय के महा-रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा की जाएगी और महा-रजिस्ट्रार को यह निदेश दिया जाता है कि वह उक्त धनराशि अधिवक्ता संगम, इलाहाबाद के पास शीघ्रातिशीघ्र जमा करेगा । निर्णय की प्रति हर्जाने के संदाय के संबंध में इस आदेश का आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस न्यायालय के महा-रजिस्ट्रार को भेजी जाए ।

39. रिट याचिका उपुर्यक्त दिए गए निदेशों के निबंधनों में मंजूर की जाती है ।

40. मूल अभिलेख प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल श्री विपिन पांडे को वापस किया जाए ।

रिट याचिका मंजूर की गई ।

मह.

(2019) 2 सि. नि. प. 788 **उत्तराखंड**

प्रताप और एक अन्य

बनाम

अनिल

[2015 की रिट याचिका सं. 419 (एम. एस.)]

तारीख़ 25 मार्च, 2019

न्यायमूर्ति लोक पाल सिंह

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) – आदेश 39, नियम 1 – अस्थायी व्यादेश के लिए आवेदन – वादी द्वारा प्रतिवादियों के विरुद्ध भूमि पर से बेकब्ज़ा करने और फसल काटने से रोकने के लिए अनुतोष मांगा जाना – वादी द्वारा खतौनी, खसरा और कब्ज़ा-पत्र द्वारा अपना कब्जा और सुविधा का संतुलन साबित किया जाना – प्रतिवादियों द्वारा अपने स्वामित्व और क़ब्जे के बारे में कोई दस्तावेज पेश न किया जाना – अस्थायी व्यादेश ठीक ही मंजूर किया गया है ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी ने 2011 का मूल वाद सं. 93, अनिल बनाम प्रताप और एक अन्य यह कथन करते हुए निषेधात्मक व्यादेश के लिए फाइल किया था कि वादी (हमारे समक्ष का प्रत्यर्थी) मौजा ग्राम कलसिया परगना गोरधानपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार स्थित खसरा सं. 321 क्षेत्रफल 0.53 हेक्टेयर का स्वामी और

काबिज है और उक्त भूमि के ऊपर उसकी गन्ने की फसल खड़ी है । यह कहा गया है कि याची (प्रतिवादी) प्रत्यर्थी (वादी) को बेकब्जा करने की धमकी दे रहे हैं और विवादित भूमि का अवैध रूप से कब्जा लेने और फसल काटने की भी धमकी दे रहे हैं । याचीगण (प्रतिवादी) उपस्थित हुए और उन्होंने यह कहते हुए अपने आक्षेप फाइल किए कि वादी विवादित संपत्ति पर काबिज नहीं है और प्रतिवादी विवादित संपत्ति पर काबिज हैं । यह कहा गया है कि याचियों द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229ख के अधीन भूमिधरी अधिकारों की घोषणा के लिए एक वाद फाइल किया गया था जो कि खारिज कर दिया गया था और जिसकी अपील लंबित है । यह भी कहा गया है कि उपर्युक्त अपील में विद्वान् अपर आयुक्त, गढ़वाल खंड, पौड़ी द्वारा यथास्थिति आदेश पारित किया गया है । याचियों द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन वर्तमान रिट याचिका अपर जिला न्यायाधीश, लक्सर, जिला हरिद्वार द्वारा तारीख 23 जनवरी, 2015 को पारित उस आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा उक्त न्यायालय ने 2011 के मूल वाद सं. 93, अनिल बनाम प्रताप और एक अन्य में विद्वान् सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड), लक्सर जिला हरिद्वार द्वारा तारीख 24 मार्च, 2012 को पारित आदेश को अभिखंडित करते हुए वादी-अनिल (हमारे समक्ष के प्रत्यर्थी) द्वारा फाइल अपील को मंजूर किया है और प्रतिवादियों (हमारे समक्ष के याचियों) को वाद संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया है । प्रतिवादियों ने उक्त आदेश से व्यथित होकर संविधान, 1950 के अनुच्छेद 227 के अधीन वर्तमान रिट याचिका फाइल की है । रिट याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – आक्षेपित आदेश के परिशीलन मात्र से यह उपदर्शित होता है कि विद्वान् अपील न्यायालय ने वादी (प्रत्यर्थी) के हक में प्रथमदृष्ट्या मामला बनने, सुविधा का संतुलन होने और अपूर्णनीय क्षति कारित होने के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं । अभिलेख पर यह उपदर्शित करने वाली कोई सामग्री नहीं है कि प्रतिवादी (याची) विवादित संपत्ति के स्वामी हैं अथवा उस पर काबिज हैं । चूंकि विद्वान्

विचारण न्यायालय ने वादी का अंतिरम व्यादेश आवेदन सरसरी रीति में खारिज किया है इसलिए विद्वान् अपील न्यायालय ने अपील में आदेश को ठीक ही अपास्त करते हुए वादी के हक में प्रथमदृष्ट्या मामला बनने, वादी के हक में व्यादेश मंजूर न करने के बारे में सुविधा का संतुलन होने, वादी को अपूर्णनीय क्षति होने के बारे में आधारभूत संघटकों से संतुष्ट होने के पश्चात् अंतरिम व्यादेश आवेदन मंजूर किया है और इसलिए वाद विफल हो जाएगा यदि वादी के हक में अंतरिम आदेश मंजूर नहीं किया जाता है । अपील न्यायालय द्वारा इस संबंध में अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक साक्ष्य पर आधारित हैं । याची अपील न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या अनुचितता उपदर्शित नहीं कर सके हैं । यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अपनी अधिकारिता के प्रयोग में अपील न्यायालय के सदृश कार्य नहीं कर सकता । याची स्वयं को कोई अन्याय होने की बात को उपदर्शित करने में विफल रहे हैं । दूसरे शब्दों में चूंकि याची विवादित संपत्ति के ऊपर अपनी हकदारी और क़ब्ज़ा साबित नहीं कर सके हैं इसलिए प्रत्यर्थी ने अपने हक में प्रथमदृष्ट्या मामला बनने, सुविध का संतुलन होने और स्वयं को अपूर्णनीय क्षति होने के तथ्य को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अधिकारिता एक परिसीमित अधिकारिता है । न्यायालय तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब याची यह साबित करने में पूर्णतया सफल रहे हों कि आक्षेपित आदेश पारित करने से उनके साथ अन्याय हुआ है । उपर्युक्त उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्यायालय को आक्षेपित आदेश में कोई अनुचितता और अवैधता प्रतीत नहीं होती है । रिट याचिका विफल होती है और खारिज की जाती है । (पैरा 8, 9, 10, 11 और 14)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2017]	ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 5587 = (2018) 12 एस. सी. सी. 584 : **अनिल कुमार सिंह** बनाम **विजय पाल सिंह** ;	12

[2015] ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 3269 =
(2015) 5 एस. सी. सी. 423 :
राधेश्याम और एक अन्य बनाम **छविनाथ और अन्य** ; 13

[1967] ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1 :
नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 13

आरंभिक (सिविल) रिट अधिकारिता : 2015 की रिट याचिका सं. 419. (एम. एस.)

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 227 के अधीन सिविल रिट याचिका ।

याचियों की ओर से श्री प्रदीप चौहान

प्रत्यर्थी की ओर से श्री महावीर सिंह त्यागी

न्यायमूर्ति लोक पाल सिंह – याचियों द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन वर्तमान रिट याचिका अपर जिला न्यायाधीश, लक्सर, जिला हरिद्वार द्वारा तारीख 23 जनवरी, 2015 को पारित उस आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा उक्त न्यायालय ने 2011 के मूल वाद सं. 93, अनिल बनाम प्रताप और एक अन्य में विद्वान् सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड), लक्सर जिला हरिद्वार द्वारा तारीख 24 मार्च, 2012 को पारित आदेश को अभिखंडित करते हुए वादी-अनिल (हमारे समक्ष के प्रत्यर्थी) द्वारा फाइल अपील को मंजूर किया है और प्रतिवादियों (हमारे समक्ष के याचियों) को वाद संपत्ति के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया है ।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी ने 2011 का मूल वाद सं. 93, अनिल बनाम प्रताप और एक अन्य यह कथन करते हुए निषेधात्मक व्यादेश के लिए फाइल किया था कि वादी (हमारे समक्ष का प्रत्यर्थी) मौजा ग्राम कलसिया परगना गोरधानपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार स्थित खसरा सं. 321 क्षेत्रफल 0.53 हेक्टेयर का स्वामी और काबिज है और उक्त भूमि के ऊपर उसकी गन्ने की फसल खड़ी है ।

यह कहा गया है कि याची (प्रतिवादी) प्रत्यर्थी (वादी) को बेकब्जा करने की धमकी दे रहे हैं और विवादित भूमि का अवैध रूप से कब्जा लेने और फसल काटने की भी धमकी दे रहे हैं । याचीगण (प्रतिवादी) उपस्थित हुए और उन्होंने यह कहते हुए अपने आक्षेप फाइल किए कि वादी विवादित संपत्ति पर काबिज नहीं है और प्रतिवादी विवादित संपत्ति पर काबिज हैं । यह कहा गया है कि याचियों द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229ख के अधीन भूमिधरी अधिकारों की घोषणा के लिए एक वाद फाइल किया गया था जो कि खारिज कर दिया गया था और जिसकी अपील लंबित है । यह भी कहा गया है कि उपर्युक्त अपील में विद्वान् अपर आयुक्त, गढ़वाल खंड, पौड़ी द्वारा यथास्थिति आदेश पारित किया गया है ।

3. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया ।

4. याचियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि चूंकि वादी (प्रत्यर्थी) विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष सच्चाई और ईमानदारी के साथ नहीं आया और इसलिए विचारण न्यायालय ने अपने तारीख 24 मार्च, 2012 के आदेश द्वारा वादी द्वारा फाइल किया गया अंतरिम अनुतोष आवेदन खारिज कर दिया । याचियों के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि विद्वान् अपील न्यायालय ने अपील मंजूर करने और याचियों को वादी (प्रत्यर्थी) के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करने के लिए निदेश करने में अवैधता कारित की है ।

5. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिशीलन मात्र से यह उपदर्शित होता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रथमदृष्ट्या मामले, सुविधा के संतुलन और अपूर्णनीय हानि के संबंध में कोई कारण अभिलिखित नहीं किया है । यद्यपि विद्वान् विचारण न्यायालय ने सरसरी रीति में वादी द्वारा फाइल किए गए दस्तावेजों की प्रति खतौनी, खसरा की प्रति और वादी के हक में जारी किए गए कब्जे के पत्र का निर्देश किया है तथापि, न्यायालय ने इस बारे में कोई कारण अभिलिखित नहीं किया है कि वादी अपने हक में अपना प्रथमदृष्ट्या

मामला और सुविधा का संतुलन साबित नहीं कर सका है और यदि अंतरिम व्यादेश मंजूर नहीं किया जाता है तो उसे अपूर्णनीय हानि होगी ।

6. तारीख 24 मार्च, 2012 के आदेश से व्यथित होकर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43, नियम 1 (द) के अधीन प्रकीर्ण अपील फाइल की गई थी । विद्वान् अपील न्यायालय ने वादी (प्रत्यर्थी) के हक में जारी किए गए कब्जा पत्र, खसरा और खतौनी की प्रति पर विचार करने के पश्चात् तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों अर्थात् चकबंदी अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि वादी (प्रत्यर्थी) ने अपने हक में प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन और अपूर्णनीय क्षति का तथ्य पूर्ण रूप से साबित कर दिया है और इसलिए प्रतिवादियों (याचियों) को वाद संपत्ति के ऊपर वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करने के लिए निदेश किया ।

7. प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि प्रत्यर्थी-वादी विवादित संपत्ति के ऊपर अपने अभिकथित अधिकारों की घोषणा के लिए याचियों द्वारा फाइल किए गए वाद में पक्षकार नहीं है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि चूंकि प्रत्यर्थी-वादी अपर आयुक्त, गढ़वाल खंड, पौड़ी के समक्ष लंबित अपील में पक्षकार नहीं है इसलिए विद्वान् अपर आयुक्त द्वारा पारित यथास्थिति आदेश वादी के ऊपर आबद्धकर नहीं है । प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि विद्वान् विचारण न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना अपर आयुक्त, गढ़वाल खंड द्वारा पारित यथास्थिति आदेश से प्रभावित हुआ था कि वादी न तो पक्षकार है और न ही यथा स्थिति आदेश उसके ऊपर आबद्धकर है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि अपील न्यायालय द्वारा यथा स्थिति आदेश इस बात को ध्यान में रखे बिना पारित किया गया है कि पक्षकार किस प्रकार की यथा स्थिति कायम रखेंगे और इसलिए यह किसी भी रीति में वादी पर आबद्धकर नहीं है । अत: विद्वान् विचारण न्यायालय ने अंतरिम व्यादेश आवेदन खारिज करने में अवैधता कारित की है और इसलिए विद्वान् अपील न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वादी वाद संपत्ति पर काबिज है और स्वामी है

और याचियों द्वारा वादी को बेकब्जा करने और प्रत्यर्थी-वादी की गन्ने की फसल काटने की धमकी दी गई थी इसलिए वादी के हक में प्रथमदृष्ट्या मामला बनता था और प्रत्यर्थी-वादी के हक में सुविधा का संतुलन भी था और यदि वादी के अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई अंतरिम आदेश मंजूर नहीं किया जाता है तो वादी को अपूर्णनीय हानि और क्षति होगी जो किसी भी प्रकार से धन के रूप में प्रतिकारित नहीं की जा सकेगी । प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अपील न्यायालय के तर्कपूर्ण निर्णय में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

8. आक्षेपित आदेश के परिशीलन मात्र से यह उपदर्शित होता है कि विद्वान् अपील न्यायालय ने वादी (प्रत्यर्थी) के हक में प्रथमदृष्ट्या मामला बनने, सुविधा का संतुलन होने और अपूर्णनीय क्षति कारित होने के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं । अभिलेख पर यह उपदर्शित करने वाली कोई सामग्री नहीं है कि प्रतिवादी (याची) विवादित संपत्ति के स्वामी हैं अथवा उस पर काबिज हैं ।

9. चूंकि विद्वान् विचारण न्यायालय ने वादी का अंतरिम व्यादेश आवेदन सरसरी रीति में खारिज किया है इसलिए विद्वान् अपील न्यायालय ने अपील में आदेश को ठीक ही अपास्त करते हुए वादी के हक में प्रथमदृष्ट्या मामला बनने, वादी के हक में व्यादेश मंजूर न करने के बारे में सुविधा का संतुलन होने, वादी को अपूर्णनीय क्षति होने के बारे में आधारभूत संघटकों से संतुष्ट होने के पश्चात् अंतरिम व्यादेश आवेदन मंजूर किया है और इसलिए वाद विफल हो जाएगा यदि वादी के हक में अंतरिम आदेश मंजूर नहीं किया जाता है ।

10. अपील न्यायालय द्वारा इस संबंध में अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक साक्ष्य पर आधारित हैं । याची अपील न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या अनुचितता उपदर्शित नहीं कर सके हैं । यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अपनी अधिकारिता के प्रयोग में अपील न्यायालय के सदृश कार्य नहीं कर सकता । याची स्वयं को कोई अन्याय होने की बात को उपदर्शित करने में विफल रहे हैं । दूसरे शब्दों में चूंकि

याची विवादित संपत्ति के ऊपर अपनी हकदारी और क़ब्ज़ा साबित नहीं कर सके हैं इसलिए प्रत्यर्थी ने अपने हक में प्रथमदृष्ट्या मामला बनने, सुविधा का संतुलन होने और स्वयं को अपूर्णनीय क्षति होने के तथ्य को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है ।

11. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अधिकारिता एक परिसीमित अधिकारिता है । न्यायालय तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब याची यह साबित करने में पूर्णतया सफल रहे हों कि आक्षेपित आदेश पारित करने से उनके साथ अन्याय हुआ है ।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने **अनिल कुमार सिंह** बनाम **विजय पाल सिंह**[1] वाले मामले में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है :-

> "28. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि रिट याचिका का क्षेत्र इस बारे में प्रश्न की परीक्षा करने तक सीमित था कि क्या विचारण न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23, नियम 1 के अधीन वादी द्वारा फाइल किया गया आवेदन मंजूर करने में और इस प्रश्न को विनिश्चित करने में न्यायपूर्ण कार्य किया है कि उच्च न्यायालय को यह परीक्षा करने में अपनी जांच परिसीमित करनी चाहिए थी कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23, नियम 1 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया था या नहीं न कि इसके परे ।
>
> 29. अत: उच्च न्यायालय की ओर से इस बारे में न्याय नहीं किया गया है कि वह वाद के संबंध में व्यादेश को मंजूर करने से संबंधित विवाद्यकों से बाहर चला गया है और उसने अपीलार्थी (वादी) को विवादित भूमि का कब्जा प्रत्यर्थी सं. 1 को देने के लिए निदेश दिया है ।
>
> 30. उच्च न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि चूंकि रिट याचिका में व्यादेश की मंजूरी का विवाद्यक याचिका की विषय-वस्तु नहीं था इसलिए वाद के प्रतिसंहरण के प्रश्न के संबंध में उसे

---

[1] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 5587 = (2018) 12 एस. सी. सी. 584.

कुछ नहीं करना था और द्वितीयत: किसी वाद का प्रतिसंहरण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23, नियम 1 द्वारा विनियमित होता है जबकि व्यादेश संहिता के आदेश 39, नियम 1 और 2 द्वारा विनयमित होता है । दोनों ही आदेश भिन्न-भिन्न क्षेत्रों को लागू होते हैं । इसके अतिरिक्त प्रतिवादी ने आदेश 43, नियम 1 (द) के अधीन अपील में व्यादेश की एकपक्षीय मंजूरी को आक्षेपित नहीं किया है और न ही उसने विचारण न्यायालय के समक्ष इसका विरोध किया है । इस बारे में केवल दो मंच थे, व्यादेश के जारी करने पर न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है तथापि, वर्तमान कार्यवाहियों में नहीं जो जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केवल वाद के प्रतिसंहरण तक परिसीमित थी और कुछ नहीं ।"

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राधेश्याम और एक अन्य** बनाम **छविनाथ और अन्य**[1] वाले मामले में **नरेश श्रीधर मिराजकर** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] वाले मामले में नौ न्यायाधीशों की न्यायपीठ के निर्णय पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन उपचार एक अपीलनीय उपचार नहीं है और इसका अत्यधिक आपवादिक मामलों में ही प्रयोग किया जा सकता है जहां न्याय की स्पष्ट हानि पाई गई हो और जहां न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अनुचितता हो ।

14. उपर्युक्त उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए मुझे आक्षेपित आदेश में कोई अनुचितता और अवैधता प्रतीत नहीं होती है । रिट याचिका विफल होती है और खारिज की जाती है । खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है । इस न्यायालय द्वारा तारीख 13 फरवरी, 2015 को पारित अंतरिम आदेश एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

रिट याचिका खारिज की गई ।

मह.

---

[1] ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 3269 = (2015) 5 एस. सी. सी. 423.

[2] ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1.

(2019) 2 सि. नि. प. 797 कलकत्ता

बलाई चंद साऊ और अन्य

बनाम

बृन्दाबन दशाधिकारी और अन्य

तारीख 14 अगस्त, 2019

(2017 की सिविल अपील संख्या 3521)

न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) – धारा 44 – संयुक्त परिवार की संपत्ति के सह-स्वामी द्वारा क्रेता को अचल संपत्ति का अंतरण – वादपत्र में सह-स्वामियों के अविभाजित परिवार से संबंधित किसी रिहायशी मकान की विद्यमानता दर्शित न किया जाना – अधिवक्ता आयुक्त द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट से यह दर्शित होना कि वादग्रस्त संपत्ति के आसपास सभी सह-स्वामियों के अपने-अपने मकान हैं – सह-स्वामियों का यह अभिवाक् कि संबंधित दस्तावेजों में वादग्रस्त संपत्ति को ऐसी भूमि के रूप में दर्शित किया जाना जिस पर अविभाजित परिवार से संबंधित रिहायशी मकान विद्यमान है, धारा 44 के द्वितीय पैराग्राफ की अपेक्षा को पूर्ण करता है, मान्य नहीं ठहराया जा सकता – धारा 44 के द्वितीय पैराग्राफ के उपबंध लागू नहीं होते और प्रतिवादी-अंतरिती खरीदी गई संपूर्ण संपत्ति के उपभोग का हकदार है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि 2013 के हक़ वाद संख्या 56 के याचियों (वादियों) ने वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'क' में वर्णित संपत्ति में उनके 1/3 अविभाजित अंश की घोषणात्मक डिक्री के लिए अनुतोष मांगा और साथ ही इस बाबत घोषणा की भी ईप्सा की कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपरिचित अंतरिती घोषित किया जाए । उक्त हक़ वाद में प्रतिवादियों द्वारा वादियों को बेदखल किए जाने और वादग्रस्त संपत्ति का विभाजन कराए बिना संपत्ति में प्रवेश करने से निषिद्ध किए जाने के लिए स्थायी व्यादेश की डिक्री की भी प्रार्थना की गई । वादियों ने तारीख 12 दिसंबर, 2013 को प्रतिवादी संख्या 1 को

वादग्रस्त संपत्ति में प्रवेश करने और उसमें कोई निर्माण कार्य करने से निषिद्ध किए जाने के लिए अस्थायी व्यादेश के लिए भी आवेदन किया था । वादियों ने उक्त वाद में तारीख 26 मार्च, 2013 को आज्ञापक व्यादेश के लिए एक अन्य आवेदन फाइल किया जिसके द्वारा उस निर्माण को ढहाए जाने के लिए प्रार्थना की गई जिसको तथाकथित रूप से विपक्षी संख्या 1 द्वारा 19 फरवरी, 2013 से 22 फरवरी, 2013 की अवधि के मध्य निर्मित किया गया था । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने दोनों आवेदनों पर एक साथ सुनवाई की और दोनों ही आवेदनों को तारीख 22 अप्रैल, 2015 के आदेश संख्या 28 द्वारा खारिज कर दिया । वादियों ने विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर दो पृथक्-पृथक् प्रकीर्ण अपीलें फाइल कीं । 2015 की प्रकीर्ण अपील संख्या 8 याचियों द्वारा आज्ञापक व्यादेश के लिए फाइल किए गए आवेदन को खारिज किए जाने के विरुद्ध निदेशित थी और 2015 की प्रकीर्ण अपील संख्या 9 याचियों द्वारा निषेधात्मक व्यादेश के लिए फाइल किए गए आवेदन को खारिज करने वाले आदेश के विरुद्ध निदेशित थी । निचले अपील न्यायालय ने उक्त दोनों प्रकीर्ण अपीलों पर एक साथ सुनवाई की और तारीख 28 मार्च, 2017 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा दोनों ही अपीलों को खारिज कर दिया । उक्त आदेशों से व्यथित होकर याचियों/वादियों द्वारा यह याचिका फाइल की गई । याचिका को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – 1882 के अधिनियम की धारा 44 का प्रथम पैराग्राफ किसी अचल संपत्ति के दो या दो से अधिक सह-स्वामियों को उनके अंश के अंतरिती के पक्ष में अंतरित की गई अचल संपत्ति में उनके अंश के विभाजन को प्रवर्तित कराने का अधिकार प्रदान करती है । 1882 के उक्त अधिनियम के उक्त उपबंध का द्वितीय पैराग्राफ सह-अंशधारकों को अविभाजित परिवार से संबंधित रिहायशी मकान के संबंध में अन्य सह-अंशधारकों द्वारा संयुक्त कब्जे या अन्य सामान्य या भागिक रूप से उपभोग के अधिकार पर किसी अंतरिती के अधिकार पर रुकावट अधिरोपित करता है । 1882 के अधिनियम की धारा 44 के द्वितीय पैराग्राफ की संरचना में मौजूद शब्दों "रिहायशी मकान" और "अविभाजित

परिवार" के अर्थ और परिधि के निर्वचन के संबंध में विधि स्थिरीकृत है । इन शब्दों को देश के विभिन्न न्यायालयों और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अनेक निर्णयों में स्पष्ट किया गया है, जिनका अवलंब श्री साहू द्वारा लिया गया है । 1882 के अधिनियम के उक्त उपबंधों में उपस्थित उक्त शब्दों का निर्वचन करते हुए इन निर्णयों में अधिकथित विधि की प्रतिपादनाओं पर विपरीत दृष्टिकोण व्यक्त किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । श्री मुखर्जी द्वारा बिल्कुल ठीक निवेदन किया गया है कि वादियों के अविभाजित परिवार से संबंधित किसी रिहायशी मकान की विद्यमानता 1882 के उक्त अधिनियम की धारा 44 के द्वितीय पैराग्राफ को आकर्षित किए जाने के प्रयोजनार्थ अनिवार्य है । वादपत्र में वादियों के अविभाजित परिवार से संबंधित किसी रिहायशी मकान की विद्यमानता का प्रकीटकरण नहीं किया गया है । हमारे समक्ष उपस्थित मामले में अधिवक्ता आयुक्त को वादग्रस्त संपत्ति के स्थानीय निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था । उक्त अधिवक्ता आयुक्त ने वादग्रस्त संपत्ति का निरीक्षण संचालित करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत थी, उक्त रिपोर्ट की बाबत कोई विवाद नहीं है । उक्त रिपोर्ट की प्रति से यह प्रकट होता है कि वादी संख्या 1, 2 और 3 के वादग्रस्त संपत्ति के आस-पास अपने-अपने पृथक् मकान हैं । निचले अपील न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में उक्त रिपोर्ट पर विचारोपरांत अभिनिर्धारित किया है कि केवल अपीलार्थी/वादी संख्या 3 का वादग्रस्त भूखंडों के भीतर अपना मकान है । तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार की होने के कारण वादी 1882 के उक्त अधिनियम की धारा 44 के द्वितीय पैराग्राफ का लाभ लेने के हकदार नहीं है, विशेष रूप से तब जब रिहायशी मकान की विद्यमानता का तथ्य वादियों के अभिवचनों में उपस्थित नहीं है । पूर्वोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं श्री साहू द्वारा दी गई इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि सुसंगत अधिकारों के अभिलेखों (आर. एस. आर. ओ. आर.) में वादग्रस्त संपत्ति को 'बास्तु' भूमि के रूप में अभिलिखित किए जाने से वादियों के अविभाजित परिवार से संबंधित रिहायशी मकान की विद्यमानता साबित होती है, जो 1882 के उक्त अधिनियम की धारा

44 के द्वितीय पैराग्राफ की अपेक्षा को संतुष्ट करती है । वादी वादपत्र में या वादपत्र के साथ व्यादेश के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन में 1882 के अधिनियम की धारा 44 के द्वितीय पैराग्राफ के अंतर्गत अपना कोई भी पक्षकथन प्रस्तुत कर पाने में दयनीय रूप से असफल रहे हैं । (पैरा 12, 13, 14, 15 और 16)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2000] (2000) 2 सी. एच. एन. 539 :
अनिल कुमार मित्रा मोदक और अन्य बनाम **तपन कुमार मित्रा मोदक और अन्य** ; 6

[1997] ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 471 :
घंटेशेर घोष बनाम **मदनमोहन घोष और अन्य** ; 6

[1996] (1996) 3 एस. सी. सी. 644 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1826 :
नरसिम्हा मूर्थी बनाम **सुशीला बाई (श्रीमती) और अन्य** ; 6

[1990] ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 867 :
दोराब कावासजी वार्डेन बनाम **कूमीसोराब वार्डेन और एक अन्य** ; 6

[1971] ए. आई. आर. 1971 उड़ीसा 139 :
उदय नाथ साहू बनाम **रत्नाकर बेज और अन्य** ; 6

[1971] (1971) 75 सी. डब्ल्यू. एन. 195 :
श्री सुरेन्द्र नाथ आचार और एक अन्य बनाम **श्री रामचंद्र और अन्य** ; 6

[1971] ए. आई. आर. 1971 उड़ीसा 198 :
भीम सिंह और एक अन्य बनाम **रत्नाकर सिंह और अन्य** ; 6

[1950] ए. आई. आर. 1950 कलकत्ता 111 :
बोतो कृष्ण घोष बनाम **अखोय कुमार घोष और अन्य** ; 6

[1950] (1950) 54 सी. डब्ल्यू. एन. 912 :
लाल बिहारी सामंता और अन्य बनाम **गौरहरि दान** ; 6

[1928] ए. आई. आर. 1928 कलकत्ता 539 :
नीलकमल भट्टाचार्या और एक अन्य बनाम **कामाक्ष्य चरण भट्टाचार्या और एक अन्य** ; 6

[1910] (1910) 12 कलकत्ता ला जर्नल 525 :
श्रीरोदे चंदर घोसाल और एक अन्य बनाम **सरोदा प्रोसाद मित्रा** । 6

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2017 की सिविल अपील संख्या 3521.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याचियों की ओर से सर्वश्री पुस्पेन्दु बिकास साहू (वरिष्ठ अधिवक्ता), सुधाकर बिस्वास, सुदीप्ता रॉय और प्रसांता बिसहाल

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री सौमिक गांगुली और सौरत नंदी

आदेश

2013 के अधिकार (हक़) वाद संख्या 56 के वादी दोनों पुनरीक्षण आवेदनों के याची हैं । उक्त वाद में याचियों (वादियों) ने वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची 'क' में वर्णित संपत्ति में उनके 1/3 अविभाजित अंश की घोषणा की डिक्री की ईप्सा की है और साथ ही इस बाबत घोषणा की भी ईप्सा की है कि प्रतिवादी संख्या 1 अपरिचित (परिवार से बाहर का व्यक्ति) अंतरिती है । उक्त अधिकार (हक़) वाद में वादियों ने प्रतिवादियों को वादियों को बेदखल करके और वादग्रस्त संपत्ति का विभाजन कराए बिना उसमें प्रवेश करने से निषिद्ध किए जाने के लिए स्थायी व्यादेश की डिक्री के लिए भी प्रार्थना की है ।

2. उक्त वाद में वादियों ने तारीख 12 दिसंबर, 2013 को प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त संपत्ति में प्रवेश करने और उसमें कोई निर्माण कार्य करने से निषिद्ध किए जाने के लिए व्यादेश के लिए आवेदन फाइल किया था । वादियों ने उक्त वाद में तारीख 26 मार्च, 2013 को आज्ञापक व्यादेश के लिए एक अन्य आवेदन भी फाइल किया था जिसके द्वारा उस निर्माण को ढहाए जाने की प्रार्थना की जिसको तथाकथित रूप से विपक्षी संख्या 1 द्वारा तारीख 19 फरवरी, 2013 से 22 फरवरी, 2013 की अवधि के मध्य निर्मित किया गया था । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने दोनों आवेदनों पर एक साथ सुनवाई की और दोनों ही आवेदनों को तारीख 22 अप्रैल, 2015 के आदेश संख्या 28 द्वारा खारिज कर दिया ।

3. वादियों ने विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर दो पृथक्-पृथक् प्रकीर्ण अपीलें फाइल कीं । 2015 की प्रकीर्ण अपील संख्या 8 याचियों द्वारा आज्ञापक व्यादेश के लिए फाइल किए गए आवेदन को खारिज किए जाने के विरुद्ध निदेशित थी और 2015 की प्रकीर्ण अपील संख्या 9 याचियों द्वारा निषेधात्मक व्यादेश के लिए फाइल किए गए आवेदन को खारिज करने वाले आदेश के विरुद्ध निदेशित थी ।

4. निचले अपील न्यायालय ने उक्त दोनों प्रकीर्ण अपीलों पर एक साथ सुनवाई की और तारीख 28 मार्च, 2017 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा दोनों ही अपीलों को खारिज कर दिया । 2017 की सिविल अपील संख्या 3513, 2015 की प्रकीर्ण अपील संख्या 9 को खारिज करने वाले उक्त निर्णय और आदेश के विरुद्ध निदेशित है और 2017 की सिविल अपील संख्या 3521, 2015 की प्रकीर्ण अपील संख्या 8 को खारिज करने वाले उक्त निर्णय और आदेश के विरुद्ध निदेशित है ।

5. याचियों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री साहू ने दृढ़तापूर्वक निवेदन किया कि याचियों ने निचले अपीली न्यायालय में आज्ञापक व्यादेश की अपनी प्रार्थना पर बल नहीं दिया था । निचले अपीली न्यायालय के समक्ष याचियों के इस पक्षकथन को दृष्टि में रखते

हुए 2017 की सिविल अपील संख्या 3521 को पोषणीय नहीं पाया जाता है और खारिज किया जाता है ।

6. याचियों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री साहू ने निवेदन किया कि चूंकि वादग्रस्त संपत्ति एक 'बास्तु' भूमि है और प्रतिवादी संख्या 1 वादी के परिवार के लिए अपरिचित व्यक्ति होने के कारण वादग्रस्त संपत्ति के संयुक्त कब्जे का हकदार नहीं है चूंकि 1882 के संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 44 इस प्रकार के किसी भी संयुक्त कब्जे को प्रतिषिद्ध करती है । श्री साहू ने 1882 के उक्त अधिनियम के द्वितीय पैराग्राफ की परिधि को विस्तृत करते हुए उच्चतम न्यायालय और साथ ही इस न्यायलय को सम्मिलित करते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित न्यायिक निर्णयज विधियों का अवलंब लिया :–

1. **श्रीरोदे चंदर घोसाल और एक अन्य** बनाम **सरोदा प्रोसाद मित्रा**[1] ;

2. **लाल बिहारी सामंता और अन्य** बनाम **गौरहरि दान**[2] ;

3. **बोतो कृष्ण घोष** बनाम **अखोय कुमार घोष और अन्य**[3] ;

4. **उदय नाथ साहू** बनाम **रत्नाकर बेज और अन्य**[4] ;

5. **भीम सिंह और एक अन्य** बनाम **रत्नाकर सिंह और अन्य**[5] ;

6. **श्री सुरेन्द्र नाथ आचार और एक अन्य** बनाम **श्री रामचंद्र और अन्य**[6] ;

7. **नीलकमल भट्टाचार्या और एक अन्य** बनाम **कामाक्ष्य चरण भट्टाचार्या और एक अन्य**[7] ;

---

[1] (1910) 12 कलकत्ता ला जर्नल 525.

[2] (1950) 54 सी. डब्ल्यू. एन. 912.

[3] ए. आई. आर. 1950 कलकत्ता 111.

[4] ए. आई. आर. 1971 उड़ीसा 139.

[5] ए. आई. आर. 1971 उड़ीसा 198.

[6] (1971) 75 सी. डब्ल्यू. एन. 195.

[7] ए. आई. आर. 1928 कलकत्ता 539.

8. **दोराब कावासजी वार्डेन** बनाम **कूमीसोराब वार्डेन और एक अन्य**[1] ;

9. **नरसिम्हा मूर्थी** बनाम **सुशीला बाई (श्रीमती) और अन्य**[2] ;

10. **घंटेशेर घोष** बनाम **मदनमोहन घोष और अन्य**[3] ;

11. **अनिल कुमार मित्रा मोदक और अन्य** बनाम **तपन कुमार मित्रा मोदक और अन्य**[4] ।

7. प्रतिवादी/विपक्षी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री मुखर्जी ने निवेदन किया कि 1882 के उक्त अधिनियम की धारा 44 के द्वितीय पैराग्राफ को आकर्षित किए जाने के प्रयोजनार्थ किसी अविभाजित परिवार से संबंधित किसी रिहायशी मकान का विद्यमान होना आवश्यक है, यह आरंभिक शर्त है । उन्होंने निवेदन किया कि अभिलेख पर ऐसी कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है जो याचियों के दावे का समर्थन करती हो या दूरस्थ रूप से भी इस बाबत संकेत करती हो कि वादी के अविभाजित परिवार से संबंधित वादग्रस्त संपत्ति में कोई निवास गृह विद्यमान है । उन्होंने **अनील कुमार मित्रा मोदक** बनाम **तपन कुमार मोदक** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए विनिश्चय का अवलंब लेते हुए निवेदन किया कि किसी निवास गृह, जिसके बाबत वादपत्र में कोई अभिवचन नहीं किया गया है, पर अपील में या वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन में विचार नहीं किया जा सकता ।

8. श्री साहू ने श्री मुखर्जी के उपरोक्त निवेदन का उत्तर देते हुए कहा कि वादग्रस्त संपत्ति को अधिकारों के अभिलेखों में स्वीकृतत: 'बास्तु' के रूप में अभिलिखित किया गया है और इस प्रकार से अभिलिखित किए जाने के आधार पर 1882 के उक्त अधिनियम की धारा 44 के द्वितीय पैराग्राफ की अपेक्षा की स्वयमेव ही संतुष्ट हो जाती है ।

---

[1] ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 867.

[2] (1996) 3 एस. सी. सी. 644 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1826.

[3] ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 471.

[4] (2000) 2 सी. एच. एन. 539.

9. पक्षों के विद्वान् काउंसेलों को सुना । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया ।

10. वाद के वादपत्र में इस प्रकार के अभिवचनों के आधार पर वादी 1882 के अधिनियम की धारा 44 के द्वितीय पैराग्राफ का आश्रय लेते हुए प्रतिवादी संख्या 1 को वादी द्वारा खरीदी गई संपत्ति के कब्जे का उपभोग करने से व्यादेश के आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध किए जाने की ईप्सा कर रहे हैं ।

11. वाद में वादियों के दावे की प्रकृति की परिधि को दृष्टि में रखते हुए 1882 के उक्त अधिनियम की धारा 44 की परिधि पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, अत: 1882 के उक्त अधिनियम के उक्त उपबंध को नीचे त्वरित निदेश हेतु प्रत्युपादित किया गया है :–

> "44. **किसी एक सह-स्वामी द्वारा अंतरण** – जहां किसी अचल संपत्ति के दो या दो से अधिक सह-स्वामियों में से कोई एक जो उस संपत्ति के बाबत विधिक रूप से सक्षम है, उस संपत्ति में अपने अंश या अपने किसी हित को अंतरित करता है, तो अंतरिती उस अंश या हित के बाबत, जहां तक अंतरण को प्रभावी किए जाने की आवश्यकता है और जहां तक संपत्ति के संयुक्त कब्जे या अन्य अधिकार या भागिक उपभोग और उसके विभाजन को प्रवर्तित किए जाने का संबंध है, किंतु अंतरण की तारीख को प्रभावित करने वाली शर्तों और दायित्वों के अध्यधीन रहते हुए, इस प्रकार से अंतरित किए गए अंश या हित के बाबत अंतरणकर्ता के अधिकार को अर्जित कर लेता है ।
>
> जहां किसी अविभाजित परिवार से संबंधित किसी रिहायशी मकान के किसी अंश का अंतरिती परिवार का सदस्य नहीं है, तो इस धारा की किसी भी बात के संबंध में यह उपधारणा नहीं की जाएगी कि यह धारा उसको उस मकान के संयुक्त कब्जे या अन्य सामान्य या भागिक उपभोग के बाबत हकदार बनाती है ।"

12. 1882 के अधिनियम की धारा 44 का प्रथम पैराग्राफ किसी अचल संपत्ति के दो या दो से अधिक सह-स्वामियों में से किसी एक को

उनके अंश के अंतरिती को उस अचल संपत्ति में उसके अंश के विभाजन को प्रवर्तित करने का अधिकार प्रदान करती है, जिसको उस सह-अंशधारक द्वारा उसके पक्ष में अंतरित किया गया है । 1882 के उक्त अधिनियम के उक्त उपबंध का द्वितीय पैराग्राफ सह-अंशधारकों को अविभाजित परिवार से संबंधित किसी रिहायशी मकान के संबंध में अन्य सह-अंशधारकों द्वारा संयुक्त कब्जे या अन्य सामान्य या भागिक रूप से उपभोग के अधिकार पर बाधा अधिरोपित करता है ।

13. 1882 के अधिनियम की धारा 44 के द्वितीय पैराग्राफ की संरचना में उपस्थित शब्दों "रिहायशी मकान" और "अविभाजित परिवार" के अर्थ और परिधि के निर्वचन के संबंध में विधि स्थिरीकृत है । इन शब्दों को देश के विभिन्न न्यायालयों और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अनेक निर्णयों में स्पष्ट किया गया है, जिनका अवलंब श्री साहू द्वारा लिया गया है । 1882 के अधिनियम के उक्त उपबंधों में उपस्थित उक्त शब्दों का निर्वचन करते हुए इन निर्णयों में अधिकथित विधि की प्रतिपादनाओं पर विपरीत दृष्टिकोण व्यक्त किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

14. श्री मुखर्जी द्वारा बिल्कुल ठीक निवेदन किया गया है कि वादियों के अविभाजित परिवार से संबंधित किसी रिहायशी मकान की विद्यमानता 1882 के उक्त अधिनियम की धारा 44 के द्वितीय पैराग्राफ को आकर्षित किए जाने के प्रयोजनार्थ अनिवार्य है ।

15. वादपत्र में वादियों के अविभाजित परिवार से संबंधित किसी रिहायशी मकान की विद्यमानता का प्रकटीकरण नहीं किया गया है । हमारे समक्ष उपस्थित वर्तमान मामले में एक अधिवक्ता आयुक्त को वादग्रस्त संपत्ति के स्थानीय निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था । उक्त अधिवक्ता आयुक्त ने वादग्रस्त संपत्ति का निरीक्षण संचालित करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, जिसके बाबत कोई विवाद नहीं है । उक्त रिपोर्ट की प्रति से यह प्रकट होता है कि वादी संख्या 1, 2 और 3 के वादग्रस्त संपत्ति के आस-पास अपने-अपने पृथक् मकान हैं । निचले अपील न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में उक्त रिपोर्ट पर विचारोपरांत

अभिनिर्धारित किया कि केवल अपीलार्थी/वादी संख्या 3 का वादग्रस्त भूखंडों के भीतर अपना मकान है । तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार की होने के कारण वादी 1882 के उक्त अधिनियम की धारा 44 के द्वितीय पैराग्राफ का लाभ लेने के हकदार नहीं हैं, विशेष रूप से तब जबकि रिहायशी मकान की विद्यमानता का तथ्य वादियों के अभिवचनों में उपस्थित नहीं है, जैसाकि इस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा **अनिल कुमार मित्रा मोदक** (उपरोक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है और जिसका अवलंब श्री मुखर्जी द्वारा लिया गया है ।

16. पूर्वोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं श्री साहू द्वारा दी गई इस दलील को स्वीकार कर पाने में असमर्थ हूं कि सुसंगत अधिकारों के अभिलेखों (आर. एस. आर. ओ. आर.) में वादग्रस्त संपत्ति को 'बास्तु' भूमि के रूप में अभिलिखित किए जाने से वादियों के अविभाजित परिवार से संबंधित रिहायशी मकान की विद्यमानता साबित होती है, जो 1882 के उक्त अधिनियम की धारा 44 के द्वितीय पैराग्राफ की अपेक्षा को संतुष्ट करती है । वादी वादपत्र में या वादपत्र के साथ व्यादेश के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन में 1882 के अधिनियम की धारा 44 के द्वितीय पैराग्राफ के अंतर्गत अपना कोई भी पक्षकथन प्रस्तुत कर पाने में दयनीय रूप से असफल रहे हैं ।

17. ऊपर की गई चर्चा को समाप्त करते हुए इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि आक्षेपित आदेश में कोई मध्यक्षेप अपेक्षित नहीं है । 2017 की सिविल अपील संख्या 3513 खारिज की जाती है । लागत के बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया जाता ।

18. यदि इस निर्णय की सत्यापित फोटोकापी के लिए तत्काल रूप से कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो पक्षों को अपेक्षित औपचारिकताओं के अनुपालन के पश्चात् उपलब्ध करा दी जाए ।

याचिका खारिज की गई ।

शु.

सुसैन भंडारी

बनाम

तुम्पा भंडारी

(2016 की प्रथम अपील सं. 161)

तारीख 28 जनवरी, 2019

न्यायमूर्ति डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति बी. बी. मंगलमूर्ति

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) – धारा 13(1)(i), (iक), (iख) – विवाह-विच्छेद – क्रूरता, अधित्यजन और जारता – जहां पति क्रूरता, अधित्यजन को साबित करने में असफल रहा क्योंकि पत्नी पति द्वारा घर से निकाले जाने के पश्चात् अलग रह रही थी, अतः पति विवाह-विच्छेद का हकदार नहीं है ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी-सुसैन भंडारी का प्रत्यर्थी-तुम्पा भंडारी **उर्फ** लता भंडारी के साथ तारीख 5 मई, 2001 को विवाह सम्पन्न हुआ था और उन दोनों ने ग्राम लहरिया, कलूबाथन, पुलिस थाना निरसा, जिला धनबाद में पति और पत्नी के रूप में रहना आरंभ कर दिया और उनसे दो बच्चों का जन्म हुआ । यह अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी-पत्नी चरित्रहीन महिला है और उसके विभीषण भंडारी के साथ अवैध संबंध हैं और इस कारण वह अपीलार्थी के साथ नहीं रहना चाहती है । उसने अपीलार्थी का भयादोहन किया (धमकाया) और उसके साथ क्रूरता बरती । प्रत्यर्थी तारीख 16 मई, 2008 को अपीलार्थी की सहमति के बिना उसके मकान से चली गई और तब से अपने मायके में रह रही है और उसने अपनी ससुराल आने से इनकार कर दिया है । अपीलार्थी का यह भी पक्षकथन है कि वह प्रत्यर्थी को बुलाने के लिए उसके घर गया था और उसकी ससुराल वालों ने उसके साथ गाली-गलौज किया और उस पर हमला किया तथा प्रत्यर्थी ने उसके साथ आने से इनकार कर दिया और इस प्रकार उसने तारीख 16 मई, 2008 से अपीलार्थी का परित्यजन कर दिया है । इस स्थिति में क्रूरता,

परित्यजन और अवैध नातेदारी में अन्तर्वलन के आधार पर विवाह के विघटन के लिए वाद फाइल किया गया था । प्रत्यर्थी न्यायालय में उपस्थित हुई और उसने लिखित कथन फाइल करके वाद का विरोध किया और यह अभिवचन किया कि वर्तमान मामला, प्रत्यर्थी द्वारा पुलिस थाना निरसा में 2006 के मामला सं. 85 के अधीन भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अन्तर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध संस्थित किए जाने पर अपीलार्थी द्वारा स्वयं को बचाने के लिए फाइल किया गया है । प्रत्यर्थी ने विभीषण भंडारी के साथ अपने अवैध संबंधों से इनकार किया । वस्तुत: धन के साथ अतिरिक्त दहेज और एक मोटरसाइकिल की मांग पूरा न करने के कारण प्रत्यर्थी को उसकी ससुराल से निकाल दिया गया था । अपीलार्थी, प्रत्यर्थी को उसकी ससुराल ले जाने के लिए कभी भी नहीं आया । यह अपील अपीलार्थी-पति द्वारा फाइल की गई है जिसके द्वारा फाइल किए गए वैवाहिक वाद को निचले न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित - अर्जीदार-अपीलार्थी ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए तीन साक्षियों की परीक्षा कराई तथा प्रत्यर्थी की ओर से भी तीन साक्षियों की परीक्षा कराई गई । निचले न्यायालय ने साक्ष्य की संवीक्षा करने के पश्चात् यह मत व्यक्त किया कि न तो जारकर्म-कर्ता विभीषण भंडारी को पक्षकार बनाया गया है और न ही यह उपदर्शित करने के लिए कोई परिस्थिति साबित की गई है कि प्रत्यर्थी-पत्नी के विभीषण भंडारी के साथ अवैध संबंध हैं । निचले न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अर्जीदार-पति ने दहेज की मांग पूरी न करने के कारण प्रत्यर्थी को उसकी ससुराल से निकाल दिया था और स्वीकृतत: वह अपने विरुद्ध संस्थित एक दांडिक मामले में समझौता होने के पश्चात् 2 फरवरी, 2008 को प्रत्यर्थी को वापस बुला लाया था । अत: प्रत्यर्थी के विभीषण भंडारी के साथ अवैध संबंधों का अभिकथन साबित नहीं माना गया । क्रूरता का दूसरा आधार अर्जीदार-अपीलार्थी के विरुद्ध इस आधार पर विनिश्चित किया गया था कि प्रत्यर्थी इस मजबूरी के अधीन अपनी ससुराल से बाहर रह रही थी क्योंकि अर्जीदार द्वारा उसे एक ही छत के अंदर रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया, यद्यपि समझौते के पश्चात् वे साथ-साथ रहे थे । यह अभिकथन भी कि प्रत्यर्थी ने तारीख

16 मई, 2008 से अर्जीदार का परित्यजन कर दिया था, साबित नहीं माना गया था क्योंकि अर्जीदार-अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य के दौरान स्वयं यह स्वीकार किया था कि प्रत्यर्थी को दांडिक मामले में समझौते के पश्चात् उसकी ससुराल वापस लाया गया था और उसके पश्चात् वह साढ़े तीन मास तक वहां रही थी । तारीख 16 मई, 2010 से उनके बीच मुकदमेदारी आरंभ हो गई थी । निचले न्यायालय ने यह पाया कि दांडिक मामले में समझौते के पश्चात् प्रत्यर्थी 2 फरवरी, 2008 को अपनी ससुराल वापस आ गई थी तथापि, अर्जीदार-पति ने उसे तारीख 16 मई, 2008 को अपने घर से निकाल दिया था और तब से वह अपने मायके में रह रही है । अत: प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा परित्यजन करना भी साबित नहीं पाया गया था । प्रत्यर्थी अपने पति के साथ रहने और अर्जीदार-पति के साथ दाम्पत्य संबंधों को बनाए रखना चाहती थी तथापि, अपीलार्थी ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया था । अत: पृथक्करण प्रत्यर्थी का स्वैच्छिक कार्य नहीं था । न्यायालय ने यह भी पाया कि अर्जीदार ने इस आधार पर विवाह के विघटन के लिए वाद फाइल किया था कि प्रत्यर्थी ने तारीख 16 मई, 2008 को अर्जीदार का परित्यजन कर दिया था और वाद तारीख 16 जून, 2008 को अर्थात् परित्यजन की अभिकथित तारीख के एक मास के पश्चात् फाइल किया गया था । तथापि, हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-ख) के अनुसार विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह इस आधार पर विघटित किया जा सकता है कि दूसरे पक्षकार ने अर्जी को पेश किए जाने से ठीक दो वर्ष से अधिक अवधि से सतत रूप से अर्जीदार का परित्यजन कर दिया है । अत: वाद हिन्दू विवाह अधिनियम की धाराओं की कानूनी आज्ञा के भीतर नहीं आता है । अत: यह विवाद्यक भी पति के विरुद्ध विनिश्चित किया गया था और न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अर्जीदार द्वारा लिए गए आधार साबित नहीं हुए हैं और यह अभिनिर्धारित किया कि अर्जीदार-पति विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए हकदार नहीं है और निचले न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया । न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य और साक्षियों के अभिसाक्ष्यों का परिशीलन किया । न्यायालय ने उनकी प्रतिपरीक्षा का भी परिशीलन किया जिसमें वे प्रत्यर्थी के विभीषण भंडारी के साथ जार-कर्म को साबित

करने में विफल रहे हैं । इसके प्रतिकूल अभिलेख पर के साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की ओर से दहेज की मांग को लेकर क्रूरता बरती गई थी । तथापि, मामले में समझौता हो गया था । तथापि, यह तथ्य रह जाता है कि प्रत्येक समझौते से विवाद की विद्यमानता उपधारित की जा सकती है । अभिलेख पर के साक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए वर्तमान अपीलार्थी द्वारा क्रूरता का आधार साबित नहीं किया जा सका है । विद्वान् निचले न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य का समुचित रूप से मूल्यांकन करते हुए वर्तमान अपीलार्थी द्वारा पेश किए गए 2008 के वैवाहिक वाद सं. 321 में विवाह-विच्छेद की अर्जी में तारीख 30 जून, 2016 को दिए गए निर्णय द्वारा अर्जी को खारिज करने का ठीक ही निष्कर्ष निकाला है । मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के संयुक्त प्रभाव के परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा जार कर्म करने तथा प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी का परित्यजन करने के तथ्यों को साबित करने में विफल रहा है । (पैरा 7, 8, 9, 10 और 11)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2016 की प्रथम अपील सं. 161.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री महेश तिवारी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री के. के. मिश्रा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बी. बी. मंगलमूर्ति ने दिया ।

न्या. मंगलमूर्ति – अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल और प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल को सुना गया ।

2. यह अपील अपीलार्थी-पति द्वारा फाइल की गई है जिसके द्वारा फाइल किए गए वैवाहिक वाद को निचले न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है ।

3. मुख्य न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धनबाद द्वारा तारीख 30 जून, 2016 को पारित निर्णय जिसके आधार पर तारीख 14 जुलाई, 2016 को डिक्री तैयार की गई है, से व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की गई है ।

4. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी-सुसैन भंडारी का प्रत्यर्थी-तुम्पा भंडारी **उर्फ** लता भंडारी के साथ तारीख 5 मई, 2001 को विवाह सम्पन्न हुआ था और उन दोनों ने ग्राम लहरिया, कलूबाथन, पुलिस थाना निरसा, जिला धनबाद में पति और पत्नी के रूप में रहना आरंभ कर दिया और उनसे दो बच्चों का जन्म हुआ । यह अभिकथित किया गया है कि प्रत्यर्थी-पत्नी चरित्रहीन महिला है और उसके विभीषण भंडारी के साथ अवैध संबंध हैं और इस कारण वह अपीलार्थी के साथ नहीं रहना चाहती है । उसने अपीलार्थी का भयादोहन किया (धमकाया) और उसके साथ क्रूरता बरती । प्रत्यर्थी तारीख 16 मई, 2008 को अपीलार्थी की सहमति के बिना उसके मकान से चली गई और तब से अपने मायके में रह रही है और उसने अपनी ससुराल आने से इनकार कर दिया है । अपीलार्थी का यह भी पक्षकथन है कि वह प्रत्यर्थी को बुलाने के लिए उसके घर गया था और उसकी ससुराल वालों ने उसके साथ गाली-गलौज किया और उस पर हमला किया तथा प्रत्यर्थी ने उसके साथ आने से इनकार कर दिया और इस प्रकार उसने तारीख 16 मई, 2008 से अपीलार्थी का परित्यजन कर दिया है । इस स्थिति में क्रूरता, परित्यजन और अवैध नातेदारी में अन्तर्वलन के आधार पर विवाह के विघटन के लिए वाद फाइल किया गया था ।

5. प्रत्यर्थी न्यायालय में उपस्थित हुई और उसने लिखित कथन फाइल करके वाद का विरोध किया और यह अभिवचन किया कि वर्तमान मामला, प्रत्यर्थी द्वारा पुलिस थाना निरसा में 2006 के मामला सं. 85 के अधीन भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अन्तर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध संस्थित किए जाने पर अपीलार्थी द्वारा स्वयं को बचाने के लिए फाइल किया गया है । प्रत्यर्थी ने विभीषण भंडारी के साथ अपने अवैध संबंधों से इनकार किया । वस्तुत: धन के साथ अतिरिक्त दहेज और एक मोटर साइकिल की मांग पूरा न करने के कारण प्रत्यर्थी को उसकी ससुराल से निकाल दिया गया था । अपीलार्थी, प्रत्यर्थी को उसकी ससुराल ले जाने के लिए कभी भी नहीं आया ।

6. निचले न्यायालय ने वाद में निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए :-

(i) क्या वाद अपने वर्तमान प्ररूप में ग्रहण किए जाने योग्य है ?

(ii) क्या प्रत्यर्थी के विभीषण भंडारी नामक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है ?

(iii) क्या प्रत्यर्थी ने अर्जीदार के साथ आपत्तिपूर्ण व्यवहार करके क्रूरता बरती है ?

(iv) क्या अर्जीदार ने नकद धनराशि और मोटर साइकिल के रूप में दहेज की मांग करके प्रत्यर्थी के साथ क्रूरता बरती है ?

(v) क्या अर्जीदार विवाह के विघटन की डिक्री पाने का हकदार है ?

(vi) क्या अर्जीदार कोई अन्य अनुतोष पाने का हकदार है ?

7. अर्जीदार-अपीलार्थी ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए तीन साक्षियों की परीक्षा कराई तथा प्रत्यर्थी की ओर से भी तीन साक्षियों की परीक्षा कराई गई । निचले न्यायालय ने साक्ष्य की संवीक्षा करने के पश्चात् यह मत व्यक्त किया कि न तो जार-कर्म-कर्ता विभीषण भंडारी को पक्षकार बनाया गया है और न ही यह उपदर्शित करने के लिए कोई परिस्थिति साबित की गई है कि प्रत्यर्थी-पत्नी के विभीषण भंडारी के साथ अवैध संबंध हैं । निचले न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अर्जीदार-पति ने दहेज की मांग पूरी न करने के कारण प्रत्यर्थी को उसकी ससुराल से निकाल दिया था और स्वीकृततः वह अपने विरुद्ध संस्थित एक दांडिक मामले में समझौता होने के पश्चात् 2 फरवरी, 2008 को प्रत्यर्थी को वापस बुला लाया था । अतः प्रत्यर्थी के विभीषण भंडारी के साथ अवैध संबंधों का अभिकथन साबित नहीं माना गया ।

8. क्रूरता का दूसरा आधार अर्जीदार-अपीलार्थी के विरुद्ध इस आधार पर विनिश्चित किया गया था कि प्रत्यर्थी इस मजबूरी के अधीन अपनी ससुराल से बाहर रह रही थी क्योंकि अर्जीदार द्वारा उसे एक ही छत के अंदर रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया, यद्यपि समझौते के पश्चात् वे साथ-साथ रहे थे ।

9. यह अभिकथन भी कि प्रत्यर्थी ने तारीख 16 मई, 2008 से अर्जीदार का परित्यजन कर दिया था, साबित नहीं माना गया था क्योंकि अर्जीदार-अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य के दौरान स्वयं यह स्वीकार किया था कि प्रत्यर्थी को दांडिक मामले में समझौते के पश्चात् उसकी ससुराल वापस लाया गया था और उसके पश्चात् वह साढ़े तीन मास तक वहां रही थी । तारीख 16 मई, 2010 से उनके बीच मुकदमेदारी आरंभ हो गई थी । निचले न्यायालय ने यह पाया कि दांडिक मामले में समझौते के पश्चात् प्रत्यर्थी 2 फरवरी, 2008 को अपनी ससुराल वापस आ गई थी तथापि, अर्जीदार-पति ने उसे तारीख 16 मई, 2008 को अपने घर से निकाल दिया था और तब से वह अपने मायके में रह रही है । अत: प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा परित्यजन करना भी साबित नहीं पाया गया था । प्रत्यर्थी अपने पति के साथ रहने और अर्जीदार-पति के साथ दाम्पत्य संबंधों को बनाए रखना चाहती थी तथापि, अपीलार्थी ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया था । अत: पृथक्करण प्रत्यर्थी का स्वैच्छिक कार्य नहीं था । न्यायालय ने यह भी पाया कि अर्जीदार ने इस आधार पर विवाह के विघटन के लिए वाद फाइल किया था कि प्रत्यर्थी ने तारीख 16 मई, 2008 को अर्जीदार का परित्यजन कर दिया था और वाद तारीख 16 जून, 2008 को अर्थात् परित्यजन की अभिकथित तारीख के एक मास के पश्चात् फाइल किया गया था । तथापि, हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-ख) के अनुसार विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह इस आधार पर विघटित किया जा सकता है कि दूसरे पक्षकार ने अर्जी को पेश किए जाने से ठीक दो वर्ष से अधिक अवधि से सतत रूप से अर्जीदार का परित्यजन कर दिया है । अत: वाद हिन्दू विवाह अधिनियम की धाराओं की कानूनी आज्ञा के भीतर नहीं आता है । अत: यह विवाद्यक भी पति के विरुद्ध विनिश्चित किया गया था और न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अर्जीदार द्वारा लिए गए आधार साबित नहीं हुए हैं और यह अभिनिर्धारित किया कि अर्जीदार-पति विवाह-विच्छेद की डिक्री के लिए हकदार नहीं है और निचले न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया ।

10. हमने अभिलेख पर के साक्ष्य और साक्षियों के अभिसाक्ष्यों का

परिशीलन किया । हमने उनकी प्रतिपरीक्षा का भी परिशीलन किया जिसमें वे प्रत्यर्थी के विभीषण भंडारी के साथ जार-कर्म को साबित करने में विफल रहे हैं । इसके प्रतिकूल अभिलेख पर के साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की ओर से दहेज की मांग को लेकर क्रूरता बरती गई थी । तथापि, मामले में समझौता हो गया था । तथापि, यह तथ्य रह जाता है कि प्रत्येक समझौते से विवाद की विद्यमानता उपधारित की जा सकती है । अभिलेख पर के साक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए वर्तमान अपीलार्थी द्वारा क्रूरता का आधार साबित नहीं किया जा सका है । विद्वान् निचले न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य का समुचित रूप से मूल्यांकन करते हुए वर्तमान अपीलार्थी द्वारा पेश किए गए 2008 के वैवाहिक वाद सं. 321 में विवाह-विच्छेद की अर्जी में तारीख 30 जून, 2016 को दिए गए निर्णय द्वारा अर्जी को खारिज करने का ठीक ही निष्कर्ष निकाला है ।

11. मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के संयुक्त प्रभाव के परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा जार-कर्म करने तथा प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी का परित्यजन करने के तथ्यों को साबित करने में विफल रहा है ।

12. अभिलेख पर के उपर्युक्त साक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए हमारा यह मत है कि विद्वान् मुख्य न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धनबाद द्वारा 2008 के वैवाहिक वाद सं. 321 में तारीख 30 जून, 2016 को पारित निर्णय द्वारा वाद को विनिश्चित करने में कोई गलती नहीं की है । हमें विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत के सिवाय अन्य कोई मत अपनाने के लिए कोई कारण प्रतीत नहीं होता है ।

13. अत: अपील में कोई बल न होने के कारण यह एतदद्वारा खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

मह./पा.

(2019) 2 सि. नि. प. 816 बाम्बे

ए. एस. पटेल ट्रस्ट, मुंबई और एक अन्य

बनाम

वाल स्ट्रीट फाइनेंस लिमिटेड, मुंबई

तारीख 23 जुलाई, 2019

(2019 की वाणिज्यिक माध्यस्थम् याचिका संख्या 452)

न्यायमूर्ति आर. डी. धानुका

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) – धारा 16(2) [सपठित प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 की धारा 41] – माध्यस्थम् की अधिकारिता का वर्जन – अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार के अंतर्गत अनुज्ञप्तिदाता और अनुज्ञप्तिधारी के मध्य प्रतिभूत जमा की वापसी के लिए विवाद – करार के अंतर्गत अनुज्ञप्ति पर दिए गए परिसर के अनुज्ञप्ति शुल्क का समायोजन प्रतिभूत जमा की रकम से किया जा सकता था, अत: विवाद अनुज्ञप्ति पर दिए गए परिसर के कब्जे की प्राप्ति से संबंधित नहीं था – प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के उपबंध आकर्षित नहीं होते – मध्यस्थ को विवाद निर्णीत करने की अधिकारिता प्राप्त है ।

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 – धारा 34 – पंचाट का अपास्त किया जाना – पक्षों के मध्य निष्पादित अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार के अंतर्गत अनुज्ञप्ति पर दिए गए परिसर का रिक्त और शांतिपूर्वक कब्जा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्तिदाता को प्रदान कर दिया जाना और प्रतिभूत जमा की वापसी का विवाद शेष रह जाना – अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस बाबत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि उसने प्रतिभूत जमा और अनुज्ञप्ति शुल्क का संदाय कर दिया है – अनुज्ञप्तिदाता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को संदेय रकम के बाबत अपने अभिवाक् को मान्य ठहराए जाने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहना – मध्यस्थ द्वारा अधिशेष प्रतिभूत जमा की रकम के संदाय के लिए अनुज्ञप्तिदाता को निर्देशित किया जाना उचित पाया गया ।

संक्षेप में इस वाणिज्यिक माध्यस्थम् याचिका को फाइल किए जाने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि माध्यस्थम् कार्यवाहियों में इस मामले के याची न्यास मूल प्रत्यर्थी थे और प्रत्यर्थी मूल दावाकर्ता । याची संख्या 1 न्यास फ्लैट संख्या 301 और 302, स्थित तृतीय तल, नताशा, 52, हिल रोड, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई का स्वामी है । याची संख्या 2 और 3 याची संख्या 1 न्यास के न्यासी हैं । माध्यस्थम् कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह था कि वह लंबे समय से याची के साथ वित्तीय संव्यवहारों में अंतर्वलित रहा है और उसने कुछ संव्यवहारों के दौरान वर्ष 2005 में कुल 3,00,00,000/- रुपए की रकमें याची संख्या 1 के पास विभिन्न चैकों के माध्यम से जमा कराई थीं । उक्त रकम याची संख्या 1 न्यास के पास लंबी अवधि तक जमा रहीं । प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि कुछ समय पश्चात् याचियों ने वर्ष 2007 में 3,00,00,000/- रुपए की रकम में से 75,00,000/- रुपए की रकम उसको लौटा दी । याचियों ने 2,25,00,000/- रुपए की लौटाए जाने योग्य रकम को प्रतिभूत जमा के रूप में अपने पास जमा रखा । वर्ष 2008 में किसी समयबिंदु पर प्रत्यर्थी ने उक्त परिसर 36 माह की अवधि, जो तारीख 1 अप्रैल, 2008 से आरंभ होनी थी, के दौरान प्रयोग के प्रयोजनार्थ पट्टे और अनुज्ञप्ति के आधार पर याची संख्या 1 न्यास से लेने का प्रस्ताव रखा । तारीख 1 अप्रैल, 2008 से आरंभ होने वाले उक्त पट्टा और अनुज्ञप्ति करार के निष्पादन की तारीख (7 जून, 2008) के पूर्व उक्त परिसर के ही संबंध में याची और प्रत्यर्थी 36 माह की अवधि के लिए, जो तारीख 31 मार्च, 2007 को समाप्त हो चुकी थी, तारीख 1 अप्रैल, 2004 को समान शर्तों पर एक अन्य पट्टा और अनुज्ञप्ति करार में प्रविष्ट हो चुके थे । तारीख 7 जून, 2008 के पट्टा और अनुज्ञप्ति करार के खंड 2 में यह उपबंधित किया गया था कि अनुज्ञप्तिधारी प्रत्यर्थी अनुज्ञप्तिदाता याची संख्या 1 के पास 2,25,00,000/- रुपए की रकम उक्त करार की शर्तों के सम्यक् रूप से निर्वहन के दौरान वापस लौटाए जाने योग्य ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा के रूप में अपने पास जमा रखेगा । उक्त करार के खंड 3 में उपबंधित था कि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्तिदाता को उक्त करार की अवधि के दौरान अग्रिम में प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम पांच दिनों के भीतर

3,75,000/- रुपए के मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क का संदाय करेगा । उक्त करार की अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिदाता को देय मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क में प्रत्येक 12 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् 5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की जानी थी । उक्त करार के खंड 5 में यह उपबंधित था कि अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर का कब्जा प्राप्त करेगा और करार की अवधि व्यतीत हो जाने के अंत में या करार के पूर्ववर्ती विनिर्धारण पर उक्त परिसर का रिक्त कब्जा शांतिपूर्वक सौंप देगा । उक्त करार के खंड 14 में यह उपबंधित था कि अनुज्ञप्तिदाता अनुज्ञप्तिधारी को उक्त करार के व्यतीत हो जाने पर और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त परिसर का रिक्त कब्जा शांतिपूर्वक सौंप दिए जाने पर प्रतिभूत जमा वापस लौटा देगा । खंड 15 में यह उपबंधित किया गया कि करार को अनुज्ञप्तिदाता द्वारा बिना कोई कारण समनुदेशित किए अग्रिम में तीन माह की सूचना देते हुए समाप्त किया जा सकता है, करार सूचना जारी किए जाने की तारीख से तीन माह व्यतीत हो जाने पर स्वत: समाप्त हो जाएगा और अधिशेष देय प्रतिभूत जमा में समायोजित कर दी जाएगी । करार तारीख 7 जून, 2008 को आश्वासन उप-रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकृत किया गया था । प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि मई, 2008 से अक्तूबर, 2009 की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क का संदाय बकाया था और प्रत्यर्थी ने तारीख 14 दिसंबर, 2009 को याचियों को अनुज्ञप्त परिसर का रिक्त कब्जा शांतिपूर्वक सौंप दिया था । प्रत्यर्थियों ने याचियों से मई 2008 से अक्तूबर, 2009 के महीनों के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क घटाने के पश्चात् प्रतिभूति जमा वापस लौटाए जाने के लिए अनुरोध किया, जैसाकि उक्त करार के निबंधनों के अनुसार अनुध्यात किया गया था । प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि पक्षों के मध्य मधुर संबंधों को दृष्टि में रखते हुए मौखिक रूप से इस बाबत सहमति हो गई थी कि याचियों के पास लौटाए जाने योग्य प्रतिभूत जमा की रकम में से मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क वसूल कर लिया जाए । प्रत्यर्थी याचियों की सहमति के आधार पर संदेय अनुज्ञप्ति शुल्क की कटौती समय-समय पर वापस लौटाए जाने योग्य प्रतिभूत जमा के स्रोत से कर रहे थे और ऐसे सभी संदायों पर स्रोत पर कर कटौती के प्रमाणपत्र जारी कर रहे थे । प्रत्यर्थी का

पक्षकथन यह है कि याचियों ने बिना किसी आक्षेप या विरोध के उन स्रोत पर कर कटौती प्रमाण-पत्रों को स्वीकार किया था । प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि उक्त करार की तारीख से डेढ़ वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात् उनको उक्त परिसर की आगे आवश्यकता नहीं थी और तद्नुसार उन्होंने याचियों को इस बाबत सूचित किया और याचियों ने प्रत्यर्थी के उक्त अनुरोध को बिना शर्त स्वीकार कर लिया और प्रत्यर्थी ने तारीख 14 दिसंबर, 2009 को याचियों को उक्त परिसर का शांतिपूर्वक रिक्त कब्जा उत्तम स्थिति में फर्नीचर और स्थावरों सहित सौंप दिया और याचियों ने बिना किसी विरोध के कब्जा स्वीकार कर लिया । प्रत्यर्थी ने उक्त परिसर रिक्त किए जाने के संबंध में कोई विवाद या एतराज कभी नहीं किया और साथ ही उन्होंने किसी किराए के बारे में भी कभी कोई विवाद नहीं उठाया । प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि उसने तारीख 14 दिसंबर, 2009 को उक्त परिसर का शांतिपूर्वक रिक्त कब्जा सौंपे जाने के पश्चात् याचियों को 37,500/- रुपए के स्रोत पर कर कटौती की रकम घटाने के पश्चात् 3,37,500/- रुपए का संदाय तारीख 4 दिसंबर, 2009 के चैक द्वारा नवंबर, 2009 माह के अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में कर दिया था । प्रत्यर्थी ने याची को स्रोत पर कर कटौती के रूप में 18,145/- रुपए की कटौती के पश्चात् 1,81,452/- रुपए की राशि का भी संदाय तारीख 9 दिसंबर, 2009 के चैक द्वारा दिसंबर, 2009 माह के 15 दिनों के अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में कर दिया था । याचियों ने प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए दोनों ही चैकों का नकदीकरण करा लिया था । प्रत्यर्थी का आगे पक्षकथन यह है कि मई, 2008 से अक्तूबर, 2009 के मध्य की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क असंदत्त रहा जो 57,27,554/- रुपए होता है और जिसकी संगणना 10,22,446/- रुपए के स्रोत पर कर कटौती घटाए जाने के पश्चात् 3,75,000/- रुपए मासिक की दर से किया गया है । प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि उसने याचियों से 2,25,00,000/- रुपए की रकम में से असंदत्त अनुज्ञप्ति शुल्क की कटौती किए जाने और उसका समायोजन किए जाने और प्रत्यर्थी को देय 1,67,72,446/- रुपए की ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा की अधिशेष रकम वापस लौटाए जाने के

लिए भी अनुरोध किया था । प्रत्यर्थी ने याची को असंदत्त किराए के बदले में स्रोत पर कर कटौती के प्रमाणपत्र भी हस्तगत कर दिए थे । याचियों ने वापस लौटाए जाने योग्य प्रतिभूति जमा की रकम से असंदत्त किराए की रकम को काट लिया था । प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि यद्यपि उसने याचियों से समय-समय पर वापस लौटाए जाने योग्य प्रतिभूति जमा की अधिशेष रकम का संदाय किए जाने की अपेक्षा की थी, किंतु याची किसी न किसी बहाने उक्त रकम का संदाय टालते रहे और उक्त किराए के संदाय को अनदेखा करते रहे । प्रत्यर्थी ने तारीख 11 जून, 2010 की ई-मेल के माध्यम से याचियों से उक्त रकम वापस लौटाए जाने का आग्रह किया । प्रत्यर्थी ने अपने बही-खातों में उक्त परिसर के बाबत किए गए जमा के संबंध में सुसंगत प्रविष्टियां भी की थीं । प्रत्यर्थी ने तारीख 13 अप्रैल, 2011 को याचियों को विधिक नोटिस जारी किया और उनसे 1,67,72,446/- रुपए की रकम का संदाय करने के लिए एक बार पुन: आग्रह किया । प्रत्यर्थी द्वारा भेजे गए उक्त विधिक नोटिस का न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उसके उत्तर में याचियों द्वारा कोई संदाय किया गया । याचियों ने वर्ष 2011 में किसी समय प्रत्यर्थियों के विरुद्ध लौटाए जाने योग्य प्रतिभूत जमा की अधिशेष राशि की ब्याज सहित वसूली के लिए 2011 का संक्षिप्त वाद संख्या 3124 फाइल किया । प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि प्रत्यर्थी द्वारा उक्त वाद में निर्णय अभिप्राप्त किए जाने के लिए फाइल किए गए समन के उत्तर में याची ने पहली बार प्रत्यर्थी के प्रति अपने दायित्व को बिना किसी आधार के विवादित किया । इस न्यायालय ने पक्षों की सहमति से जारी किए गए तारीख 9 जनवरी, 2013 को पारित आदेश द्वारा संक्षिप्त वाद के समस्त विवादों को एकल माध्यस्थम् को निर्दिष्ट कर दिया । पक्षों को मध्यस्थ के समक्ष समस्त दलीलें देने का अधिकार था । संक्षिप्त वाद और साथ ही निर्णय के लिए जारी किए गए समन का निस्तारण उक्त आदेश द्वारा कर दिया गया । तत्पश्चात् प्रत्यर्थी ने तारीख 12 फरवरी, 2013 को विद्वान् मध्यस्थ के समक्ष अपना दावा कथन अन्य बातों के साथ याचियों द्वारा संयुक्त और पृथक् रूप से 1,67,72,446/- रुपए की राशि 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष

की दर से ब्याज सहित या अविवादित ऋण की रकम और लागत पर किसी अन्य दर से ब्याज सहित दिलाए जाने की प्रार्थना करते हुए फाइल किया । तत्पश्चात् याचियों ने तारीख 8 मार्च, 2013 को विभिन्न विवाद्यक उठाते हुए लिखित कथन फाइल किया । याचियों ने इस आधार पर विवाद पर विचार किए जाने की अधिकारिता का विवाद्यक उठाया कि 1882 के प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदानकर्ता और अनुज्ञप्तिधारक के मध्य विवादों का विचारण किए जाने की अनन्य अधिकारिता लघुवाद न्यायालय को प्रदान की गई है । याचियों ने तारीख 15 फरवरी, 2013 को 1996 के माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 16(2) के अधीन भी एक आवेदन दावा कथन खारिज किए जाने की प्रार्थना इस आधार पर करते हुए फाइल किया कि विद्वान् मध्यस्थ को किसी भी विवाद्यक पर विचार करने और उसका निपटारा करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है और ये सभी विवाद्यक लघुवाद न्यायालय की अनन्य अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं । याचियों द्वारा इस विवाद्यक को लिखित कथन में भी उठाया गया । विद्वान् मध्यस्थ ने तारीख 19 सितंबर, 2013 के आदेश द्वारा 1996 के माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 16(2) के अधीन फाइल किए गए उक्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि उनको निर्दिष्ट किए गए विवादों को निर्णीत करने की अधिकारिता प्राप्त है । तत्पश्चात् विद्वान् मध्यस्थ ने तारीख 16 दिसंबर, 2013 को विनिर्धारण के लिए बिंदु विरचित किए । दोनों पक्षों ने विद्वान् मध्यस्थ के समक्ष मौखिक और साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए । तत्पश्चात्, विद्वान् मध्यस्थ ने तारीख 12 अक्तूबर, 2018 को पंचाट पारित किया जिसके द्वारा याचियों को निर्देशित किया गया कि वे संयुक्त/पृथक् रूप से प्रत्यर्थी को 1,67,72,446/- रुपए की राशि का संदाय 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित पंचाट की तारीख से संदाय/वसूली की तारीख तक करें । याचियों ने उक्त तारीख 12 अक्तूबर, 2018 के माध्यस्थम् पंचाट से व्यथित होकर 1996 के माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 34 के अधीन यह वाणिज्यिक माध्यस्थम् याचिका फाइल की है । याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – मेरे विचार में, यदि ऐसी किसी रकम के लिए याचियों द्वारा अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार के खंड (3) के अधीन मांग की जाती है, तो उक्त विवाद भी 1882 के प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 41 को आकर्षित करेगा । बढ़ी हुई दर पर अनुज्ञप्ति शुल्क, जिसको प्रतिभूत जामा के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता था, की इस प्रकार की मांग 1882 के प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 41 को आकर्षित करते हुए अभिव्यक्ति 'कब्जे की प्राप्ति से संबंधित विवाद' से संबंधित नहीं होगी । जहां तक याचियों के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल के इस निवेदन कि प्रत्यर्थी ने याचियों के पास 2,25,00,000/- रुपए की कोई रकम जमा नहीं की थी, जैसाकि लिखित कथन के पैरा 22 के अनुसार अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार के खंड (2) में निर्दिष्ट है, का संबंध है, याचियों का पक्षकथन यह था कि प्रत्यर्थी ने न तो कभी किसी किराए का संदाय किया और न ही कभी कोई प्रतिभूत जमा की और इसलिए उसने संविदा का भंग किया । याचियों द्वारा लिखित कथन के पैरा 22 में यह अभिवाक् भी किया गया कि याची प्रत्यर्थी से अनुज्ञप्ति शुल्क की ईप्सा का खंडन दावा प्रस्तुत करने के हकदार थे, जिसके लिए याचियों ने तारीख 9 अक्तूबर, 2009 के पत्र के प्रकाश में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया । याचियों ने स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र की प्राप्ति से इनकार नहीं किया है । याचियों ने स्वयं लिखित कथन में इस बात को स्वीकार किया कि पहले भी तारीख 1 अप्रैल, 2004 को एक अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार निष्पादित किया गया था जो तारीख 31 मार्च, 2007 को समाप्त हो गया था । दोनों पक्षों के निवेदनों और प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचारोपरांत, विद्वान् मध्यस्थ ने आक्षेपित पंचाट के पैरा 11 में अभिनिर्धारित किया कि याचियों ने अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार की विद्यमान्यता, उसके निष्पादन और उसकी अंतर्वस्तुओं को स्वीकार कर लिया था । विद्वान् मध्यस्थ ने आक्षेपित पंचाट के पैरा 12 से 17 में यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्यर्थी ने इस बात को साबित किया है कि उसने 3,00,00,000/- रुपए की रकम जमा कर दी थी । विद्वान् मध्यस्थ ने इन विवाद्यकों पर उन पैराग्राफों में विस्तारपूर्वक विचार किया है और अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा जिन साक्षियों का परीक्षण किया गया, उन्होंने

2,25,00,000/- रुपए की रकम वापस लौटाए जाने योग्य प्रतिभूत जमा को साबित कर दिया है और इस बात को पक्षों द्वारा समझ लिया गया था । याचियों ने प्रत्यर्थियों द्वारा याचियों को संदेय अनुज्ञप्ति शुल्क से उन संदायों की कटौती किए जाने के पश्चात् प्रत्यर्थियों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए स्रोत पर कर कटौती के विभिन्न प्रमाणपत्रों को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया था । विद्वान् मध्यस्थ ने पंचाट के पैरा 20(डी) में इस निष्कर्ष को अभिलिखित किया है कि मुख्य परीक्षा में याचियों के साक्षियों ने विनिर्दिष्ट रूप से 3,00,00,000/- रुपए की राशि को निर्दिष्ट किया है जिसको इसमें के प्रत्यर्थी के पक्ष में नताशा कंस्ट्रक्सन एंड पटेल होल्डिंस द्वारा अंतरित किया गया था, और यह दोनों ही कंपनियां प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा नियंत्रित थीं और जिन्होंने इस रकम को याची संख्या 1 के पक्ष में अंतरित कर दिया था जिसका याची संख्या 2 न्यासी था । याचियों द्वारा जिन साक्षियों का परीक्षण किया गया, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए बैंक कथन में 3,00,00,000/- रुपए की रकम का उल्लेख किया गया था । प्रत्यर्थी द्वारा पेश किए गए उक्त साक्षी ने इस रकम के बंटवारे के विवरण भी प्रस्तुत किए थे कि दिसंबर, 2005 में 3,00,00,000/- रुपए की उक्त राशि का संदाय किस प्रकार से किया गया था । याचियों ने इस बात को दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि उक्त अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार में 2,25,00,000/- रुपए की रकम को क्यों निर्दिष्ट किया गया था और उक्त करार में उक्त रकम के उल्लेख किए जाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया । इसके विपरीत प्रत्यर्थी ने इस बात को साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ कि 3,00,00,000/- रुपए की रकम प्रत्यर्थी द्वारा याचियों के पास जमा की गई थी और याचियों ने अपने पास 2,25,00,000/- रुपए की जमा राशि को रोकते हुए प्रत्यर्थी को 75,00,000/- रुपए की रकम वापस लौटा दी थी, तीन साक्षियों के साक्ष्य प्रस्तुत किए । विद्वान् मध्यस्थ ने पैरा 20(एफ) में अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार के निबंधनों का निर्वचन करते हुए अभिनिर्धारित किया कि यह अपरिहार्य रूप से निकाला गया निष्कर्ष है कि पक्षों ने इस बात को समझा और उक्त करार पर इस आधार पर आगे अग्रसर हुए कि याचियों के पास 2,25,00,000/-

रुपए की रकम वापस लौटाए जाने योग्य प्रतिभूत जमा के रूप में जमा थी जिसको उक्त परिसर के कब्जे का अभ्यर्पण किए जाने पर वापस लौटाया जाना था । याचियों ने उक्त करार के अंतर्गत कोई मौद्रिक दावा प्रस्तुत नहीं किया था । तद्नुसार, विद्वान् मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि इस बात का अनुमान युक्तिसंगत रूप से निकाला जा सकता है कि उनका प्रत्यर्थी के विरुद्ध कोई दावा नहीं है । याचियों के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल संक्षिप्त वाद के अभिवचनों और दावा कथन में कोई असंगतता दर्शित नहीं कर सके । मेरे विचार में अभिवचनों, दस्तावेजों और साक्ष्य के आधार पर विद्वान् मध्यस्थ द्वारा निकाले गए ये तथ्यात्मक निष्कर्ष कोई दृश्यमान अवैधता दर्शित नहीं करते और इसलिए इन निष्कर्षों में इस न्यायालय द्वारा मध्यक्षेप नहीं किया जा सकता । विद्वान् मध्यस्थ द्वारा अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार का निर्वचन न केवल संभव निर्वचन है बल्कि सही निर्वचन भी है । यदि विद्वान् मध्यस्थ द्वारा किए गए इस निर्वचन पर संभव निवर्चन के रूप में विचार किया जाता है, तो विद्वान् मध्यस्थ द्वारा किए गए इस संभव निर्वचन को इस न्यायालय द्वारा माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 34 के अधीन किसी अन्य संभव निर्वचन द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता । याचियों के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल द्वारा किए गए निवेदन में कि कथन के मात्र परिशीलन से ही यह दर्शित हो जाता है कि विद्वान् मध्यस्थ को इस विवाद पर विचार करने की कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं थी, कोई सार नहीं है । विद्वान् मध्यस्थ ने याचियों के इस अभिवाक् को न्यायत: अस्वीकृत किया है कि 2,25,00,000/- रुपए की उक्त रकम वापस लौटाए जाने योग्य प्रतिभूत जमा नहीं थी । याचियों ने लिखित कथन में स्वमेव अभिवचन किया है कि प्रत्यर्थी ने उक्त अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार का भंग किया था और इसलिए याचियों को प्रतिभूत जमा का संपहरण करने का अधिकार था । विद्वान् मध्यस्थ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि याचियों ने तारीख 14 दिसंबर, 2009 को उक्त परिसर का रिक्त कब्जा प्राप्त कर लिया था । फिर भी याचियों ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध न तो कोई दावा प्रस्तुत किया और न ही माध्यस्थम् कार्यवाही में कोई खंडन दावा प्रस्तुत किया । प्रत्यर्थी द्वारा जिन साक्षियों का परीक्षण किया गया, उन्होंने इस बात को स्पष्ट

रूप से साबित किया है कि याचियों ने प्रत्यर्थी द्वारा उक्त परिसर का रिक्त कब्जा याचियों को हस्तगत कर दिए जाने के बावजूद वापस लौटाए जाने योग्य प्रतिभूत जमा की अधिशेष राशि को वापस न लौटाकर उक्त अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार का भंग कारित किया था । (पैरा 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2012] 2012, 4, बी. सी. आर. 251 :
बी. एन. पी. परिबस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम **केबल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** ; 27,31

[2012] 2012, 5, बी. सी. आर. 258 = 2013
(2) ए. बी. आर. 1052 :
संजोग सदानन्द परब बनाम **बी. पी. घारदा एंड कंपनी** ; 27,32,33

[2006] 2006, 4, बी. सी. आर. 437 = 2006
(4) ए. आई. आर. बाम्बे आर. 601 :
आर. एम. सी. रेडीमिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम **कनायो खुपचंद मोटवानी** । 27,30,32

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2019 की वाणिज्यिक माध्यस्थम् याचिका संख्या 452.

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन अपील ।

याची की ओर से सर्वश्री विक्रम ननकानी (वरिष्ठ अधिवक्ता) और साथ में चिदानंद कपिल और (सुश्री) शिल्पा कपिल

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री आयशा दमनिया और साथ में श्री साईं नंद चोगले

आदेश

1996 के माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम (संक्षेप में 'माध्यस्थम् अधिनियम') की धारा 34 के अधीन फाइल की गई इस याचिका के द्वारा याचियों ने तारीख 12 अक्तूबर, 2018 को विद्वान् एकल मध्यस्थ द्वारा पारित माध्यस्थम् पंचाट, जिसके द्वारा याचियों द्वारा प्रत्यर्थियों को संयुक्ततः/पृथक्तः 1,67,72,446/- रुपए की राशि का संदाय पंचाट पारित किए जाने की तारीख से वसूली की तारीख तक 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित किए जाने के लिए निर्देशित किया है, को आक्षेपित किया है ।

2. इस वाणिज्यिक माध्यस्थम् याचिका को फाइल किए जाने के लिए जो तथ्य महत्वपूर्ण हैं, निम्नलिखित हैं :-

3. माध्यस्थम् कार्यवाहियों में इस मामले के याची न्यास मूल प्रत्यर्थी थे और प्रत्यर्थी मूल दावाकर्ता । याची संख्या 1 नताशा नामक परिसर स्थित 52, हिल रोड, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई - 400050 (जिसको इसमें इसके पश्चात् 'उक्त परिसर' कहकर निर्दिष्ट किया गया है) के तृतीय तल पर स्थित फ्लैट संख्या 301 और 302, जिसकी माप 2000 स्क्वायर फीट है, का स्वामी है । याची संख्या 2 और 3 याची संख्या 1 के न्यासी हैं ।

4. (माध्यस्थम् कार्यवाहियों में) प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह था कि वह लंबे समय से याची के साथ वित्तीय संव्यवहारों में अंतर्वलित रहा है और कुछ संव्यवहारों के दौरान उसने वर्ष 2005 में किसी समय पर कुल 3,00,00,000/- रुपए की रकमें विभिन्न चैकों के माध्यम से (याची के पास) जमा की थीं । 3,00,00,000/- रुपए की उक्त रकम याची संख्या 1 न्यास के पास लंबी अवधि तक जमा रही । प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह था कि कुछ समय पश्चात् याचियों ने वर्ष 2007 में 3,00,00,000/- रुपए की रकम में से 75,00,000/- रुपए की रकम प्रत्यर्थी को लौटा दी । याचियों ने 2,25,00,000/- रुपए की रकम को लौटाए जाने योग्य प्रतिभूत जमा के रूप में अपने पास जमा रखा । वर्ष 2008 में किसी समय तारीख 7 जून, 2008 को बिंदु पर प्रत्यर्थी ने उक्त परिसर को 36 माह की अवधि, जो तारीख 1 अप्रैल, 2008 से आरंभ होनी थी, के

दौरान प्रयोग के प्रयोजनार्थ पट्टे और अनुज्ञप्ति के आधार पर याची संख्या 1 न्यास से लेने का प्रस्ताव रखा । तारीख 1 अप्रैल, 2008 को आरंभ होने वाले उक्त पट्टा और अनुज्ञप्ति करार के निष्पादन की तारीख के पूर्व उक्त परिसर के ही संबंध में याची और प्रत्यर्थी 36 माह की अवधि के लिए, जो तारीख 31 मार्च, 2007 को समाप्त हो चुकी थी, तारीख 1 अप्रैल, 2004 के समान शर्तों पर एक अन्य पट्टा और अनुज्ञप्ति करार में प्रविष्ट हो चुके थ ।

5. तारीख 7 जून, 2008 के पट्टा और अनुज्ञप्ति करार के खंड 2 में यह उपबंधित किया गया था कि अनुज्ञप्तिधारी प्रत्यर्थी अनुज्ञप्तिदाता याची संख्या 1 के पास 2,25,00,000/- रुपए की रकम उक्त करार की शर्तों के सम्यक् रूप से निर्वहन के लिए वापस लौटाए जाने योग्य ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा के रूप में अपने पास जमा करेगा । उक्त करार के खंड 3 में उपबंधित था कि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्तिदाता को उक्त करार की अवधि के दौरान अग्रिम में प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम पांच दिनों के भीतर 3,75,000/- रुपए के मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क का संदाय करेगा । उक्त करार की अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिदाता को देय मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क में प्रत्येक 12 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् 5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की जाएगी ।

6. उक्त करार का खंड 5 में यह उपबंधित था कि अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर का कब्जा प्राप्त करेगा और करार की अवधि व्यतीत हो जाने के अंत में या उक्त करार के पूर्ववर्ती विनिर्धारण पर उक्त परिसर का रिक्त कब्जा शांतिपूर्वक सौंप देगा । उक्त करार के खंड 14 में यह उपबंधित था कि अनुज्ञप्तिदाता अनुज्ञप्तिधारी को उक्त करार के व्यतीत हो जाने पर और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त परिसर का रिक्त कब्जा शांतिपूर्वक सौंप दिए जाने पर प्रतिभूत जमा वापस लौटा देगा । खंड 15 में यह उपबंधित किया गया कि करार को अनुज्ञप्तिदाता द्वारा बिना कोई कारण समनुदेशित किए अग्रिम में तीन माह की सूचना देते हुए समाप्त किया जा सकता है । करार सूचना जारी किए जाने की तारीख से तीन माह व्यतीत हो जाने पर स्वत: समाप्त हो जाएगा और अधिशेष देय प्रतिभूत जमा में समायोजित कर दी जाएगी ।

7. उक्त करार को तारीख 7 जून, 2008 को आश्वासन के उप-रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकृत किया गया था । प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि मई, 2008 से अक्तूबर, 2009 कि अवधि के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क का संदाय उस समय से बकाया था जब प्रत्यर्थी ने तारीख 14 दिसंबर, 2009 को याचियों को अनुज्ञप्त परिसर का रिक्त कब्जा शांतिपूर्वक सौंप दिया था । प्रत्यर्थियों ने याचियों से मई 2008 से अक्तूबर, 2009 के महीनों के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क घटाने के पश्चात् प्रतिभूति जमा को वापस लौटाने के लिए अनुरोध किया था, जैसाकि उक्त करार के निबंधनों के अनुसार अनुध्यात किया गया था । प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि पक्षों के मध्य मधुर संबंधों को दृष्टि में रखते हुए मौखिक रूप से इस बाबत सहमति हो गई थी कि याचियों के पास वापस किए जाने योग्य प्रतिभूत जमा की रकम से मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क को वसूल कर लिया जाए । प्रत्यर्थी याचियों द्वारा सहमति के आधार पर संदेय अनुज्ञप्ति शुल्क का संदाय समय-समय पर वापस लौटाए जाने योग्य प्रतिभूत जमा के स्रोत से कटौती कर रहे थे और ऐसे सभी संदायों पर स्रोत पर कर कटौती के प्रमाणपत्र जारी कर रहे थे । प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि याचियों ने बिना किसी आक्षेप या विरोध के उन स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्रों को स्वीकार किया था ।

8. प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि उसको उक्त करार की तारीख से डेढ़ वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात् उक्त परिसर की आगे आवश्यकता नहीं थी और तद्नुसार उसने याचियों को इस बाबत सूचित कर दिया था । प्रत्यर्थी ने तारीख 14 दिसंबर, 2009 को याचियों को उक्त परिसर का शांतिपूर्वक रिक्त कब्जा सौंप दिया था । प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि याचियों ने प्रत्यर्थी के उक्त अनुरोध को बिना शर्त स्वीकार कर लिया था । प्रत्यर्थी ने तद्नुसार तारीख 14 दिसंबर, 2009 को उक्त परिसर को रिक्त कर दिया और उसका उत्तम स्थिति में रिक्त कब्जा शांतिपूर्वक फर्नीचर और स्थावरों सहित याचियों को सौंप दिया था । प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि याचियों ने बिना किसी विरोध के उक्त परिसर का कब्जा तारीख 14 दिसंबर, 2009 को स्वीकार कर लिया था । प्रत्यर्थी ने याचियों को लिखे गए तारीख 16 दिसंबर, 2009 के पत्र द्वारा याचियों

को उक्त परिसर का शांतिपूर्वक रिक्त कब्जा सौंपे जाने के तथ्य को अभिलिखित किया है । प्रत्यर्थी ने उक्त परिसर को रिक्त किए जाने के संबंध में कोई विवाद या एतराज कभी नहीं किया और साथ ही उन्होंने किसी किराए, यदि प्रत्यर्थी द्वारा याचियों को अभिकथित रूप से तारीख 16 दिसंबर, 2009 के पत्र के पश्चात् भी देय और संदेय था, के बारे में भी कभी कोई विवाद नहीं उठाया ।

9. प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि उसने तारीख 14 दिसंबर, 2009 को उक्त परिसर का रिक्त कब्जा शांतिपूर्वक सौंपे जाने के पश्चात् उसने याचियों को 37,500/- रुपए की स्रोत पर कर कटौती की रकम घटाने के पश्चात् 3,37,500/- रुपए का संदाय तारीख 4 दिसंबर, 2009 के चैक द्वारा नवंबर, 2009 माह के अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में कर दिया था । प्रत्यर्थी ने याची को स्रोत पर कर कटौती के रूप में 18,145/- रुपए की कटौती के पश्चात् 1,81,452/- रुपए की राशि का भी संदाय तारीख 9 दिसंबर, 2009 के चैक द्वारा दिसंबर, 2009 माह के 15 दिनों के अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में कर दिया था । याचियों ने प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए दोनों ही चैकों का नकदीकरण करा लिया था । प्रत्यर्थी का आगे पक्षकथन यह है कि मई, 2008 से अक्तूबर, 2009 के मध्य की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क असंदत्त रहा जो 57,27,554/- रुपए होता है और जिसकी संगणना 10,22,446/- रुपए स्रोत पर कर कटौती को घटाए जाने के पश्चात् 3,75,000/- रुपए मासिक की दर से किया गया है । प्रत्यर्थी का यह पक्षकथन है कि उसने 2,25,00,000/- रुपए की रकम में से याचियों से असंदत्त अनुज्ञप्ति शुल्क की कटौती किए जाने और उसका समायोजन किए जाने और प्रत्यर्थी को देय 1,67,72,446/- रुपए की ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा की अधिशेष रकम वापस लौटाने के लिए भी अनुरोध किया था । प्रत्यर्थी ने याची को असंदत्त किराए के बदले में स्रोत पर कर कटौती के प्रमाणपत्र भी हस्तगत कर दिए थे । याचियों ने वापस लौटाए जाने योग्य प्रतिभूति जमा की रकम से असंदत्त किराए की रकम को काट ली थी ।

10. प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि यद्यपि उसने याचियों से समय-समय पर वापस लौटाए जाने योग्य प्रतिभूति जमा की अधिशेष

रकम का संदाय किए जाने की अपेक्षा की थी, किंतु याची किसी न किसी बहाने उक्त रकम का संदाय टालते रहे और संदाय करने में विफल रहे और उक्त किराए के संदाय का अनदेखा करते रहे । प्रत्यर्थी ने तारीख 11 जून, 2010 की ई-मेल के माध्यम से याचियों से उक्त रकम वापस लौटाने का आग्रह किया । प्रत्यर्थी ने अपने बही-खातों में उक्त परिसर के बाबत किए गए जमा के संबंध में सुसंगत प्रविष्टियां भी की थीं । प्रत्यर्थी ने तारीख 13 अप्रैल, 2011 को याचियों को विधिक नोटिस जारी किया और उनसे 1,67,72,446/- रुपए की रकम का संदाय करने के लिए एक बार पुन: आग्रह किया । प्रत्यर्थी द्वारा भेजे गए उक्त विधिक नोटिस का न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही उसके उत्तर में याचियों द्वारा कोई संदाय किया गया ।

11. याचियों ने वर्ष 2011 में किसी समय प्रत्यर्थियों के विरुद्ध लौटाए जाने योग्य प्रतिभूत जमा की अधिशेष राशि की ब्याज सहित वसूली के लिए 2011 का संक्षिप्त वाद संख्या 3124 फाइल किया । प्रत्यर्थी का पक्षकथन यह है कि प्रत्यर्थी द्वारा उक्त वाद में निर्णय अभिप्राप्त किए जाने के लिए फाइल किए गए समन के उत्तर में याची ने पहली बार प्रत्यर्थी के प्रति अपने दायित्व को बिना किसी आधार के विवादित किया ।

12. इस न्यायालय ने पक्षों की सहमति से जारी किए गए तारीख 9 जनवरी, 2013 को पारित आदेश द्वारा संक्षिप्त वाद के समस्त विवादों को वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव कुमार द्वारा एकल माध्यस्थम् को निर्दिष्ट कर दिया । पक्षों को समस्त दलीलें देने का अधिकार था । संक्षिप्त वाद और साथ ही साथ निर्णय के लिए जारी किए गए समन का निस्तारण उक्त आदेश के द्वारा कर दिया गया । तत्पश्चात् प्रत्यर्थी ने तारीख 12 फरवरी, 2013 को विद्वान् मध्यस्थ के समक्ष अपना दावा कथन अन्य बातों के साथ-साथ याचियों द्वारा संयुक्त और पृथक्-पृथक् रूप से 1,67,72,446/- रुपए की राशि 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित या अविवादित ऋण की रकम और लागत पर किसी अन्य दर से ब्याज सहित दिलाए जाने की प्रार्थना करते हुए फाइल किया ।

13. तत्पश्चात् याचियों ने तारीख 8 मार्च, 2013 को विभिन्न

विवाद्यकों को उठाते हुए लिखित कथन फाइल किया । याचियों ने इस आधार पर विवाद पर विचार किए जाने की अधिकारिता का विवाद्यक उठाया कि 1882 के प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदानकर्ता और अनुज्ञप्तिधारक के मध्य विवादों का विचारण किए जाने की अनन्य अधिकारिता लघुवाद न्यायालय को प्रदान की गई है । याचियों ने तारीख 15 फरवरी, 2013 को 1996 के माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 16(2) के अधीन आवेदन भी अन्य बातों के साथ-साथ दावा कथन को खारिज किए जाने की प्रार्थना इस आधार पर करते हुए फाइल किया कि विद्वान् मध्यस्थ को किसी भी विवाद्यक पर विचार करने और उसका निपटारा करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी और ये सभी विवाद्यक लघुवाद न्यायालय की अनन्य अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं । याचियों द्वारा इस विवाद्यक को लिखित कथन में भी उठाया गया था ।

14. विद्वान् मध्यस्थ ने तारीख 19 सितंबर, 2013 के आदेश द्वारा 1996 के माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 16(2) के अधीन फाइल किए गए उक्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि उसको निर्दिष्ट किए गए विवादों को निर्णीत करने की अधिकारिता प्राप्त थी । तत्पश्चात् विद्वान् मध्यस्थ ने तारीख 16 दिसंबर, 2013 को विनिर्धारण के लिए बिंदु विरचित किए । दोनों पक्षों ने विद्वान् मध्यस्थ के समक्ष मौखिक साक्ष्य और साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए । विद्वान् मध्यस्थ ने तारीख 12 अक्तूबर, 2018 को पंचाट पारित किया जिसके द्वारा याचियों को निर्देशित किया गया कि वे संयुक्त रूप से/पृथक्-पृथक् रूप से प्रत्यर्थी को 1,67,72,446/- रुपए की राशि का संदाय 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित पंचाट की तारीख से संदाय/वसूली की तारीख तक करें । याचियों ने उक्त तारीख 12 अक्तूबर, 2018 के उक्त माध्यस्थम् पंचाट से व्यथित होकर 1996 के माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 34 के अधीन यह वाणिज्यिक माध्यस्थम् याचिका फाइल की है ।

15. याचियों के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री विक्रम ननकानी ने मेरा ध्यान तारीख 7 जून, 2008 के अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार के खंड

2, 3, 5, 14 और 15 की ओर आकर्षित किया और निवेदन किया कि प्रत्यर्थी ने याचियों के पास किसी भी समय बिंदु पर उक्त अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार के खंड 2 में उल्लिखित किसी भी प्रकार से वापस लौटाए जाने योग्य प्रतिभूत जमा की रकम उनके पास जमा नहीं की थी । याचियों और प्रत्यर्थी के मध्य पूर्व में अनेक वित्तीय संव्यवहार हुए थे । यह निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी-अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार के खंड 3 के अधीन याचियों को 3,75,000/- रुपए प्रतिमाह की मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क का संदाय करने का दायी था जिसको उक्त अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार की अवधि के दौरान प्रत्येक 12 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् 5 प्रतिशत बढ़ाया जाना था । उन्होंने निवेदन किया कि याची उक्त करार की अवधि के दौरान प्रत्येक 12 माह व्यतीत होने के पश्चात् प्रत्यर्थियों से बढ़ाई गई लाइसेंस शुल्क की रकम को वसूल करने के हकदार थे । बढ़ाए गए लाइसेंस शुल्क की वसूली से संबंधित विवाद्यक को विद्वान् मध्यस्थ द्वारा निर्णीत नहीं किया जा सकता था और इस विवाद्यक को केवल मुंबई स्थित लघुवाद न्यायाधीश द्वारा ही प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के अधीन निर्णीत किया जा सकता था । उन्होंने निवेदन किया कि 2011 के संक्षिप्त वाद संख्या 3124 में तारीख 9 जनवरी, 2013 को इस न्यायालय द्वारा विद्वान् मध्यस्थ नियुक्त करते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया था कि पक्षों को समस्त दलीलें प्रस्तुत करने का अधिकार था । उन्होंने निवेदन किया कि इसी कारणवश याचियों ने 1996 के माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 16(2) के अधीन आवेदन प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 41 का अवलंब लेते हुए विद्वान् मध्यस्थ की अधिकारिता के विवाद्यक को उठाते हुए फाइल किया था ।

16. विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल द्वारा यह निवेदन किया गया कि यद्यपि तारीख 1 अप्रैल, 2008 को निष्पादित हुआ करार तारीख 1 मार्च, 2008 से 31 मार्च, 2011 की 36 माह की अवधि के लिए था, फिर भी प्रत्यर्थी ने उक्त परिसर का शांतिपूर्वक रिक्त कब्जा याचियों को दिसंबर, 2009 के द्वितीय सप्ताह में हस्तगत कर दिया था । उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए 2011 के संक्षिप्त

वाद संख्या 3124 के अभिवचनों में और विद्वान् मध्यस्थ के समक्ष फाइल किए गए दावा कथन में तात्विक रूप से असंगतता थी ।

17. विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल ने निवेदन किया कि विद्वान् मध्यस्थ द्वारा तारीख 17 सितंबर, 2013 को पारित किया गया आक्षेपित विनिश्चय, जिसके द्वारा याचियों द्वारा 1996 के माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 16(2) के अधीन उठाए गए अधिकारिता के अभिवाक् को अस्वीकृत कर दिया गया, प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के उपबंधों के विपरीत है । विद्वान् मध्यस्थ को अनुज्ञप्ति प्रदानकर्ता और अनुज्ञप्ति धारक के मध्य विवादों पर विचार करने की कोई अधिकारिता नहीं थी और प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के अधीन यह अधिकारिता अनन्य रूप से लघुवाद न्यायालय को प्रदत्त है । उन्होंने आगे निवेदन किया कि चूंकि प्रत्यर्थियों ने उक्त अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति अधिनियम के अधीन संपूर्ण अवधि के किराए का संदाय कर दिया है, किराए के असंदाय का विवाद्यक पूर्णरूपेण लघुवाद न्यायालय की अनन्य अधिकारिता के भीतर है । विद्वान् काउंसेल द्वारा आगे निवेदन किया गया कि विद्वान् मध्यस्थ द्वारा आक्षेपित पंचाट में जिन विभिन्न निर्णयों को निर्दिष्ट किया गया है और उनका अवलंब लिया गया है, शुद्ध रूप से प्रतिभूत जमा को वापस लौटाए जाने से संबंधित थे । अनुज्ञप्तिधारी से अनुज्ञप्ति प्रदानकर्ता द्वारा वसूल किए जाने योग्य लाइसेंस शुल्क के संदाय या 12 माह के व्यतीत हो जाने के पश्चात् लाइसेंस शुल्क को बढ़ी हुई दर पर वसूल किए जाने के लिए याचियों को हकदार बनाए जाने के संबंध में कोई विवाद्यक विद्यमान नहीं था । उन्होंने आगे निवेदन किया कि विद्वान् मध्यस्थ द्वारा निर्दिष्ट ये सभी निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू होते थे ।

18. विद्वान् काउंसेल द्वारा निवेदन किया गया कि विद्वान् मध्यस्थ द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर बिना विचार किए ही आक्षेपित पंचाट में विभिन्न निष्कर्ष निकाले गए थे जिनमें याचियों द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा भी सम्मिलित थी, और इसलिए माध्यस्थम् पंचाट इस आधार पर भी अपास्त किए जाने योग्य है । विद्वान् वरिष्ठ

काउंसेल द्वारा आगे निवेदन किया गया कि विद्वान् मध्यस्थ ने न तो विद्वान् मध्यस्थ द्वारा 1996 के माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 16(2) के अधीन पारित पंचाट में और न ही आक्षेपित पंचाट में याचियों को प्रत्यर्थी द्वारा संदेय लाइसेंस शुल्क/बढ़े हुए लाइसेंस शुल्क की मात्रा पर विचार किया गया है । आक्षेपित माध्यस्थम् पंचाट इस आधार पर भी अपास्त किए जाने योग्य है ।

19. इसके विपरीत प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल सुश्री आयशा दमनिया ने मेरा ध्यान याची द्वारा फाइल किए गए लिखित कथन के विभिन्न पैराग्राफों की ओर आकर्षित किया और निवेदन किया कि विद्वान् मध्यस्थ के समक्ष याची द्वारा लाइसेंस शुल्क के संदाय के संबंध में उठाया गया कोई भी विवाद अस्तित्व में नहीं था । याचियों द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकर की अभिकथित बढ़ोत्तरी के लिए कोई दावा खंडन दावे या अन्यथा रूप से नहीं किया गया । विद्वान् मध्यस्थ के समक्ष याचियों द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध मुजराई का भी कोई अभिवाक् नहीं किया गया ।

20. प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने आक्षेपित माध्यस्थम् पंचाट में विद्वान् मध्यस्थ द्वारा निकाले गए तथ्यों के विभिन्न निष्कर्षों का अवलंब लिया । याचियों द्वारा जिन साक्षियों का परीक्षण किया गया, के साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा में खंडित नहीं किया गया था । प्रत्यर्थी ने विद्वान् मध्यस्थ के समक्ष साक्ष्य के अनुक्रम के दौरान अपने बही-खाते पेश किए थे । यद्यपि प्रत्यर्थी ने याचियों से उनके बही-खातों को पेश किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षा की थी, फिर भी याची जानबूझकर ऐसा कोई भी बही-खाता पेश करने में विफल रहे थे । याचियों ने विद्वान् मध्यस्थ के समक्ष प्रतिभूत जमा की रकम को विवादित नहीं किया है ।

21. विद्वान् काउंसेल द्वारा आगे निवेदन किया गया कि विद्वान् मध्यस्थ के समक्ष प्रत्यर्थी का दावा और साथ ही इस न्यायालय के समक्ष उसके मुवक्किल द्वारा फाइल किया गया संक्षिप्त वाद प्रतिभूत जमा और ब्याज को वापस लौटाए जाने के प्रयोजनार्थ था । उक्त परिसर का कब्जा दिलाए जाने के संबंध में कोई प्रार्थना नहीं की गई थी । उन्होंने आगे निवेदन किया कि विद्वान् मध्यस्थ ने 1996 के

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 16(2) के अधीन याचियों द्वारा फाइल किए गए आवेदन को अस्वीकृत करते हुए इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को निर्दिष्ट किया है और उनका अवलंब लिया है और न्यायत: अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा किए गए दावे को कोई भी भाग अचल संपत्ति के कब्जे को प्राप्त किए जाने के संबंध में नहीं था और इसलिए विद्वान् मध्यस्थ को प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए विवादों पर विचार करने की अधिकारिता प्राप्त थी । उन्होंने आगे निवेदन किया कि वे सभी निर्णय जिनको निर्दिष्ट किया गया और जिनका अवलंब विद्वान् मध्यस्थ द्वारा लिया गया, इस मामले के तथ्यों पर प्रत्यक्षत: लागू होते हैं ।

22. प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक साक्ष्य पर विचारोपरांत विद्वान् मध्यस्थ द्वारा निकाले गए तथ्यों के विभिन्न निष्कर्षों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और निवेदन किया कि विद्वान् मध्यस्थ द्वारा निकाले गए तथ्य के निष्कर्ष संपूर्ण साक्ष्य पर विचारोपरांत निकाले गए थे अर्थात् दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य और इसलिए याचियों का मामला 1996 के माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 34 के अधीन अनुज्ञेय किसी भी आधार के अधीन नहीं आता ।

23. याचियों की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री ननकानी ने अपने खंडन शपथ-पत्र में निवेदन किया कि विद्वान् मध्यस्थ से अपेक्षित था कि वे अधिकारिता के निष्कर्ष पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ दावा कथन में समाविष्ट प्रत्यर्थी के अभिवचनों पर विचार करें । उन्होंने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा स्वयं किए गए अभिवचन स्पष्टत: उपदर्शित करते हैं कि विद्वान् मध्यस्थ द्वारा पक्षों के मध्य विवाद का निर्णय नहीं किया जा सकता था, बल्कि यह विवाद केवल लघुवाद न्यायालय द्वारा ही अनन्य रूप से निर्णीत किया जा सकता था । उन्होंने निवेदन किया कि संपूर्ण माध्यस्थम् पंचाट बिना किसी अधिकारिता के पारित किया गया है और अपास्त किए जाने योग्य है ।

कारण और निष्कर्ष

24. इस बाबत कोई विवाद नहीं है कि दोनों पक्ष उक्त परिसर के

संबंध में तारीख 7 जून, 2008 को अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार में प्रविष्ट हुए । उक्त करार के परिशीलन से स्पष्टत: उपदर्शित होता है कि दोनों पक्ष इस बाबत सहमत थे कि अनुज्ञप्तिधारी अर्थात् प्रत्यर्थी ने अनुज्ञप्ति प्रदानकर्ता अर्थात् याचियों के पास 2,25,00,000/- रुपए की रकम करार की शर्तों के सम्यक् रूप से निर्वहन के लिए वापस लौटाए जाने योग्य ब्याज मुक्त प्रतिभूत जमा के रूप में जमा करना जारी रखा था । प्रत्यर्थी को उक्त अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं था । उक्त करार का खंड 14 स्पष्टत: उपबंधित करता है कि अनुज्ञप्ति प्रदानकर्ता अनुज्ञप्तिधारी को करार की अवधि के व्यतीत हो जाने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त परिसर का शांतिपूर्वक रिक्त कब्जा हस्तगत किए जाने पर प्रतिभूत जमा वापस लौटा देगा । इस बाबत कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी ने याचियों को उक्त वादग्रस्त परिसर का शांतिपूर्वक रिक्त कब्जा तारीख 14 दिसंबर, 2009 को हस्तगत कर दिया था । याचियों ने इस बात को विवादित नहीं किया है कि इसके पश्चात् प्रत्यर्थी ने याचियों को स्रोत पर कर कटौती के 37,500/- रुपए घटाने के पश्चात् 3,37,500/- रुपए के प्रतिकर का संदाय तारीख 4 दिसंबर, 2009 के चैक द्वारा नवंबर, 2009 के माह के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में कर दिया था और याचियों को तारीख 9 दिसंबर, 2009 के चैक द्वारा दिसंबर, 2009 के माह के लिए 15 दिनों के 1,81,452/- रुपए के लाइसेंस शुल्क का संदाय 18,145/- रुपए के स्रोत पर कर कटौती को घटाने के पश्चात् कर दिया था । याचियों ने प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए दोनों चैकों के नकदीकरण को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया है । याची उक्त करार के निबंधनों के अधीन किसी भी लाइसेंस शुल्क के बकाए को समायोजित करने के हकदार थे । प्रत्यर्थी ने मई, 2008 से अक्तूबर, 2009 की रकम के लिए प्रतिकर के अधिशेष के बाबत 57,27,554/- रुपए की लाइसेंस शुल्क की असंदत्त रकम को 10,22,446/- रुपए की स्रोत पर कर कटौती को घटाने के पश्चात् समायोजित करने का प्रस्ताव दिया था और केवल 1,67,72,446/- रुपए वापस लौटाए जाने योग्य प्रतिभूत जमा के अधिशेष को वापस लौटाए जाने की मांग की थी ।

25. तत्पश्चात् प्रत्यर्थी ने याचियों के विरुद्ध अधिशेष रकम को

ब्याज सहित वसूल किए जाने के प्रयोजनार्थ 2011 का संक्षिप्त वाद संख्या 3124 फाइल किया । इस न्यायालय ने तारीख 9 जनवरी, 2013 को दोनों पक्षों की सहमति से संक्षिप्त वाद में अंतर्वलित समस्त विवादों को वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव कुमार द्वारा एकल माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट कर दिया । इस न्यायालय ने दोनों पक्षों को समस्त दलीलें देने का अधिकार भी प्रदान किया ।

26. विद्वान् मध्यस्थ ने तारीख 17 सितंबर, 2013 के आदेश द्वारा 1996 के माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 16(2) के अधीन याचियों द्वारा फाइल किए गए आवेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके द्वारा उठाए गए अधिकारिता के अभिवाक् पर विचार किया । विद्वान् मध्यस्थ ने **आर. एम. सी. रेडीमिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड** बनाम **कनायो खुपचंद मोटवानी**[1], **बी. एन. पी. परिबस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** बनाम **केबल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड**[2], **संजोग सदानन्द परब** बनाम **बी. पी. घारदा एंड कंपनी**[3] वाले मामलों में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर विचार किया । विद्वान् मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति का करार के अधीन असंदत्त प्रतिभूत जमा को वापस लौटाए जाने के लिए फाइल किया गया दावा प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 41 की परिधि के अंतर्गत नहीं आता । विद्वान् मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि उनको निर्दिष्ट विवाद माध्यस्थम् विवाद थे और उनको माध्यस्थम् की कार्यवाहियों पर विचार करने और उनका निस्तारण करने की अधिकारिता प्राप्त थी ।

27. तत्पश्चात् विद्वान् मध्यस्थ प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए दावों के गुणागुण पर विचार करते हुए मामले में अग्रसर हुए और तारीख 12 अक्तूबर, 2018 को माध्यस्थम् पंचाट पारित कर दिया जिसके द्वारा याचियों को संयुक्त रूप से/पृथक्-पृथक् रूप से प्रत्यर्थी को 1,67,72,446/- रुपए की राशि को 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से पंचाट

---

[1] 2006, 4, बी. सी. आर. 437 = 2006 (4) ए. आई. आर. बाम्बे आर. 601.

[2] 2012, 4, बी. सी. आर. 251.

[3] 2012, 5, बी. सी. आर. 258 = 2013 (2) ए. बी. आर. 1052.

पारित किए जाने की तारीख से संदाय/वसूली की तारीख तक ब्याज सहित संदाय किए जाने के लिए निर्देशित कर दिया । विद्वान् मध्यस्थ ने तारीख 16 दिसंबर, 2013 को विनिर्धारण के लिए पांच बिंदु विरचित किए ।

28. मैं, सर्वप्रथम यह निर्णीत करूंगा कि क्या विद्वान् मध्यस्थ द्वारा याचियों द्वारा माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 16(2) के अधीन फाइल किए गए आवेदन को अस्वीकृत करते हुए तारीख 17 सितंबर, 2013 को पारित किए गए आदेश में इस न्यायालय द्वारा कोई मध्यक्षेप अपेक्षित है या नहीं ।

29. इस न्यायालय ने **आर. एम. सी. रेडीमिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिभूत जमा को वापस लौटाए जाने के लिए फाइल किया गया वाद प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 41 द्वारा आच्छादित नहीं है । इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह दलील बिल्कुल भी मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं हो सकती यदि वाद परिसर के कब्जे के लिए फाइल किया गया था । इस न्यायालय ने विनिर्दिष्ट रूप से प्रतिवादी की इस दलील को अस्वीकृत कर दिया कि जमा अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति के आधार पर परिसर से संबंधित थी और इसलिए वह जमा प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 41 द्वारा आच्छादित होगी ।

30. इस न्यायालय ने **बी. एन. पी. परिबस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** बनाम **केबल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 9 के अधीन फाइल किए गए आवेदन को निर्णीत करते हुए अभिनिर्धारित किया था कि प्रतिभूत जमा, जिसको अनुज्ञप्तिदाता द्वारा वापस नहीं लौटाया गया, को वापस लौटाए जाने के लिए फाइल की गई याचिका 1882 के प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के अधीन आच्छादित नहीं होगी । इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि संपत्ति के कब्जे और अनुज्ञप्ति शुल्क और नुकसान की वसूली के लिए चाहे गए अनुतोषों के लिए पहले ही अनुज्ञप्तिदाता द्वारा अनुज्ञप्ति

प्राप्तकर्ता के विरुद्ध लघुवाद न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की जा चुकी है, इसलिए माध्यस्थम् कार्यवाही में अनुज्ञप्ति प्राप्तकर्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूत जमा को वापस लौटाए जाने के लिए फाइल किया गया दावा पोषणीय नहीं था ।

31. इस न्यायालय ने **संजोग सदानन्द परब** (उपरोक्त) वाले मामले में **आर. एम. सी. रेडीमिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित तारीख 25 अप्रैल, 2011 के निर्णय का उल्लेख करते हुए अभिनिर्धारित किया था कि प्रतिभूत जमा की रकम की वसूली के लिए फाइल किया गया संक्षिप्त वाद पोषणीय था और प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 41 को आकर्षित नहीं करता ।

32. विद्वान् मध्यस्थ ने माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 16(2) के अधीन याचियों द्वारा उठाए गए अधिकारिता के अभिवाक् को अस्वीकृत करते हुए इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा तारीख 25 अप्रैल, 2011 को पारित निर्णय, जिसको विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उक्त वाद वादपत्र में किए गए अभिवाकों के आधार पर फाइल किया गया था और यह वाद असंदत्त प्रतिभूत जमा की रकम की वसूली के लिए तत्कालीन किराएदार या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा फाइल किया गया वाद था, निर्दिष्ट विवाद्यक पर विचार करते हुए, **संजोग सदानन्द परब** (उपरोक्त) वाले मामले में 2004 के संक्षिप्त वाद संख्या 29 में 2007 के निर्णय संख्या 445 के संबंध में जारी किए गए समन में पारित किया गया था पर भी विचार किया और इसलिए यदि कोई वादपत्र में समाविष्ट प्रकथनों और धारा 41 के उपबंधों पर विश्वास करता है, तो इस न्यायालय को वाद पर विचार करने की अधिकारिता होगी ।

33. प्रत्यर्थी द्वारा विद्वान् मध्यस्थ के समक्ष फाइल किए गए दावा कथन के परिशीलन से यह स्पष्टत: उपदर्शित होता है कि प्रत्यर्थी दावा फाइल किया गया दावा केवल प्रतिभूत जमा की अधिशेष रकम की ब्याज सहित वसूली के प्रयोजनार्थ था । पक्षों के मध्य इस बाबत कोई विवाद नहीं था कि प्रत्यर्थी ने याची को वादग्रस्त परिसर का रिक्त

कब्जा पहले ही हस्तगत कर दिया था । अत: याचियों द्वारा या प्रत्यर्थी द्वारा कब्जे के संबंध में कोई विवाद फाइल किए का कोई प्रश्न नहीं था । मेरे विचार में इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णयों में अधिकथित विधि के सिद्धांत इस मामले के तथ्यों पर स्पष्टत: लागू होंगे । प्रतिभूत जमा की अधिशेष रकम की वसूली के लिए प्रत्यर्थी द्वारा फाइल की गई कार्यवाही कोई सर्वबंधी कार्रवाई नहीं थी बल्कि व्यक्तिबंधी कार्रवाई थी । अत:, प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 41 इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती थी । मैं, उक्त निर्णयों से आदरपूर्वक बाध्य हूं । अत: मेरे विचार में विद्वान् मध्यस्थ द्वारा तारीख 17 सितंबर, 2013 को पारित आदेश, जिसके द्वारा माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 16(2) के अधीन याचियों द्वारा फाइल किए गए अधिकारिता के अभिवाक् को अस्वीकृत किया गया, में कोई शिथिलता नहीं बरती गई है ।

34. याचियों के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल द्वारा दृढ़तापूर्वक दलील दी गई कि याची को प्रत्यर्थी अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार के खंड 3 के अधीन उक्त अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार की तारीख से प्रत्येक 12 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क में 5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करके संदाय करने का दायी था और बढ़े हुए अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली के उक्त विवाद्यक पर विद्वान् मध्यस्थ द्वारा धारा 16(2) के अधीन पारित आक्षेपित आदेश में विचार नहीं किया गया है । अभिलेख के परिशीलन से स्पष्टत: उपदर्शित होता है कि यद्यपि याचियों ने लिखित कथन के पैरा 22 में अभिवाक् किया था कि वे प्रत्यर्थी से अनुज्ञप्ति शुल्क की ईप्सा किए जाने के प्रयोजनार्थ खंडन दावा फाइल करने के अधिकारी थे, किंतु याचियों ने स्वीकृतत: माध्यस्थम् कार्यवाहियों में न तो कोई खंडन दावा फाइल किया है और न ही मुजराई का कोई अभिवाक् किया है ।

35. याचियों ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध कोई पृथक् द्वारा भी बम्बे लघुवाद न्यायालय में ऐसी किसी भी रकम की वसूली के लिए फाइल नहीं किया । प्रत्यर्थी कंपनी ने स्वयं वादग्रस्त परिसर के रिक्त और शांतिपूर्ण कब्जा हस्तगत करने के पश्चात् भी याचियों को प्रतिकर की कतिपय रकम का संदाय स्रोत पर कर कटौती की रकम घटाने के

पश्चात् किया था । प्रत्यर्थी ने भी स्वीकृतत: मई, 2008 से अक्तूबर, 2009 की अवधि के लिए प्रतिकर के बकाये की 57,27,554/- रुपए की राशि को 10,22,446/- रुपए की स्रोत पर कर कटौती को घटाने के पश्चात् समायोजित किया और केवल 1,67,72,446/- रुपए की अधिशेष रकम की प्रतिभूत जमा को वापस लौटाए जाने की मांग की थी । किसी भी समय बिंदु पर याचियों ने उक्त अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार के खंड (3) का अवलंब लेते हुए प्रतिकर की उच्चतर रकम के लिए कोई मांग नहीं की । मेरे विचार में, यदि याची किसी मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क को उक्त अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार के निबंधनों के अनुसार प्रत्येक 12 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् 5 प्रतिशत बढ़ाए जाने के हकदार होते, तो उक्त बढ़ी हुई अनुज्ञप्ति शुल्क की रकम का बकाया, यदि कोई होता, भी उक्त अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार के खंड (15) के अधीन प्रतिभूत जमा में समायोजित किया जाता । याचियों ने प्रतिभूत जमा के संदाय से उक्त रकम के किसी भी प्रकार के समायोजन की कोई ईप्सा नहीं की है ।

36. मेरे विचार में, यदि ऐसी किसी रकम के लिए याचियों द्वारा अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार के खंड (3) के अधीन मांग की जाती है, तो उक्त विवाद भी 1882 के प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 41 को आकर्षित करेगा । बढ़े हुए दर पर अनुज्ञप्ति शुल्क, जिसको प्रतिभूत जमा के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता था, की इस प्रकार की मांग 1882 के प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 41 को आकर्षित करते हुए अभिव्यक्ति 'कब्जे की प्राप्ति से संबंधित विवाद' से संबंधित नहीं होगी ।

37. जहां तक याचियों के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल के इस निवेदन कि प्रत्यर्थी ने याचियों के पास 2,25,00,000/- रुपए की कोई रकम जमा नहीं की थी, जैसाकि लिखित कथन के पैरा 22 के अनुसार अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार के खंड (2) में निर्दिष्ट है, का संबंध है, याचियों का पक्षकथन यह था कि प्रत्यर्थी ने न तो कभी किसी किराए का संदाय किया और न ही कभी कोई प्रतिभूति जमा की और इसलिए उसने संविदा का भंग किया था । याचियों द्वारा लिखित कथन के पैरा 22 में यह अभिवाक् भी किया गया था कि याची प्रत्यर्थी से अनुज्ञप्ति शुल्क की

ईप्सा करते हुए खंडन दावा प्रस्तुत करने के लिए हकदार थे और जिसके लिए याचियों ने तारीख 9 अक्तूबर, 2009 के पत्र के प्रकाश में कोई खंडन दावा प्रस्तुत नहीं किया ।

38. याचियों ने स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र की प्राप्ति से इनकार नहीं किया है । याचियों ने स्वयं लिखित कथन में इस बात को स्वीकार किया था कि पहले भी तारीख 1 अप्रैल, 2004 को एक अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार निष्पादित किया गया था जो तारीख 31 मार्च, 2007 को समाप्त हो गया था । दोनों पक्षों के निवेदनों और प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचारोपरांत, विद्वान् मध्यस्थ ने आक्षेपित पंचाट के पैरा 11 में अभिनिर्धारित किया कि याचियों ने अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार की विद्यमान्यता, उसके निष्पादन और उसकी अंतर्वस्तुओं को स्वीकार कर लिया था । विद्वान् मध्यस्थ ने आक्षेपित पंचाट के पैरा 12 से 17 में यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी ने इस बात को साबित किया है कि उसने 3,00,00,000/- रुपए की रकम जमा कर दी थी । विद्वान् मध्यस्थ ने इन विवाद्यकों पर उन पैराग्राफों में विस्तारपूर्वक विचार किया है और अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा जिन साक्षियों का परीक्षण किया गया, उन्होंने 2,25,00,000/- रुपए की रकम वापस लौटाए जाने योग्य प्रतिभूत जमा को साबित किया है और इस बात को पक्षों द्वारा समझ लिया गया था । याचियों ने प्रत्यर्थियों द्वारा याचियों को संदेय अनुज्ञप्ति शुल्क से उन संदायों की कटौती किए जाने के पश्चात् प्रत्यर्थियों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए स्रोत पर कर कटौती के विभिन्न प्रमाणपत्रों को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया था ।

39. विद्वान् मध्यस्थ ने पंचाट के पैरा 20(डी) में इस निष्कर्ष को अभिलिखित किया है कि मुख्य परीक्षा में याचियों के साक्षियों ने विनिर्दिष्ट रूप से 3,00,00,000/- रुपए की राशि निर्दिष्ट की है जिसको इसमें के प्रत्यर्थी के पक्ष में नताशा कंस्ट्रक्सन एंड पटेल होल्डिंक्स द्वारा अंतरित किया गया था, और यह दोनों ही कंपनियां प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा नियंत्रित थी जिन्होंने इस रकम को याची संख्या 1 के पक्ष में अंतरित किया था जिसका याची संख्या 2 न्यासी था । याचियों द्वारा

जिन साक्षियों का परीक्षण किया गया, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए बैंक कथन में 3,00,00,000/- रुपए की रकम का उल्लेख किया गया था । प्रत्यर्थी द्वारा पेश किए गए उक्त साक्षी ने इस रकम के बटवारे के विवरण भी प्रस्तुत किए थे कि दिसंबर, 2005 में 3,00,00,000/- रुपए की उक्त राशि का संदाय किस प्रकार से किया गया था ।

40. याचियों ने इस बात को दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि उक्त अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार में 2,25,00,000/- रुपए की रकम को क्यों निर्दिष्ट किया गया था और उक्त करार में उक्त रकम का उल्लेख किए जाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया । इसके विपरीत प्रत्यर्थी ने इस बात को साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ कि 3,00,00,000/- रुपए की रकम प्रत्यर्थी द्वारा याचियों के पास जमा की गई थी और याचियों ने अपने पास 2,25,00,000/- रुपए की जमा राशि को रोकते हुए प्रत्यर्थी को 75,00,000/- रुपए की रकम वापस लौटा दी थी, तीन साक्षियों के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे ।

41. विद्वान् मध्यस्थ ने पैरा 20(एफ) में अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार के निबंधनों का निर्वचन करते हुए अभिनिर्धारित किया कि यह एक अपरिहार्य रूप से निकाला गया निष्कर्ष है कि पक्षों ने इस बात को समझा और उक्त करार पर इस आधार पर आगे अग्रसर हुए कि याचियों के पास 2,25,00,000/- रुपए की रकम वापस लौटाए जाने योग्य प्रतिभूत जमा के रूप में जमा थी जिसको उक्त परिसर के कब्जे का अभ्यर्पण किए जाने पर वापस लौटाया जाना था । याचियों ने उक्त करार के अंतर्गत कोई मौद्रिक दावा प्रस्तुत नहीं किया । तद्नुसार, विद्वान् मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि इस बात का अनुमान युक्तिसंगत रूप से निकाला जा सकता है कि उनका प्रत्यर्थी के विरुद्ध कोई दावा नहीं है । याचियों के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल संक्षिप्त वाद के अभिवचनों और दावा कथन में कोई असंगतता नहीं दिखा सके ।

42. मेरे विचार में अभिवचनों, दस्तावेजों और साक्ष्य के आधार पर विद्वान् मध्यस्थ द्वारा निकाले गए ये तथ्यात्मक निष्कर्ष कोई दृश्यमान अवैधता दर्शित नहीं करते और इसलिए इन निष्कर्षों में इस

न्यायालय द्वारा मध्यक्षेप नहीं किया जा सकता । विद्वान् मध्यस्थ द्वारा अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार का निर्वचन न केवल संभव निर्वचन है बल्कि सही निर्वचन भी है । यदि विद्वान् मध्यस्थ द्वारा किए गए इस निर्वचन पर संभव निर्वचन के रूप में विचार किया जाता है, तो विद्वान् मध्यस्थ द्वारा किए गए इस संभव निर्वचन को इस न्यायालय द्वारा माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 34 के अधीन किसी अन्य संभव निर्वचन द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता । याचियों के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल द्वारा किए गए इस निवेदन में कि कथन के मात्र परिशीलन से ही यह दर्शित हो जाता है कि विद्वान् मध्यस्थ को इस विवाद पर विचार करने की कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं थी, कोई सार नहीं है ।

43. विद्वान् मध्यस्थ ने याचियों के इस अभिवाक् को न्यायत: अस्वीकृत किया है कि 2,25,00,000/- रुपए की उक्त रकम वापस लौटाए जाने योग्य प्रतिभूत जमा नहीं थी । याचियों ने लिखित कथन में स्वमेव अभिवचन किया है कि प्रत्यर्थी ने उक्त अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार का भंग किया था और इसलिए याचियों को प्रतिभूत जमा का सम्पहरण करने का अधिकार था । विद्वान् मध्यस्थ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि याचियों ने तारीख 14 दिसंबर, 2009 को उक्त परिसर का रिक्त कब्जा प्राप्त कर लिया था । फिर भी याचियों ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध न तो कोई दावा प्रस्तुत किया और न ही माध्यस्थम् कार्यवाही में कोई खंडन दावा प्रस्तुत किया । प्रत्यर्थी द्वारा जिन साक्षियों का परीक्षण किया गया, उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से साबित किया है कि याचियों ने प्रत्यर्थी द्वारा उक्त परिसर का रिक्त कब्जा याचियों को हस्तगत कर दिए जाने के बावजूद वापस लौटाए जाने योग्य प्रतिभूत जमा की अधिशेष राशि को वापस न लौटाकर उक्त अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार का भंग कारित किया था ।

44. याचियों के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल ने इस न्यायालय के समक्ष कोई अन्य निवेदन नहीं किए ।

45. पक्षों द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि प्रत्यर्थी ने

विद्वान् मध्यस्थ के समक्ष अपने पक्ष कथन को साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ अपने बही-खाते, वित्तीय दस्तावेज और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे । यद्यपि प्रत्यर्थी ने याचियों से अपेक्षा की थी कि वे इस बात को दर्शित करने के प्रयोजनार्थ अपने बही-खाते प्रस्तुत करें कि याचियों द्वारा प्रत्यर्थियों से कोई प्रतिभूत जमा प्राप्त नहीं की गई थी या इस बात को दर्शित किए जाने के प्रयोजनार्थ कि उक्त अनुज्ञा और अनुज्ञप्ति करार के अंतर्गत देय किसी भी अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली प्रत्यर्थी से नहीं की गई थी, जैसाकि याचियों द्वारा अभिकथित किया गया है, किंतु याचियों ने जानबूझकर इन दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया । मैं विद्वान् मध्यस्थ द्वारा तारीख 12 अक्तूबर, 2018 को पारित किए गए आक्षेपित पंचाट या तारीख 17 सितंबर, 2013 को पारित आक्षेपित आदेश में कोई शैथिल्य नहीं पाता । 2019 की वाणिज्यिक माध्यस्थम् याचिका संख्या 452 गुणागुण से रहित है ।

46. अतः, मैं निम्नलिखित आदेश पारित करता हूं :–

(क) 2019 की वाणिज्यिक माध्यस्थम् याचिका संख्या 452 खारिज की जाती है ।

(ख) वाणिज्यिक माध्यस्थम् याचिका खारिज किए जाने को दृष्टि में रखते हुए 2019 की कार्रवाई की सूचना संख्या 911 का निस्तारण किया जाता है ।

(ग) लागत के बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया जाता ।

माध्यस्थम् याचिका खारिज की गई ।

शु.

(2019) 2 सि. नि. प. 846 मेघालय

मैसर्स नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन

बनाम

मुख्य आयुक्त, आयकर

[2019 की रिट याचिका (सिविल) सं. 72 और अन्य]

तारीख 18 मार्च, 2019

मुख्य न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब मीर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) – धारा 142(1) और 144 – आयकर का पुनर्निर्धारण – मामले के तथ्यों और विधिक बिन्दुओं को दृष्टिगत करते हुए यह समाधान हो गया है कि निर्धारण अधिकारी ने आयकर के निर्धारण करने में प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया जिसका अनुसरण आय का पुनर्निर्धारण करने और मांग आदेश जारी करने के लिए किया जाना था ।

निर्धारण अधिकारी ने तारीख 12 फरवरी, 2019 को संबंधित निर्धारण वर्षों के लिए याची को पृथक्-पृथक् चार कारण बताओ सूचनाएं जारी की थीं जो अधिनियम की धारा 148 के अधीन सूचनाओं का अनुपालन न करने से संबंधित थीं और तारीख 19 फरवरी, 2019 की कारण बताओ सूचना में याची से यह पूछा गया था कि उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 276गग के अधीन क्यों न अभियोजन कार्यवाहियां आरंभ की जाएं । इसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा तारीख 13 फरवरी, 2019 को चार अन्य कारण बताओ सूचनाएं जारी की गई थीं जिनमें याची से यह पूछा गया था कि अधिनियम की धारा 148 के अधीन सूचनाओं के जवाब में याची द्वारा विवरणी फाइल करने से विफल रहने को दृष्टिगत करते हुए धारा 144 के अधीन निर्धारण क्यों न पूर्ण कर दिया जाए और तद्द्वारा निर्धारण अधिकारी ने याची को अधिनियम की धारा 143(2) और 142(1) के अधीन सूचनाएं जारी करने में अपने दायित्वों को पूरा करने से अयोग्य बना दिया था । उपर्युक्त के

जवाब में याची ने निर्धारण अधिकारी के समक्ष इस प्रकार निवेदन किया था – "हमें तारीख 16 जनवरी, 2019 को धारा 148 के अधीन सूचना प्राप्त हुई है । विवरणी तारीख 15 फरवरी, 2019 को या इससे पूर्व अर्थात् सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पुन: फाइल की जानी थी । निर्धारिती ने विवरणी पुन: प्रस्तुत करने का प्रयास किया था तथापि, सिस्टम में उपलब्ध विवरणी उपयोगिताओं की संगति के कारण बाधा उत्पन्न हुई क्योंकि उपयोगिता फाइलों में डाटा नहीं डाले जा सके और इसलिए एक्सएमएल फाइलें उत्सर्जित नहीं हो सकीं । तथ्यत: हमारे अनुरोध पर तारीख 12 फरवरी, 2019 को स्थानीय आयकर विभाग से प्रतिनिधि भी हमारी सहायता के लिए आया तथापि, वह भी समस्या का निदान नहीं कर पाया । तथापि, हमारे दल द्वारा अत्यधिक शोध करने पर निदान पाया जा सका और तारीख 13 फरवरी, 2019 को अधिनियम की धारा 148 के अधीन विवरणी सफलतापूर्वक प्रभारित (अपलोड) की गई और इस प्रकार सिस्टम उपयोगिता फाइल संगति के कारण विलंब हुआ था । तथ्यत: यह बात अभिलेख पर है कि निर्धारण अधिकारी ने उसी दिन तारीख 10 जनवरी, 2019 को चार वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2012-13, निर्धारण वर्ष 2013-14, निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारण पुन: खोला । उपर्युक्त को दृष्टिगत करते हुए कृपया कारण बताओ सूचना बंद की जाए ।" इसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी ने तारीख 15 फरवरी, 2019 को अधिनियम की धारा 143(2) के अधीन दो पृथक्-पृथक् सूचनाएं जारी कीं जिनमें यह उल्लेख किया गया कि याची द्वारा तारीख 13 फरवरी, 2019 को पेश की गई आयकर की विवरणियों के संबंध में निर्धारण वर्ष 2012-13 और निर्धारण वर्ष 2013-14 के निर्धारण के लिए कतिपय बिन्दु उदभूत हुए हैं जिनके संबंध में कतिपय अन्य सूचनाएं अपेक्षित हैं और इसलिए याची को तारीख 18 फरवरी, 2019 को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था । अन्य दो निर्धारण वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2016-17 के संबंध में विवरणियों पर कार्यवाही की गई थी । निर्धारण अधिकारी द्वारा उसी दिन अर्थात् तारीख 15 फरवरी, 2019 को अधिनियम की धारा 142 की उप-धारा (1) के अधीन चार पृथक्-पृथक् सूचनाएं जारी की गई थीं जिनमें याची से तारीख 18

फरवरी, 2019 को या उससे पूर्व सूचनाओं में उल्लिखित खाते और दस्तावेज दाखिल करने के लिए कहा गया था जिसका याची ने तारीख 18 फरवरी, 2019 को यह अनुरोध करते हुए जवाब दिया था कि उसे तारीख 4 मार्च, 2019 तक का समय दिया जाए जिससे कि याची अपेक्षित सूचनाएं संगृहीत करने में समर्थ हो सके जो कि सूचना विभिन्न दूर-दराज इलाकों में स्थित स्थलों से संबंधित थी जिसको पुन: प्राप्त करने में समय लग सकता है, जिसे अनुज्ञात किया जाना प्रतीत नहीं होता है और इसके बजाय निर्धारण अधिकारी ने तारीख 20 फरवरी, 2019 को निर्धारण आदेश पारित करते हुए आक्षेपित मांग आदेश जारी कर दिए । संक्षेप में याची के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण हुआ है क्योंकि याची को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – निर्धारण अधिकारी ने तारीख 15 फरवरी, 2019 को अधिनियम की धारा 143(2) के अधीन सूचनाएं जारी कीं जिनमें यह प्रकट किया गया कि याची की विवरणियों अर्थात् धारा 148 के अधीन सूचनाओं के जवाब में याची द्वारा तारीख 13 फरवरी, 2019 को पेश किए गए जवाबों की अवेक्षा की गई है और याची से इस प्रयोजन के लिए तारीख 18 फरवरी, 2019 को निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और कतिपय बिन्दुओं को सत्यापित करने के लिए कहा गया था । इसके अतिरिक्त तारीख 15 फरवरी, 2019 को कतिपय दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए अधिनियम की धारा 142 की उप-धारा (1) के अधीन भी सूचनाएं जारी की गई थीं जिनसे तथ्यत: यह अभिप्रेत था कि प्रभावत: तारीख 10 जनवरी, 2019 से 30 दिनों की अवधि की गणना को याची द्वारा तारीख 10 जनवरी, 2019 के अधीन सूचनाओं के अधीन दिए गए जवाब पर विचार करते हुए विस्तारित कर दिया गया है । जब एक बार ऐसा कर दिया गया हो और अधिनियम की धारा 143(2) और 142(1) के अधीन सूचनाएं जारी कर दी गई हों तब निर्धारण अधिकारी का कानूनी दायित्व है कि वह अधिनियम की धारा 147 के अधीन निर्धारणों को पुन: खोलने के लिए याची को कारण

उपलब्ध कराए, जिसके बारे याची ने तारीख 13 फरवरी, 2019 धारा 148 के अधीन सूचनाओं का जवाब देते हुए विनिर्दिष्ट रूप से अनुरोध किया था । स्वीकृतत: निर्धारणों को पुन: खोलने के लिए याची को कारण उपलब्ध नहीं कराए गए थे । कारण उपलब्ध कराने का उद्देश्य याची को निर्धारण पुन: खोलने के संबंध में आक्षेप फाइल करने के लिए समर्थ बनाना था और तत्पश्चात् आक्षेप फाइल करने पर याची को निर्धारण अधिकारी के समक्ष सुनवाई का अधिकार प्रदान करना था । इसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा आक्षेपों पर विचार करने और याची को सुनने के पश्चात् आक्षेपों पर विचार करते हुए एक अभिव्यक्त आदेश पारित करना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त याची ने अधिनियम की धारा 143(2) और 142(1) के अधीन सूचनाओं का जवाब देते हुए तारीख 4 मार्च, 2019 तक अपेक्षित दस्तावेजों को पेश करने के लिए जवाब में दिए गए विस्तृत कारणों के आधार पर समय प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था जिसकी अनदेखी की गई । आक्षेप फाइल करने और सुने जाने की कानूनी अपेक्षाओं का अनुसरण किए बिना आक्षेपित निर्धारण और मांग आदेश पारित किए गए जिससे यह उपदर्शित होता है कि प्रत्यर्थी ने न केवल नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमणा किया है अपितु प्रक्रिया का भी भंग किया है जिसका कि विनिश्चय (निर्धारण) के लिए अनुसरण किया जाना आवश्यक था । ऊपर उल्लिखित कारणों और विधि को दृष्टिगत करते हुए न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण हुआ है और उस प्रक्रिया का भी अनुसरण नहीं किया गया है जिसका पुन: निर्धारण करने पर निर्धारण-आदेशों को पारित करने के लिए और मांग आदेशों को जारी करने के लिए अनुसरण किया जाना आवश्यक था । अत: यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति का अवलंब लेने के लिए एक आपवादिक मामला है । दोनों आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं और याची के बारे में यह कहकर कि वह अपील के उपचारों का फायदा ले सकता था, मामले को अनावश्यक रूप से लम्बा खींचा गया । न्यायालय याचिकाओं को ग्रहण किए जाने योग्य मानते हुए इन्हें मंजूर करता है

और तारीख 20 फरवरी, 2019 के सभी आक्षेपित निर्धारणों और मांग-आदेशों (मांग-पत्रों) को अपास्त करते हैं । निर्धारण अधिकारी उक्त निर्धारण वर्षों के लिए आय के निर्धारण को पुन: खोलने के लिए कारण प्रदत्त करेगा जिससे कि याची आक्षेप फाइल करने में समर्थ हो सके और याची को सुनने के पश्चात् आक्षेपों के संबंध में अभिव्यक्त आदेश पारित करेगा और निर्धारण की कार्यवाही करने के पश्चात् समुचित आदेश पारित करेगा जैसा कि आवश्यक हो । (पैरा 17, 18, 21 और 23)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2002] (2002) 125 टैक्समैन 963 (एस. सी.) :
जी. के. एन. दिरवेशाफ्टस (इंडिया) लिमिटेड बनाम
आयकर अधिकारी । 5,19

निर्दिष्ट निर्णय

[2015] 61 टैक्समैन.कोम 308 (बंबई) :
आयकर आयुक्त-24 बनाम **ट्रेंड इलेक्ट्रोनिक्स**; 22

[2014] (2014) 1 एस. सी. सी. 603 :
आयकर आयुक्त और अन्य बनाम **छबील दास अग्रवाल** । 20

आरंभिक (सिविल) अधिकारिता : 2019 की रिट याचिका (सिविल) सं. 72 साथ में 2019 की प्रकीर्ण (सिविल) रिट याचिका सं. 43, रिट याचिका (सिविल) सं. 73/2019 साथ में 2019 की प्रकीर्ण रिट याचिका (सिविल) सं. 44, 2019 की रिट याचिका (सिविल) सं. 74 साथ में 2019 की प्रकीर्ण रिट याचिका (सिविल) सं. 45 और 2019 की रिट याचिका (सिविल) सं. 75 साथ में 2019 की प्रकीर्ण रिट याचिका (सिविल) सं. 46.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री वी. के. जैन अधिवक्ता और एस. जिन्दल अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री एन. हवेलिया

मुख्य न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब मीर – वर्तमान रिट याचिकाओं में निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2015-16 और 2016-17 के लिए तारीख 20 फरवरी, 2019 को पारित निर्धारण आदेशों और उक्त सभी निर्धारण वर्षों में तारीख 20 फरवरी, 2019 के 4 मांग-आदेशों को अभिखंडित करने की ईप्सा की गई है । उक्त सभी आदेश प्रत्यर्थी सं. 2 (सहायक आयुक्त, आयकर (सर्किल), शिलांग द्वारा उक्त निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारिती (याची) की आय का पुन: निर्धारण करते हुए पारित किए गए हैं ।

2. चूंकि उक्त सभी चारों याचिकाओं में निर्धारण के लिए मुद्दे एक जैसे हैं इसलिए इन्हें एकत्रित करते हुए इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है ।

3. प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि रिट याचिकाएं ग्रहण किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि याची को आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे आगे संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है) के अधीन समुचित उपचार उपलब्ध थे अर्थात् अधिनियम की धारा 246 के अधीन उपायुक्त (अपील) के समक्ष अपील करने का उपचार और उसके पश्चात् अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील का उपचार और तत्पश्चात् अपील अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 260क के निबंधनों में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल करने का उपचार उपलब्ध था ।

4. उक्त दलील के विरोध में याची के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि यह सही है कि उपर्युक्त उपचार उपलब्ध हैं तथापि, ऐसे उपचारों की उपलब्धता याची को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का अवलंब

लेने से वंचित नहीं करती जहां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और निर्धारण के लिए प्रक्रियाओं का अनुसरण नहीं किया गया है ।

5. याची के विद्वान् काउंसेल ने उक्त दलील के संदर्भ में इस बात का विशेष उल्लेख किया है कि जहां अधिनियम की धारा 148 के अधीन सूचना जारी की जानी हो वहां इस संबंध में कारण उल्लिखित किए जाने चाहिए जिससे कि निर्धारिती आक्षेप फाइल करने के लिए समर्थ हो सके क्योंकि निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे आक्षेपों पर तब तक कोई अभिव्यक्त आदेश पारित करके विचार किया जाना और निपटान किया जाना अपेक्षित है जब तक कि निर्धारण अधिकारी निर्धारण आदेश पारित नहीं करता । काउंसेल ने अपनी दलील के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जी. के. एन. दिरवेशाफ्टस (इंडिया) लिमिटेड** बनाम **आयकर अधिकारी**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है ।

6. काउंसेल ने यह दलील दी है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा तारीख 7 जनवरी, 2019 को अधिनियम की धारा 148 के अधीन क्रमश: चार वर्ष के निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारिती से यह अपेक्षा करते हुए चार सूचनाएं जारी की गई थीं कि वह सूचना की तामील से 30 दिन के भीतर उक्त निर्धारण वर्षों के लिए विहित प्ररूप में विवरणी फाइल करे । याची को उक्त सूचनाएं तारीख 16 जनवरी, 2019 को प्राप्त हुई थीं । 30 दिनों की अवधि तारीख 15 फरवरी, 2019 को पर्यवसित हो गई । याची ने 30 दिनों की अवधि के भीतर अर्थात् 13 फरवरी, 2019 को चार पृथक्-पृथक् संसूचनाएं प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया कि मूल विवरणियां पहले ही फाइल की जा चुकी हैं और कृपया उन पर विचार किया जाए क्योंकि वे इस प्रयोजन के लिए विधिमान्य विवरणियां हैं । उक्त चारों विवरणियां तारीख 13 फरवरी, 2019 को पुन: ई-आधार पर फाइल की गई थीं और उनमें भी याची ने निर्धारण अधिकारी से यह अनुरोध किया था कि वह अधिनियम की धारा 147 के अधीन निर्धारणों को पुन: खोलने के लिए कारण उल्लिखित करे ।

7. निर्धारण अधिकारी ने तारीख 12 फरवरी, 2019 को संबंधित

---

[1] (2002) 125 टैक्समैन 963 (एस. सी.).

निर्धारण वर्षों के लिए याची को पृथक्-पृथक् चार कारण बताओ सूचनाएं जारी की थीं जो अधिनियम की धारा 148 के अधीन सूचनाओं का अनुपालन न करने से संबंधित थीं और तारीख 19 फरवरी, 2019 की कारण बताओ सूचना में याची से यह पूछा गया था कि उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 276गग के अधीन क्यों न अभियोजन कार्यवाहियां आरंभ की जाएं । इसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा तारीख 13 फरवरी, 2019 को चार अन्य कारण बताओ सूचनाएं जारी की गई थीं जिनमें याची से यह पूछा गया था कि अधिनियम की धारा 148 के अधीन सूचनाओं के जवाब में याची द्वारा विवरणी फाइल करने से विफल रहने को दृष्टिगत करते हुए धारा 144 के अधीन निर्धारण क्यों न पूर्ण कर दिया जाए और तद्द्वारा निर्धारण अधिकारी ने याची को अधिनियम की धारा 143(2) और 142(1) के अधीन सूचनाएं जारी करने में अपने दायित्वों को पूरा करने से अयोग्य बना दिया था । उपर्युक्त के जवाब में याची ने निर्धारण अधिकारी के समक्ष इस प्रकार निवेदन किया था :-

> "हमें तारीख 16 जनवरी, 2019 को धारा 148 के अधीन सूचना प्राप्त हुई है । विवरणी तारीख 15 फरवरी, 2019 को या इससे पूर्व अर्थात् सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पुन: फाइल की जानी थी । निर्धारिती ने विवरणी पुन: प्रस्तुत करने का प्रयास किया था तथापि, सिस्टम में उपलब्ध विवरणी उपयोगिताओं की संगति के कारण बाधा उत्पन्न हुई क्योंकि उपयोगिता फाइलों में डाटा नहीं डाले जा सके और इसलिए एक्सएमएल फाइलें उत्सर्जित नहीं हो सकीं । तथ्यत: हमारे अनुरोध पर तारीख 12 फरवरी, 2019 को स्थानीय आयकर विभाग से प्रतिनिधि भी हमारी सहायता के लिए आया तथापि, वह भी समस्या का निदान नहीं कर पाया । तथापि, हमारे दल द्वारा अत्यधिक शोध करने पर निदान पाया जा सका और तारीख 13 फरवरी, 2019 को अधिनियम की धारा 148 के अधीन विवरणी सफलतापूर्वक प्रभारित (अपलोड) की गई और इस प्रकार सिस्टम उपयोगिता फाइल संगति के कारण विलंब हुआ था । तथ्यत: यह बात अभिलेख पर है कि

निर्धारण अधिकारी ने उसी दिन तारीख 10 जनवरी, 2019 को चार वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2012-13, निर्धारण वर्ष 2013-14, निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारण पुन: खोला । उपर्युक्त को दृष्टिगत करते हुए कृपया कारण बताओ सूचना बंद की जाए ।"

8. इसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी ने तारीख 15 फरवरी, 2019 को अधिनियम की धारा 143(2) के अधीन दो पृथक्-पृथक् सूचनाएं जारी कीं जिनमें यह उल्लेख किया गया कि याची द्वारा तारीख 13 फरवरी, 2019 को पेश की गई आयकर की विवरणियों के संबंध में निर्धारण वर्ष 2012-13 और निर्धारण वर्ष 2013-14 के निर्धारण के लिए कतिपय बिन्दु उदभूत हुए हैं जिनके संबंध में कतिपय अन्य सूचनाएं अपेक्षित हैं और इसलिए याची को तारीख 18 फरवरी, 2019 को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था ।

9. अन्य दो निर्धारण वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2016-17 के संबंध में विवरणियों पर कार्यवाही की गई थी ।

10. निर्धारण अधिकारी द्वारा उसी दिन अर्थात् तारीख 15 फरवरी, 2019 को अधिनियम की धारा 142 की उप-धारा (1) के अधीन चार पृथक्-पृथक् सूचनाएं जारी की गई थीं जिनमें याची से तारीख 18 फरवरी, 2019 को या उससे पूर्व सूचनाओं में उल्लिखित खाते और दस्तावेज दाखिल करने के लिए कहा गया था जिसका याची ने तारीख 18 फरवरी, 2019 को यह अनुरोध करते हुए जवाब दिया था कि उसे तारीख 4 मार्च, 2019 तक का समय दिया जाए जिससे कि याची अपेक्षित सूचनाएं संगृहीत करने में समर्थ हो सके जो कि सूचना विभिन्न दूर-दराज इलाकों में स्थित स्थलों से संबंधित थी जिसको पुन: प्राप्त करने में समय लग सकता है, जिसे अनुज्ञात किया जाना प्रतीत नहीं होता है और इसके बजाय निर्धारण अधिकारी ने तारीख 20 फरवरी, 2019 को निर्धारण आदेश पारित करते हुए आक्षेपित मांग आदेश जारी कर दिए । संक्षेप में याची के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण हुआ है क्योंकि याची को

सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है ।

11. प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि तथ्यत: अधिनियम की धारा 148 के अधीन सूचनाएं तारीख 10 जनवरी, 2019 को जारी की गई थीं और इन सूचनाओं की याची के ऊपर उसी दिन तामील कर दी गई थीं और यह बात अभिलेख पर पेश की गई सूचनाओं की प्रतियों से पूर्ण रूप से साबित है, जिन पर इस प्रकार अभिलिखित है :-

> "यह दस्तावेज आंगुलिक (डिजिटली) रूप से हस्ताक्षरित है और इसे याची द्वारा तारीख 10 जनवरी, 2019 को प्राप्त किया गया है ।"

तथापि, संपठनीय प्रति भेजी गई है जो याची को तारीख 16 जनवरी, 2019 को प्राप्त हुई है । 30 दिनों की समयावधि तारीख 10 जनवरी, 2019 से आरंभ होगी जिस तारीख को वस्तुत: याची के ऊपर सूचनाओं की तामील की गई है । याची से उक्त निर्धारण वर्षों के लिए विहित प्ररूप में विवरणियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी जिसका अनुपालन याची द्वारा समय के भीतर नहीं किया गया है । यद्यपि याची ने तारीख 13 फरवरी, 2019 को अर्थात् 30 दिनों की समयावधि के बाद सूचनाओं का अनुपालन किया है । अत: निर्धारणों को पुन: खोलने के लिए याची को कारण प्रदत्त करना आवश्यक नहीं था । तथ्यत: याची ने कारण प्राप्त करने अथवा आक्षेप फाइल करने के अपने अधिकार को परित्यक्त कर दिया था इसलिए याची नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के भंग का दावा नहीं कर सकता और न ही वह कानूनी उपबंधों के अननुपालन का दावा कर सकता है । इसे दृष्टिगत करते हुए इस आधार पर रिट याचिका ग्रहण किए जाने योग्य नहीं है और याची चाहे तो वैकल्पिक उपचारों अर्थात् अपीलों का आश्रय ले सकता है जो कि उसे उपचार उपलब्ध है ।

12. पक्षकारों की परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार किया गया अभिलेख का भी परिशीलन किया गया ।

13. याची एक लोक सेक्टर उपक्रम है जो वर्ष 1976 में

रजिस्ट्रीकृत हुई थी । ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (एन. ई. आर.) में एक वृहत्तर ऊर्जा उत्सर्जित करने वाली कंपनी है जिसके बारे में यह कहा गया है कि यह एन. ई. आर. में कुल ऊर्जा का 40 प्रतिशत तैयार करती है । निगम भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन भारत के एन. ई. आर. में ऊर्जा स्टेशनों की योजना बनाने, अन्वेषण करने, प्ररूप तैयार करने, सन्निर्मित करने, उत्सर्जित करने, परिचालन करने और उसको बनाए रखने के लिए निगमित किया गया था ।

14. याची-निगम ने अधिनियम की धारा 139(1) के अधीन तारीख 26 सितंबर, 2012 को प्रत्यर्थी सं. 2 के समक्ष निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए आय की विवरणियां फाइल की थीं । जबकि निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए तारीख 26 सितंबर, 2013 को, निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए तारीख 30 सितंबर, 2015 को और निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए तारीख 17 अक्तूबर, 2016 को विवरणियां फाइल करके आय घोषित की गई थी । अधिनियम की धारा 143(1) के अधीन विवरणियों पर कार्यवाही करते हुए विवरणियां स्वीकार की गई थीं ।

15. वर्ष 2019 में अधिनियम की धारा 148 के अधीन सूचनाएं जारी की गई थीं जिनमें निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2015-16 और 2016-17 के लिए आय के निर्धारण की प्रस्थापना की गई थी । यह पूर्णतया स्पष्ट है कि याची-निगम ने उक्त सूचनाएं प्राप्त की थीं जिन पर याची द्वारा तारीख 10 जनवरी, 2019 को अंगुलीय हस्ताक्षर किए गए हैं । तथापि, मुद्रित प्रतियां तारीख 16 जनवरी, 2019 को प्राप्त की गई हैं । याची-निगम से यह अपेक्षा की गई थी कि सूचना की तामील की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर अर्थात् तारीख 10 जनवरी, 2019 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करे । स्वीकृतत: याची-निगम ने तारीख 13 फरवरी, 2019 को सूचना का जवाब देते हुए निर्धारण अधिकारी को यह संसूचित किया कि मूल विवरणियां पहले ही विधिमान्य रूप से फाइल की जा चुकी हैं । उक्त विवरणियां पुन: उसी तारीख को अर्थात् तारीख 13 फरवरी, 2019 को इलेक्ट्रानिक रूप से फाइल की गई हैं और याची ने अधिनियम की धारा 147 के अधीन निर्धारणों को पुन: खोलने के लिए कारण उल्लिखित करने का भी अनुरोध किया ।

16. प्रत्यर्थी सं. 2 ने यह महसूस किया कि याची ने 30 दिनों की अवधि के भीतर धारा 148 के अधीन सूचनाओं का जवाब नहीं दिया और तब याची से यह अपेक्षा करते हुए तारीख 12 फरवरी, 2019 को अन्य कारण बताओ सूचनाएं जारी कीं कि उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 148 के अधीन सूचनाओं की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए विफल रहने को दृष्टिगत करते हुए अधिनियम की धारा 276गग के अधीन अभियोजन कार्यवाहियां क्यों न आरंभ की जाएं । इसके पश्चात् तारीख 13 फरवरी, 2019 को निर्धारण अधिकारी ने इस बारे में चार पृथक्-पृथक् सूचनाएं जारी कीं कि धारा 148 के अधीन सूचनाओं के जवाब में विवरणियां फाइल न करने को दृष्टिगत करते हुए धारा 144 के अधीन निर्धारण क्यों न पूर्ण कर दिया जाए जिसके द्वारा याची ने निर्धारण अधिकारी को अधिनियम की धारा 143(2) और 142(1) के अधीन सूचनाएं जारी करने में अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करने से अक्षम कर दिया है जिसका कि याची द्वारा उत्तर दिया गया था ।

17. निर्धारण अधिकारी ने तारीख 15 फरवरी, 2019 को अधिनियम की धारा 143(2) के अधीन सूचनाएं जारी कीं जिनमें यह प्रकट किया गया कि याची की विवरणियों अर्थात् धारा 148 के अधीन सूचनाओं के जवाब में याची द्वारा तारीख 13 फरवरी, 2019 को पेश किए गए जवाबों की अवेक्षा की गई है और याची से इस प्रयोजन के लिए तारीख 18 फरवरी, 2019 को निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और कतिपय बिन्दुओं को सत्यापित करने के लिए कहा गया था । इसके अतिरिक्त तारीख 15 फरवरी, 2019 को कतिपय दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए अधिनियम की धारा 142 की उप-धारा (1) के अधीन भी सूचनाएं जारी की गई थीं जिनसे तथ्यत: यह अभिप्रेत था कि प्रभावत: तारीख 10 जनवरी, 2019 से 30 दिनों की अवधि की गणना को याची द्वारा तारीख 10 जनवरी, 2019 के अधीन सूचनाओं के अधीन दिए गए जवाब पर विचार करते हुए विस्तारित कर दिया गया है । जब एक बार ऐसा कर दिया गया हो और अधिनियम की धारा 143(2) और 142(1) के अधीन सूचनाएं जारी कर दी गई हों तब निर्धारण अधिकारी का कानूनी दायित्व है कि वह अधिनियम की धारा

147 के अधीन निर्धारणों को पुन: खोलने के लिए याची को कारण उपलब्ध कराए, जिसके बारे याची ने तारीख 13 फरवरी, 2019 धारा 148 के अधीन सूचनाओं का जवाब देते हुए विनिर्दिष्ट रूप से अनुरोध किया था ।

18. स्वीकृतत: निर्धारणों को पुन: खोलने के लिए याची को कारण उपलब्ध नहीं कराए गए थे । कारण उपलब्ध कराने का उद्देश्य याची को निर्धारण पुन: खोलने के संबंध में आक्षेप फाइल करने के लिए समर्थ बनाना था और तत्पश्चात् आक्षेप फाइल करने पर याची को निर्धारण अधिकारी के समक्ष सुनवाई का अधिकार प्रदान करना था । इसके पश्चात् निर्धारण अधिकारी द्वारा आक्षेपों पर विचार करने और याची को सुनने के पश्चात् आक्षेपों पर विचार करते हुए एक अभिव्यक्त आदेश पारित करना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त याची ने अधिनियम की धारा 143(2) और 142(1) के अधीन सूचनाओं का जवाब देते हुए तारीख 4 मार्च, 2019 तक अपेक्षित दस्तावेजों को पेश करने के लिए जवाब में दिए गए विस्तृत कारणों के आधार पर समय प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था जिसकी अनदेखी की गई । आक्षेप फाइल करने और सुने जाने की कानूनी अपेक्षाओं का अनुसरण किए बिना आक्षेपित निर्धारण और मांग आदेश पारित किए गए जिससे यह उपदर्शित होता है कि प्रत्यर्थी ने न केवल नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमणा किया है अपितु प्रक्रिया का भी भंग किया है जिसका कि विनिश्चय (निर्धारण) के लिए अनुसरण किया जाना आवश्यक था ।

19. उपर्युक्त को दृष्टिगत करते हुए हम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जी. के. एन. दिरवेशाफ्ट्स** (पूर्वोक्त) वाले मामले में दिए गए निर्णय का अनुसरण करते हैं जिसमें इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है :-

> "हमें आक्षेपाधीन आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई न्यायोचित कारण प्रतीत नहीं होता है । तथापि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि जहां आयकर अधिनियम के अधीन कोई सूचना जारी कर दी गई हो वहां निर्धारिती द्वारा कार्रवाई करने के लिए सही प्रक्रिया विवरणियां फाइल करना है और यदि वह चाहे तो सूचनाएं

जारी करने के लिए कारण प्रदान करने के लिए अनुरोध कर सकता है । निर्धारण अधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर कारण प्रदान करने के लिए आबद्ध है । सूचना प्राप्तकर्ता कारण प्राप्त होने पर सूचना जारी करने के लिए आक्षेप फाइल करने का हकदार है और तत्पश्चात् निर्धारण अधिकारी इसका निपटान करने के लिए आबद्ध है । वर्तमान मामले में चूंकि इन कार्यवाहियों में कारण प्रकट किए गए हैं इसलिए निर्धारण अधिकारी को उपर्युक्त पांच निर्धारण वर्षों के संबंध में निर्धारण कार्यवाहियां करने से पूर्व अभिव्यक्त आदेश पारित करके आक्षेपों का, यदि फाइल किए गए हों, निपटान करना चाहिए ।"

20. इस संदर्भ में **आयकर आयुक्त और अन्य** बनाम **छबील दास अग्रवाल**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 11 और 12 को उद्धृत करना सुसंगत होगा, जो इस प्रकार है :-

"11. हम तथ्यात्मक स्थिति पर चर्चा करने के पूर्व इस न्यायालय द्वारा यथा अधिकथित विधि के सिद्धांत की अवेक्षा करेंगे । यह सुस्थापित विधि है कि जहां पर्याप्त वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हों वहां उच्च न्यायालय द्वारा रिट अधिकारिता के अधीन याचिकाओं को ग्रहण न करने का स्व-अधिरोपित परिसीमा का नियम विद्यमान है । विधि के किसी नियम के बजाय नीति, सुविधा और विवेकाधिकार का नियम लागू करना आवश्यक है । निस्संदेह यह बात उच्च न्यायालय के विवेकाधिकार के अन्तर्गत आती है कि वह किसी वैकल्पिक उपचार की विद्यमानता के बावजूद संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अनुतोष मंजूर करे । तथापि, जहां याची को पर्याप्त समुचित वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है और उसने ऐसे उपचार का उपयोग किए बिना उच्च न्यायालय में समावेदन किया है, वहां उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि याची ने ऐसा कोई आपवादिक मामला प्रकट न किया हो जिसमें ऐसा हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता हो या जहां अनुच्छेद 226 के अधीन साधारण अधिकारिता का अवलंब

---

[1] (2014) 1 एस. सी. सी. 603.

लेने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद न हों । [उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** मोहम्मद नूह, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 86 ; टीटाघुर पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड **बनाम** उड़ीसा राज्य (1983) 2 एस. सी. सी. 433 ; हरबंस लाल साहनी **बनाम** इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (2003) 2 एस. सी. सी. 107 ; और हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** गुजरात अंबुजा सीमेन्ट लिमिटेड (2005) 6 एस. सी. सी. 499 वाले मामले देखिए] ।

12. इस न्यायालय की सांविधानिक न्यायपीठों ने के. एस. रशीद और पुत्र **बनाम** आयकर अन्वेषण आयोग ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 207 ; संग्राम सिंह **बनाम** इलेक्शन ट्रिब्यूनल ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 425 ; भारत संघ **बनाम** टी. आर. वर्मा ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 882 ; उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** मोहम्मद नूह, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 86 और के. एस. वेंकटरमण एंड कंपनी (प्रा.) लिमिटेड **बनाम** मद्रास राज्य, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1089 वाले मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिटें जारी करने के मामले में अत्यधिक विस्तृत शक्तियां प्रदत्त करता है तथापि, रिट का उपचार आत्यंतिक रूप से विवेकाधिकार प्रकृति का है । जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि व्यथित पक्षकार को कहीं भी पर्याप्त या उपयुक्त अनुतोष उपलब्ध हो सकता है वहां वह इस अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है । <u>न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है जहां उसके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया हो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण हुआ है अथवा विनिश्चय के लिए अपेक्षित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है</u> । [एन. टी. वैल्युस्वामी देवर **बनाम** जी. राजा नैनार ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 422 ; म्युनिसिपल कौंसिल, खुरई **बनाम** कमल कुमार ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1321 = (1965) 2 एस. सी. आर. 653 ; सिलिगुड़ी नगरपालिका **बनाम** अमलेन्दु दास (1984) 2 एस. सी. सी. 436 = (1984) एस. सी. सी. (टैक्स) 133 ; एस. टी. मुथुसामी **बनाम** के. नटराजन (1988) 1 एस. सी.

सी. 572 ; राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम **बनाम** कृष्ण कांत (1955) 5 एस. सी. सी. 75 = 1995 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1207 = (1995) 31 ए. टी. सी. 110 ; केरल एस. ई. बी. **बनाम** कुरियन ई. कलाथिल (2000) 6 एस. सी. सी. 293 ; ए. वेंकटसुब्बय्या नायडू **बनाम** एस. चलप्पन (2000) 7 एस. सी. सी. 695 ; एल. एल. सुधाकर रेड्डी **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य (2001) 6 एस. सी. सी. 634 ; श्री संत सदगुरु जनार्दन स्वामी (मोईनगिरि महाराज) सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्था **बनाम** महाराष्ट्र राज्य (2001) 8 एस. सी. सी. 509 ; प्रताप सिंह **बनाम** हरियाणा राज्य ; (2002) 7 एस. सी. सी. 484 = 2002 एस. सी. सी. (एल. एन्ड एस.) 1075 और जी. के. एन. दिरवेशाफ्टस (इंडिया) लिमिटेड **बनाम** आयकर अधिकारी (2003) 1 एस. सी. सी. 72 वाले मामले देखिए] ।

(रेखांकन बल देने के लिए न्यायालय द्वारा किया गया है) ।"

21. ऊपर उल्लिखित कारणों और विधि को दृष्टिगत करते हुए हमारा यह समाधान हो गया है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण हुआ है और उस प्रक्रिया का भी अनुसरण नहीं किया गया है जिसका पुन: निर्धारण करने पर निर्धारण-आदेशों को पारित करने के लिए और मांग आदेशों को जारी करने के लिए अनुसरण किया जाना आवश्यक था । अत: यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति का अवलंब लेने के लिए एक आपवादिक मामला है । दोनों आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं और याची के बारे में यह कहकर कि वह अपील के उपचारों का फायदा ले सकता था, मामले को अनावश्यक रूप से लम्बा खींचा गया ।

22. वर्तमान मामले में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा **आयकर आयुक्त-24** बनाम **ट्रेंड इलेक्ट्रोनिक्स**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 8 को उद्धृत करना उपयोगी होगा जो इस प्रकार है :-

"8. हमें यह प्रतीत होता है कि आक्षेपित आदेश को **जी. एन. के. दिरवेशाफ्टस (इंडिया) लिमिटेड** (पूर्वोक्त) वाले मामले में

[1] [2015] 61 टैक्समैन.कोम 308 (बंबई).

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया विनिश्चय लागू होता है । इसके अतिरिक्त इसका इस न्यायालय द्वारा विदेश संचार निगम लिमिटेड वाले मामले में दिए गए विनिश्चय में यह अभिनिर्धारित करने के लिए अनुसरण किया गया है कि पुन: निर्धारण कार्यवाहियों में पारित कोई आदेश जो अधिनियम की धारा 148 के अधीन सूचना पुन: जारी करने के लिए अभिलिखित किए गए कारणों के अभाव में पारित किया गया हो, सही नहीं होगा जब निर्धारिती को ऐसी सूचना भेजे जाने पर उसके द्वारा कारणों की मांग की गई हो । यह स्वत: सिद्ध है कि अधिनियम के अधीन पूर्ण किए गए निर्धारण को खोलने के लिए शक्ति एक आपवादिक शक्ति है और जब कभी राजस्व प्राधिकारी ऐसी शक्ति का प्रयोग करने की ईप्सा करता है तो उसे पूर्व-अपेक्षित शर्तों का कड़ाई से पालन करना चाहिए अर्थात् मामले को पुन: खोलने के लिए कारण अभिकथित करते हुए यह उपदर्शित करना चाहिए कि निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए कारण है कि कर के लिए प्रभारित आय निर्धारण में आने से बच गई है जिसके कारण निर्धारण को पुन: खोलने की आवश्यकता है । ऐसे अभिलिखित कारण जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया है, निर्धारिती द्वारा ईप्सा किए जाने पर उसे संदत्त किए जाने चाहिए जिससे कि निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के समक्ष इस बारे में आक्षेप करने में समर्थ हो सके । अत: निर्धारिती द्वारा ईप्सा किए जाने पर उसे कारण प्रदत्त न किए जाने के अभाव में पुन: निर्धारण पर कोई आदेश पारित करना विधि विरुद्ध है । कारणों को अभिलिखित करना (जो इस मामले में किया गया है) और उन्हें प्रदत्त किया जाने के तथ्य का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक अधिकारिता से संबंधित विवाद्यक होता है । यह अपेक्षा अत्यंत हितकारी है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि सूचनाएं केवल सतही या सरसरी तौर पर जारी नहीं की गई हैं । इसके अतिरिक्त यदि ऐसी सूचनाएं कतिपय गलतफहमी/भ्रम के आधार पर जारी की गई हैं तो निर्धारिती को यह उपदर्शित करने के लिए अवसर दिया जाएगा कि कारणों में यथा अभिलिखित विश्वास

के कारणों के आधार पर पुन: निर्धारण कार्यवाहियां खोलने और आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है । निर्धारण अधिकारी ऐसे आक्षेपों का निपटान करेगा और यदि आक्षेपों से वह संतुष्ट हो जाता है तो वह अधिनियम की धारा 148 के अधीन आक्षेपित सूचना खोलने की कार्यवाही को बंद/प्रतिसंहृत करेगा अन्यथा वह आगे कार्यवाही करेगा जैसा कि हमारे समक्ष मामला है अर्थात् जहां अधिकारिता संबंधी विवाद्यक अन्तर्वलित है वहां संबंधित प्राधिकारी को इसका कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए और विवक्षा के आधार पर जानकारी का कोई प्रश्न संबद्ध उठाया नहीं जा सकता । हमने राजस्व प्राधिकारियों के इस कथन का भी मूल्यांकन किया है कि प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने केवल एक बार कारण अभिलिखित करने की ईप्सा की थी और इसलिए कारण प्रदत्त न किया जाना न्यायोचित था । हम राज्य से अधिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की प्रत्याशा करते हैं ।"

23. हम याचिकाओं को ग्रहण किए जाने योग्य मानते हुए इन्हें मंजूर करते हैं और तारीख 20 फरवरी, 2019 के सभी आक्षेपित निर्धारणों और मांग-आदेशों (मांग-पत्रों) को अपास्त करते हैं । निर्धारण अधिकारी उक्त निर्धारण वर्षों के लिए आय के निर्धारण को पुन: खोलने के लिए कारण प्रदत्त करेगा जिससे कि याची आक्षेप फाइल करने में समर्थ हो सके और याची को सुनने के पश्चात् आक्षेपों के संबंध में अभिव्यक्त आदेश पारित करेगा और निर्धारण की कार्यवाही करने के पश्चात् समुचित आदेश पारित करेगा जैसा कि आवश्यक हो ।

24. याचिकाएं सफल होती हैं और इनसे संबंधित प्रकीर्ण याचिकाओं का भी उपर्युक्त रूप में निपटान किया जाता है ।

25. प्रत्यर्थी सं. 2 को सूचना के लिए निर्णय की प्रति भेजी जाए ।

26. खर्चों के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है ।

याचिकाएं मंजूर की गईं ।

मह./पा.

गतांक से आगे.....

अध्याय 6

प्रकीर्ण

25. **अननुपालन के लिए शास्ति** – जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर जुर्माने का, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

26. **प्रत्यायोजित करने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जिसे वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी ।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम और स्कीम बनाने की शक्ति को छोड़कर) ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा भी जिसे वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी ।

27. **केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, किसी स्कीम के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त निधियों को जारी करने या अनुचित उपयोग के संबंध में किसी शिकायत की प्राप्ति पर, यदि प्रथमदृष्ट्या यह समाधान हो जाता है कि कोई मामला बनता है तो उसके द्वारा पदाभिहित किसी अभिकरण द्वारा की गई शिकायत का अन्वेषण करा सकेगी, और यदि आवश्यक हो तो

स्कीम की निधियों के निर्मोचन को रोकने का आदेश कर सकेगी और उचित कालावधि के भीतर इसके उचित कार्यान्वयन के लिए समुचित उपचारी उपाय कर सकेगी ।

28. **अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना** – इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या ऐसी विधि के फलस्वरूप प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे :

परन्तु जहां कोई ऐसी राज्य अधिनियमिति विद्यमान है या इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ग्रामीण गृहस्थी में अर्धकुशल शारीरिक कार्य के लिए नियोजन गारंटी का उपबंध करने के लिए अधिनियमित की जाती है, जिसके अधीन गृहस्थी की हकदारी उससे कम नहीं है और नियोजन की शर्तें उससे न्यूनतर नहीं हैं, जिनकी इस अधिनियम के अधीन गारंटी दी गई है, वहां राज्य सरकार को अपनी निजी अधिनियमिति को कार्यान्वित करने का विकल्प होगा :

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में वित्तीय सहायता, संबद्ध राज्य सरकार को ऐसी रीति से संदत्त की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी, जो उससे अधिक न होगी, जिसे वह राज्य इस अधिनियम के अधीन प्राप्त करने का तब हकदार होता जब इस अधिनियम के अधीन बनाई गई कोई स्कीम कार्यान्वित की जानी होती ।

29. **अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति** – (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 का संशोधन कर सकेगी और तदुपरि, यथास्थिति, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 तद्नुसार संशोधित की गई समझी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई प्रत्येक अधिसूचना की प्रति उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

30. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण** – (1) जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक है या समझा जाता है, किसी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए नियमों या स्कीमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

31. **केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 10 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की संख्या ;

(ख) धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष और कोई सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा और केन्द्रीय परिषद् के अधिवेशनों (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) का समय, स्थान और उनकी प्रक्रिया ;

(ग) वह रीति जिसमें तथा वे शर्तें और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय निधि का उपयोग किया जाएगा ;

(घ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन कतिपय मदों की लागत को पूरा करने के लिए वित्त पोषण पैटर्न से संबंधित नियम ;

(ङ) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए या जिसकी बाबत, केन्द्रीय सरकार द्वारा, नियमों द्वारा, उपबंध किया जाना है ।

32. **राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति** – (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से संगत नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) वे निबंधन और शर्तें जिन पर धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन बेकारी भत्ते के लिए पात्रता अवधारित की जा सकेगी ;

(ख) धारा 7 की उपधारा (6) के अधीन बेकारी भत्ते के संदाय के लिए प्रक्रिया ;

(ग) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए राज्य परिषद् का अध्यक्ष और कोई सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा और राज्य परिषद् के अधिवेशनों (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) का समय, स्थान और उनकी प्रक्रिया ;

(घ) ब्लाक स्तर और जिला स्तर पर शिकायत प्रतितोष तंत्र और धारा 19 के अधीन ऐसे मामले में अनुसरण की जाने की प्रक्रिया ;

(ङ) वह रीति जिसमें तथा वे शर्तें और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय निधि का उपयोग किया जाएगा ;

(च) वह प्राधिकारी जो धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन राज्य निधि को प्रशासित कर सकेगा और वह रीति जिसमें वह राज्य निधि को धारित करेगा ;

(छ) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन श्रमिकों के नियोजन के बही खाते और व्यय रखे जाने की रीति ;

(ज) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन स्कीमों के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित प्रबंध ;

(झ) वह प्ररूप और रीति जिसमें स्कीम के लेखाओं को धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन रखा जाएगा ;

(ञ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए या जिसकी बाबत राज्य सरकार द्वारा, नियमों द्वारा, उपबंध किया जाना है ।

33. **नियमों और स्कीमों का रखा जाना** – (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या बनाई गई प्रत्येक स्कीम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के, जहां दो सदन हैं, प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक ही सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा/रखी जाएगी ।

34. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति** – (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, बना सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अनुसूची 1

[धारा 4 (3) देखिए]

ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की न्यूनतम विशेषताएं

[1][1. धारा 4 के अधीन सभी राज्यों द्वारा, अधिसूचित स्कीम का संक्षिप्त नाम 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम' होगा और उक्त स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42)' का उल्लेख होगा ।

1क. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को, इसमें इसके पश्चात् 'महात्मा गांधी एनआरईजीएस' कहा जाएगा और

---

[1] का. आ. 1860 (अ), तारीख 30.7.2010 द्वारा अंत:स्थापित ।

स्कीम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) के प्रति किसी संदर्भ को 'महात्मा गांधी नरेगा' कहा जाएगा ।]

[2][1ख. स्कीम का केंद्र बिन्दु निम्नलिखित संकर्मों पर होगा और उसका पूर्विकता क्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा और वार्ड सभा के अधिवेशनों में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :–

(i) जल संरक्षण और जल शस्य संचय, जिसके अंतर्गत कन्टूर खाइयां, कन्टूर बंध, गोलश्म चेक, गबियन संरचनाएं, भूमिगत नहरें, मिट्टी के बांध, स्टॉप बांध और झरनों का विकास भी है ;

(ii) सूखारोधी, जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण भी हैं ;

(iii) सिंचाई नहरें जिसके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी हैं ;

(iv) पैरा 1ग में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों के स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधा, फार्म पर खोदा गया पोखर, बागवानी, वृक्षारोपण, मेढ़बंधन और भूमि विकास का उपबंध ;

(v) पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण, जिसके अंतर्गत तालाबों का शुद्धिकरण भी है ;

(vi) भूमि विकास ;

(vii) जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण नालियों को गहरा करना और उनकी मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए विप्लव जल नालियों का सन्निर्माण ;

(viii) सभी मौसमों में पहुंच को उपलब्ध करने के लिए ग्रामीण संयोजकता, जिसके अंतर्गत गांव के भीतर, जहां कहीं आवश्यक हो,

---

[2] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित ।

पुलिया और सड़कें भी हैं ;

(ix) ब्लाक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण ;

(x) एनएडीईपी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, लिक्विड बायो-मेन्योर जैसे कृषि संबंधी संकर्म ;

(xi) कुक्कुट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक जैसे पशुधन संबंधी संकर्म ;

(xii) सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मतस्य पालन जैसे मत्सय संबंधी संकर्म ;

(xiii) तटीय क्षेत्रों में मछली शुष्कन यार्ड, बेल्ट वेजिटेशन जैसे संकर्म ;

(xiv) सोक पिट्स, रिचार्ज पिट्स जैसे ग्रामीण पेयजल संबंधी संकर्म ;

(xv) व्यक्तिगत घरेलू पखाने, विद्यालय शौचालय इकाइयां, आंगनबाड़ी शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ग्रामीण स्वच्छता संबंधी संकर्म ;

(xvi) ऐसा कोई अन्य कार्य, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित किया जाए ।]

[1][1ग. पैरा 1ख की मद (iv), मद (x), मद (xi) और मद (xiii) से मद (xv) में उल्लिखित सभी क्रियाकलाप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गृहस्थों या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों की या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की या कृषि ऋण अधिव्यजन और ऋण राहत

[1] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा अंतःस्थापित ।

स्कीम, 2008 में यथा परिभाषित छोटे या सीमांत कृषकों की या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन हिताधिकारियों के स्वामित्वाधीन भूमि या गृह संपदा पर अनुज्ञात किए जाएंगे ।

1घ. पैरा 1ख की मद (iv), मद (x), मद (xi) और मद (xiii) से मद (xv) में निर्दिष्ट संकर्मों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) पैरा 1ग में निर्दिष्ट गृहस्थियों के पास जॉब कार्ड होगा ; और

(ख) हिताधिकारी, उनकी भूमि या गृह संपदा पर की जाने वाली परियोजना पर कार्य करेंगे ।]

[1]* * * *

2. टिकाऊ आस्तियों का सृजन और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के आजीविका संसाधनों के लिए आधार को सुदृढ़ करना स्कीम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा ।

[2][3. स्कीम के अधीन किए गए कार्य ग्रामीण क्षेत्र में होंगे और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होंगे, अर्थात् :–

(क) प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेष पहचान सं. दी जाएगी ;

(ख) सभी कार्य ऐसे कर्मकारों द्वारा निष्पादित किए जाएंगे जिनके पास जॉब कार्ड है और जिन्होंने कार्य की मांग की है ;

(ग) 18 वर्ष से कम की आयु के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम परियोजनाओं के अधीन कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ;

---

[1] का. आ. 1860 (अ), तारीख 30.7.2010 द्वारा लोप किया गया ।

[2] का. आ. 3000 (अ), तारीख 31.12.2008 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(घ) प्रत्येक मस्टर रोल की विशिष्ट पहचान संख्या होगी और उसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा उसमें ऐसी अनिवार्य जानकारी अंतर्विष्ट होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए ;]

(ङ) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और समुचित रूप से संख्यांकित मस्टर रोल कार्य स्थल पर रखी जाएगी और ऐसी मस्टर रोल जो कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है और समुचित रूप से संख्यांकित नहीं है, उसे अप्राधिकृत समझा जाएगा और कार्य स्थल पर नहीं रखी जाएगी ;

(च) कर्मकार अपनी उपस्थिति और कार्य स्थल पर मस्टर रोल में उपार्जित मजदूरी की रकम को प्रति हस्ताक्षरित करेंगे ;

(छ) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा विहित मस्टर रोलों के विस्तृत अभिलेख रजिस्टरों में रखे जाएंगे ;

(ज) जब कार्य प्रगति पर है, कर्मकार उस कार्य में लगे हैं सप्ताह में कम से कम एक बार उनके कार्य स्थल के सभी बिलों और वाउचरों का सत्यापन और प्रमाणन करने के लिए साप्ताहिक चक्रानुक्रम के आधार पर उनमें से कम से कम पांच कर्मकारों का चयन किया जाएगा ;

(झ) अनुमोदन या कार्य आदेश की एक प्रति कार्य स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ;

(ञ) कार्य का मापमान कार्य स्थल के भारसाधक अर्हित तकनीकी कार्मिक द्वारा रखी गई मापमान पुस्तकों में अभिलिखित किया जाएगा ;

(ट) प्रत्येक कार्य और प्रत्येक कर्मकार के मापमान अभिलेख सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे ;

---

[1] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ठ) प्रत्येक कार्य स्थल पर एक नागरिक सूचना बोर्ड रखा जाना चाहिए और भारत सरकार द्वारा विहित रीति में नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए ;

(ड) कोई व्यक्ति सभी कार्य घंटों के दौरान कार्य स्थल पर मांग किए जाने पर मस्टर रोलों के प्रति पहुंच रखने के लिए योग्य होगा ; और

(ढ) भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार स्थापित की गई सतर्कता और मानीटरी समिति सभी कार्यों और उस पर उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच करेगी जो भारत सरकार द्वारा विहित प्ररूप में कार्य रजिस्टर में अभिलिखित की जाएगी और सामाजिक संपरीक्षा के दौरान ग्राम सभा को प्रस्तुत की जाएगी ।]

[1]* * * *

[2][5. राज्य सरकार, स्कीम के भाग के रूप में, स्कीम के अधीन सृजित लोक आस्तियों के उचित रखरखाव की व्यवस्था करेगी ।]

[1]* * * *

[2][7. राज्य सरकार मजदूरी को कार्य की मात्रा से संबद्ध करेगी और राज्य परिषद् के परामर्श से प्रतिवर्ष, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत दर अनुसूची के अनुसार संदत्त की जाएगी ।]

[3][8. (1) विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों की अनुसूची इस प्रकार नियत की जाएगी कि [4][विश्राम के एक घंटे सहित] नौ घंटे के लिए काम करने वाला कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतया मजदूरी दर के बराबर मजदूरी उपार्जित कर सके ।

---

[1] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा लोप किया गया ।

[2] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] का. आ. 88 (अ), तारीख 14.1.2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा अंतःस्थापित ।

(2) किसी वयस्क कर्मकार के कार्य दिवस, जिसके अन्तर्गत विश्राम के अंतराल भी हैं यदि कोई हों, इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे कि वह किसी दिवस में बारह घंटे से अधिक न हों ।]

[1][8क. किसी समूह में कार्य करने वाले किन्हीं पुरुष और स्त्री कर्मकारों द्वारा किए गए औसत कार्य आधारित दरों की सूची नियत करने के लिए आधार होगा ताकि दरों की अनुसूची में लिंग आधारित कोई विभेद न हो ।]

9. कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं की सामग्री संघटक की लागत, जिसके अंतर्गत कुशल और अर्धकुशल कर्मकारों की मजदूरी भी है, [2][प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर] कुल परियोजना लागत के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

10. कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत किसी ऐसे व्यक्ति को, जो स्कीम के अधीन नियोजन के लिए आवेदन करता है, यह निदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा कि वह ऐसी स्कीम के अधीन अनुज्ञेय किसी प्रकार का कार्य करे ।

11. स्कीम में उसके अधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी ठेकेदार को लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

12. यथाव्यवहार्य, स्कीम के अधीन वित्त पोषित कार्य शारीरिक श्रम का उपयोग करके पूरा किया जाएगा, मशीन का नहीं ।

[2][13. प्रत्येक स्कीम में, कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित रीति में पर्याप्त उपबंध होंगे :-

(क) पूर्व सक्रिय प्रकटन :

---

[1] का. आ. 88 (अ), तारीख 14.1.2008 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] का. आ. 3000 (अ), तारीख 31.12.2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(i) प्रत्येक कार्य स्थल पर पूर्व सक्रिय प्रकटन नागरिकता सूचना बोर्ड के माध्यम से, उपस्थिति के संबंध में मस्टर रोल जानकारी का, पढ़े जाना, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्य दिवस के अंत में कर्मकारों की उपस्थिति में किया गया कार्य और संदत्त मजदूरी के माध्यम से किया जाएगा, मापन पुस्तक में मापमान कर्मकारों के समक्ष कार्य के मापमान के दौरान पढ़ा जाएगा ;

(ii) ग्राम पंचायत और ब्लाक कार्यक्रम कार्यालय पर पूर्व सक्रिय प्रकटन बोर्डों पर जानकारी के संप्रदर्शन के माध्यम से किया जाएगा और इसके अंतर्गत नियोजन के उपबंधों से संबंधित जानकारी, प्राप्त निधियां और व्यय अनुमोदित परियोजनाओं के शेल्फ होंगे ; और

(iii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संबंध में कोई जानकारी जनता को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वेबसाइट के माध्यम से जो भारत सरकार द्वारा विहित की जाए तथा नि:शुल्क डाउनलोड की जाए, उपलब्ध कराई जाएगी :

[1]* * * *

14. किसी स्कीम के अधीन किए जा रहे संकर्म का, कार्य की उचित क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए और साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य के पूरा किए जाने के लिए संदत्त मजदूरी, किए गए कार्य क्वालिटी और मात्रा के अनुरूप है, नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने के लिए उपबंध किए जाएंगे ।

15. स्कीम को कार्यान्वित करने वाले जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत, अपनी अधिकारिता के भीतर स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों तथा उपलब्धियों

---

[1] का. आ. 1484 (अ), तारीख 30.6.2011 द्वारा लोप किया गया ।

सहित वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसकी एक प्रति, जनता को मांग पर और ऐसी फीस के संदाय पर जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं, उपलब्ध कराई जाएगी ।

[1][16. स्कीम से संबंधित सभी खातों और अभिलेखों को सार्वजनिक संवीक्षा के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा । यदि कोई व्यक्ति इसकी प्रति या इससे संबद्ध सार प्राप्त करना चाहता है तो उसकी मांग किए जाने पर आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर और स्कीम में विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किए जाने के पश्चात् ऐसी प्रतियां या सार उपलब्ध कराए जा सकते हैं ।]

17. प्रत्येक स्कीम या किसी स्कीम के अधीन परियोजना के मस्टर रोल की एक प्रति, ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में, हितबद्ध व्यक्ति द्वारा, ऐसी फीस का संदाय करने के पश्चात्, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ।

---

[1] का. आ. 3000 (अ), तारीख 31.12.2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अनुसूची 2

[धारा 5 देखिए]

किसी स्कीम के अधीन गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार के लिए शर्तें और श्रमिकों की न्यूनतम हकदारियां

1. प्रत्येक गृहस्थी के वयस्क सदस्य, जो –

(i) किसी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, और

(ii) अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं,

उस ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (जिसे इस अनुसूची में इसके पश्चात् ग्राम पंचायत कहा गया है) को, जिसकी अधिकारिता में वे निवास करते हैं, अपने नाम, आयु और गृहस्थी के पते, जॉब कार्ड जारी करने के लिए अपनी गृहस्थी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

[1][2. (1) ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, गृहस्थी को रजिस्टर करे और गृहस्थी के रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों के निम्नलिखित आवश्यक ब्यौरों वाला एक जॉब कार्ड जारी करें, अर्थात् :-

(i) जॉब कार्ड संख्या ;

(ii) गृहस्थी के सदस्य-वार कार्य की मांग और आबंटन ;

(iii) किए गए कार्य का वर्णन ;

(iv) कार्य करने की तारीखें और दिन ;

(v) उस मस्टर रोल का संख्यांक, जिसके द्वारा मजदूरी संदत्त की गई ;

(vi) संदत्त मजदूरी की रकम ;

(vii) बेकारी भत्ता, यदि कोई संदत्त किया गया हो ;

---

[1] का. आ. 802(अ), तारीख 2.4.2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(viii) डाक महसूल लेखा/बैंक खाता संख्या ;

(ix) बीमा पॉलिसी संख्या ; और

(x) मतदाता फोटो पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, यदि कोई हो, संख्या ।

[1][(xi) आधार संख्या, यदि जारी की गई हो ।]

(2) जॉब कार्ड पर सभी प्रविष्टियां प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित होंगी ;

(3) उपपैरा (1) के अधीन जारी जॉब कार्ड पर गृहस्थी के केवल उन्हीं रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों के फोटो होंगे, जिनको जॉब कार्ड जारी किया गया है ।

(4) गृहस्थी के ऐसे रजिस्ट्रीकृत वयस्क सदस्यों, जिनका वह जॉब कार्ड हो, से भिन्न किसी व्यक्ति का फोटो, नाम या ब्यौरे जॉब कार्ड पर चिपकाए या अभिलिखित नहीं किए जाएंगे ।

(5) सभी जॉब कार्ड उन जॉब कार्डधारकों की अभिरक्षा में रहेंगे, जिनके वे हैं ।]

3. पैरा 2 के अधीन रजिस्ट्रीकरण ऐसी अवधि के लिए जो स्कीम में अधिकथित की जाए किन्तु किसी भी मामले में पांच वर्ष से कम नहीं होगी, किया जाएगा, और इसे समय-समय पर नवीकृत किया जा सकेगा ।

4. रजिस्ट्रीकृत गृहस्थी का ऐसा प्रत्येक वयस्क सदस्य, जिसका नाम जॉब कार्ड में है, स्कीम के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा ।

5. किसी गृहस्थी के सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार, उतने दिनों के लिए, जितने दिनों के लिए प्रत्येक आवेदक अनुरोध करे, किसी वित्तीय वर्ष में

---

[1] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा अंतःस्थापित ।

प्रति गृहस्थी अधिकतम एक सौ दिनों के अधीन रहते हुए, नियोजन के हकदार होंगे ।

6. कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित होगा करेगा कि पैरा 5 में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदक को, स्कीम के उपबंधों के अनुसार, आवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर या उस तारीख से, जिससे वह अग्रिम आवेदन की दशा में कार्य चाहता है, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, अकुशल शारीरिक कार्य दिया जाएगा :

परंतु यह कि महिलाओं को इस तरह पूर्विकता दी जाएगी कि कम से कम एक-तिहाई फायदा प्राप्त करने वालों में ऐसी महिलाएं होंगी, जो इस अधिनियम के अधीन कार्य के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं और जिन्होंने अनुरोध किया है ।

7. कार्य के लिए आवेदन कम से कम चौदह दिनों के निरंतर कार्य के लिए होना चाहिए ।

8. गृहस्थी की संपूर्ण हकदारी के अधीन रहते हुए नियोजन के उन दिनों की संख्या जिनके लिए कोई व्यक्ति आवेदन कर सकेगा, या उसको वस्तुतः दिए गए नियोजन के दिनों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी ।

9. कार्य के लिए आवेदन, लिखित रूप में ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को, जैसा स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत किए जाएंगे ।

10. यथास्थिति, ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी वैध आवेदन स्वीकार करने और आवेदक को तारीख सहित रसीद जारी करने के लिए आबद्ध होंगे । समूह आवेदन भी प्रस्तुत किए जा सकेंगे ।

11. ऐसे आवेदकों को, जिन्हें कार्य दिया जाता है, जॉब कार्ड में दिए गए उनके पते पर उनको पत्र भेजकर और जिला, मध्यवर्ती या ग्राम स्तर पर पंचायतों में सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित कर इस प्रकार लिखित रूप में सूचित किया जाएगा ।

12. जहां तक संभव हो, आवेदक को उस ग्राम से जहां वह आवेदन करते समय निवास करता है, पांच किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर नियोजन प्रदान किया जाएगा ।

[1][13. स्कीम के अधीन कोई नया कार्य आरंभ किया जा सकता है, यदि कम से कम दस श्रमिक कार्य के लिए उपलब्ध हो जाते हैं ।]

14. यदि नियोजन [2][पैरा 12 में विनिर्दिष्ट त्रिज्या] के बाहर प्रदान किया जाता है तो यह ब्लॉक के भीतर ही प्रदान किया जाना चाहिए और श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और जीवनयापन खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में, मजदूरी दर के दस प्रतिशत का संदाय किया जाएगा ।

[2][15. नियोजन की अवधि कम से कम लगातार चौदह दिन की और एक सप्ताह में छह दिन से अनधिक की होगी ।]

16. उन सभी मामलों में जहां बेकारी भत्ता संदत्त किया जाता है या संदत्त किया जाना शोध्य है वहां कार्यक्रम अधिकारी, लिखित रूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक को वे कारण सूचित करेगा कि उसके लिए आवेदकों को नियोजन प्रदान करना या नियोजन प्रदान कराना क्यों संभव नहीं था ।

17. जिला कार्यक्रम समन्वयक, राज्य परिषद् को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह स्पष्टीकरण देगा कि उन मामलों में जहां बेकारी भत्ते का संदाय अंतर्वलित है, नियोजन क्यों नहीं प्रदान किया जा सका था ।

18. स्कीम में अग्रिम आवेदन के लिए, अर्थात् ऐसे आवेदनों के लिए जो उस तारीख से जिससे नियोजन चाहा गया है, पहले प्रस्तुत किए जा सकेंगे, उपबंध किया जाएगा ।

19. स्कीम में एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक आवेदन प्रस्तुत करने

---

[1] का. आ. 324 (अ), तारीख 6.3.2007 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा प्रतिस्थापित ।

के बारे में उपबंध किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि तत्संबंधी अवधि, जिनके लिए नियोजन चाहा गया है, अतिव्याप्त नहीं होती ।

20. ग्राम पंचायत ऐसे रजिस्टर, वाउचर और अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, तैयार करेगी और रखेगी या तैयार करवाएगी और रखवाएगी, जिसमें ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रीकृत जॉब कार्डों और जारी की गई पासबुकों की विशिष्टियां और गृहस्थी के मुखिया तथा वयस्क सदस्यों के नाम, आयु और पते अंतर्विष्ट होंगे ।

21. ग्राम पंचायत, उसके पास रजिस्ट्रीकृत गृहस्थियों और उनके वयस्क सदस्यों के नाम और पते की सूचियां, ऐसी सूची तथा ऐसी अन्य जानकारियां संबद्ध कार्यक्रम अधिकारी को, ऐसी अवधि पर, ऐसे प्ररूप में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, भेजेगी ।

22. उन व्यक्तियों की सूची, जिन्हें कार्य दिया जाता है, ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य स्थानों पर जिन्हें कार्यक्रम अधिकारी आवश्यक समझे, प्रदर्शित की जाएगी और सूची राज्य सरकार या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी ।

23. यदि ग्राम पंचायत का किसी समय समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके उसके पास रजिस्टर कराया है तो वह कार्यक्रम अधिकारी को रजिस्टर से उसका नाम काटने का निदेश दे सकेगी और आवेदक को जॉब कार्ड लौटाने का निदेश दे सकेगी :

परन्तु इस पैरा के अधीन ऐसी कार्यवाही तब तक निदेशित नहीं की जाएगी, जब तक कि आवेदक को दो स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में सुने जाने का अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

24. यदि स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को, उसके नियोजन के कारण और उसके क्रम में किसी दुर्घटना से कोई शारीरिक

क्षति कारित होती है तो वह नि:शुल्क ऐसे चिकित्सीय उपचार का, जो स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है, हकदार होगा ।

25. जहां क्षतिग्रस्त कर्मकार का अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, वहां राज्य सरकार उसके अस्पताल में भर्ती होने के लिए, जिसके अंतर्गत आवास, उपचार, ओषधियां भी हैं, तथा दैनिक भत्ते के संदाय के लिए, जो संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित उस मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा, जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति के कार्य में लगे होने पर होती, व्यवस्था करेगी ।

26. यदि स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति की, नियोजन से उद्भूत दुर्घटना या उसके क्रम में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से नि:शक्त हो जाता है तो कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा उसे पच्चीस हजार रुपए की दर पर या ऐसी रकम का जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अनुग्रहपूर्वक संदाय किया जाएगा और यह रकम, यथास्थिति, मृत या नि:शक्त व्यक्ति के विधिक वारिसों को संदत्त की जाएगी ।

27. कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, बालकों के लिए तथा विश्राम की अवधि के लिए शेड, लघु क्षति में आपात उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्राथमिक सहायता पेटी तथा किए जा रहे कार्य से संबद्ध अन्य स्वास्थ्य परिसंकट के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ।

28. यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के साथ छह वर्ष से कम आयु के बालकों की संख्या पांच या उससे अधिक है तो ऐसी महिलाओं में से किसी एक महिला को ऐसे बालकों की देखभाल करने के लिए तैनात करने की व्यवस्था की जाएगी ।

29. पैरा 28 के अधीन नियुक्त व्यक्ति को मजदूरी दर पर संदाय किया जाएगा ।

30. यदि स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मजदूरी का संदाय नहीं किया जाता है तो श्रमिक, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

(1936 का 4) के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर का संदाय प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[1][31. मजदूरी का भुगतान, [2][यदि इस प्रकार छूट न दी गई हो] केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसार कर्मियों के बैंकों या डाकघरों में खोले गए एकल या संयुक्त बचत खातों के माध्यम से किया जाएगा ।

32. हटा दिया जाए ।]

33. यदि किसी ऐसे व्यक्ति के, जो स्कीम के अधीन नियोजित है, साथ में आने वाले बालक को दुर्घटनावश कोई शारीरिक क्षति कारित होती है तो ऐसा व्यक्ति बालक के लिए नि:शुल्क ऐसा चिकित्सीय उपचार जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए और उसकी मृत्यु या नि:शक्तता की दशा में, अनुग्रहपूर्वक संदाय, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, प्राप्त करने का हकदार होगा ।

34. स्कीम के अधीन प्रत्येक नियोजन की दशा में, मात्र लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) के उपबंधों का पालन किया जाएगा ।

[3][35.(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची 2 के पैरा 1, 3, 9 और 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाढ़, चक्रवात, सुनामी और भूकंप की प्रकृति की राष्ट्रीय विपत्तियों के परिणामस्वरूप ग्रामीण आबादी के व्यापक विस्थापन की दशा में इस प्रकार प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण गृहस्थियों के वयस्क सदस्य :–

(i) रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुरोध कर सकेंगे और अस्थायी पुनर्स्थापन क्षेत्र की ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी जॉब कार्ड प्राप्त कर सकेंगे ;

---

[1] का. आ. 513 (अ), तारीख 19.2.2009 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] का. आ. 1022 (अ), तारीख 4.5.2012 द्वारा अंतःस्थापित ।

[3] का. आ. 2188 (अ), तारीख 11.9.2008 द्वारा अंतःस्थापित ।

(ii) अस्थायी पुनर्स्थापन क्षेत्र के कार्यक्रम अधिकारी या ग्राम पंचायत के समक्ष कार्य के लिए लिखित या मौखिक आवेदन कर सकेंगे ; और

(iii) हानि या विनाश की दशा में जॉब कार्ड के पुनःरजिस्ट्रीकरण और पुनःजारी किए जाने के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

(2) सामान्य स्थिति के प्रत्यावर्तन की दशा में, इस प्रकार जारी जॉब कार्ड निवास के मूल स्थान पर पुनःपृष्ठांकित किया जाएगा और सुधार होने पर मूल जॉब कार्ड के साथ जोड़ दिया जाएगा ।

(3) इस प्रकार उपलब्ध कराए गए नियोजन के दिनों की संख्या की गणना, प्रति गृहस्थी 100 दिनों की गारंटीकृत नियोजन की संगणना करते समय की जाएगी ।]

[1][36. अधिनियम या उसमें अनुसूची के अधीन प्राप्त शिकायतों या स्वप्रेरणा और अन्यथा उपबंधित से लिए गए संज्ञान पर निम्नलिखित रीति में कार्यवाही की जाएगी, अर्थात् :-

(क) कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शिकायत को उसके द्वारा रखे गए शिकायत रजिस्टर में दर्ज करेगा और शिकायत की अभिस्वीकृति सम्यक् रूप से संख्यांकित और तारीख सहित जारी करेगा ;

(ख) स्थल पर सत्यापन के माध्यम से जांच, निरीक्षण और निपटारा सात कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा ;

(ग) किसी ग्राम पंचायत द्वारा, जो उस कार्यक्रम अधिकारी की अधिकारिता के भीतर आती है शिकायतों का इसके अन्तर्गत अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतें भी हैं, उनका अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (6) के अधीन यथा विहित

---

[1] का. आ. 2999 (अ), तारीख 31.12.2008 द्वारा अंतःस्थापित ।

सात दिन के भीतर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निपटारा किया जाएगा और यदि उस दशा में जब शिकायत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा हल किए जाने के विषय से संबंधित है, तो कार्यक्रम अधिकारी प्रारंभिक जांच करेगा और विषय को ऐसे प्राधिकारी को शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए सात दिन के भीतर निर्दिष्ट करेगा ;

(घ) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सात दिन के भीतर शिकायत का निपटारा करने में व्यतिक्रम होने पर अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन माना जाएगा और अधिनियम की धारा 25 के अधीन दंडनीय होगा तथा ऐसी चूक के विरुद्ध शिकायतें जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास फाइल की जाएगी ;

(ङ) वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होने की दशा में, जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल की गई है ;

(च) राज्य सरकार या जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या प्रतिनिर्देश से किसी शिकायत की जांच कर सकेगा और दोषी साबित होने पर, दोषी पर अधिनियम की धारा 25 के अधीन शास्ति अधिरोपित करेगा ;

(छ) यदि संबद्ध प्राधिकारी यह पाता है कि हकदारी का उल्लंघन है, तो वह व्यथित पक्षकार को सूचना देगा और पन्द्रह दिन के भीतर ऐसी शिकायत के समाधान के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ज) की गई कार्यवाही के संबंध में शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा और एक पखवाड़े में एक बार विहित फार्मेट में दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएगा ;

(झ) कार्यक्रम अधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही क्रमशः मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों के समक्ष रखी जाएंगी ;

(ञ) ग्राम पंचायत के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील कार्यक्रम अधिकारी को की जाएगी और वे जो कार्यक्रम अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध हैं, जिला कार्यक्रम समन्वयक को की जाएंगी तथा जो जिला कार्यक्रम समन्वयक के विरुद्ध हैं, वे राज्य आयुक्त (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम) को की जाएगी ;

(ट) खंड (ञ) के अधीन कोई अपील आदेश पारित किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर की जाएगी ; और

(ठ) उसकी प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर किसी अपील का निपटारा किया जाएगा ।]

Cover-II

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार – डा. शिवदत्त शर्मा – 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 17552/69

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/ product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in